राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का चवालीसवां दिवस [संख्या: 23

गुरुवार,

24 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री नरपत सिंह राजवी।

राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के मामले

415. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के विरुद्ध जनवरी, 2018 से जनवरी, 2022 तक अनियमितताओं के कितने मामले सामने आये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आरोपित अधिकारियों को बर्खास्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किनको व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जनवरी, 2018 से जनवरी, 2022 तक राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के 10 मामले सामने आये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। परिशिष्ट-अ पर अंकित अधिकारियों में से 9 अधिकारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण विभागीय जांच में अथवा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्तर पर विचाराधीन है।

तीन प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु कार्मिक विभाग में प्रक्रियाधीन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

है। प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अथवा कार्मिक विभाग द्वारा अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकारी विभाग में नियुक्त राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा किये गये गबन की राशि की बरामदगी के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये और किन-किन अधिकारियों से कितनी राशि बरामद की गयी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसा मैंने आपको बताया कि 9 के खिलाफ तो एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है। एक व्यक्ति हैं उम्मेद सिंह, जिनके खिलाफ तीन तो जांचें चल रही हैं सी.सी.ए. नियम 16 की, तीन जांचें हैं जिसमें गबन का मामला है और एक जांच में उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है।

अब सवाल यह है कि ये सी.सी.ए. नियम के तहत 16 में जो जांचें चल रही हैं, वह पूरी हो जाएं, उसके बाद में वसूली की बात आती है या बर्खास्तगी की बात आती है। फिलहाल तो आपके द्वारा यह प्रश्न पूछने के पश्चात् उसको कल विभाग ने सस्पेण्ड कर दिया। अभी तक तो वह सस्पेण्ड भी नहीं था। यह कोई आज से ही नहीं चल रहा है, यह तीनों मामले बहुत पुराने चल रहे हैं, लेकिन अब उसको सस्पेण्ड कर दिया गया है। अब सस्पेण्ड होने के बाद में अगर उसमें यह साबित हो जाता है कि वाकई अपराधी है तो वसूली भी होगी और बर्खास्तगी भी होगी और सारी कार्रवाई होगी। यह उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जांच रिपोर्ट क्या आती है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे परिप्रेक्ष्य में दो ही हैं। एक तो सी.सी.ए., क्योंकि उसने राज्य को हानि पहुंचाई और इसलिए उसको 16 सी.सी.ए. का नोटिस देकर इंक्वायरी हो रही है। दूसरा है क्रिमिनल पार्ट, क्रिमिनल पार्ट में एफ.एस.एल. में भी प्रूव हो गया, पुलिस की जांच में भी प्रूव हो गया। कौन ऐसा अधिकारी है जो आज तक उसको प्रोटेक्ट कर रहा है? कम-से-कम ऐसी जगह पोस्टिंग दी है जिसको एडिशनल चार्ज संस्कृत विश्वविद्यालय में कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन का है। उसमें फिर पेपर लीक होगा, पेपर वह बिकेंगे। ऐसी स्थिति में तो कम-से-कम तुरन्त अरेस्ट होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह बात सही है कि उसको संस्कृत यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन का कंट्रोलर बना रखा है लेकिन सवाल यह है कि आपराधिक जो प्रकरण होते हैं, वह आपराधिक प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाती है और अन्वेषण के उपरान्त राज्य सरकार न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करती है। अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया जाता है। वह न्यायिक प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। किसी अधिकारी को न्यायालय के द्वारा दोषी अगर ठहरा दिया जाता है तब जाकर वह सेवा से बर्खास्त होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं पूछ लूं, उसके बाद पूछ लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपने दो सप्लीमेंट्री पूछ ली, कितनी सप्लीमेंट्री?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं तो एक छोटा-सा प्रश्न पूछ रहा हूं। यह सामान्य अपराध नहीं है। एम.डी. ने जब नोट अलाउड लिखा तो नोट को फ्लूड लगाकर मिटाया है और उसका अर्थ बदला है। यह जांच में आ गया, प्रूव भी हो गया। पुलिस इंक्वायरी में भी प्रूव हो गया। फिर भी अरेस्ट नहीं हो, यह शंका जाहिर करते हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पुलिस इंक्वायरी में हो गया नहीं, यह ए.सी.बी. में हो गया। अब ए.सी.बी. में जांच में वक्त लगता है। ए.सी.बी. में इतनी जल्दी कोई तुरन्त कार्रवाई नहीं होती, तीन-तीन, चार-चार साल लग जाते हैं तफ्तीश में। वहां से सब कुछ होने के बाद अगर न्यायालय द्वारा उसको दोषी ठहराया जाता है, तभी जाकर कार्रवाई होगी, बाकी सस्पेंशन तो उसका हो चुका। अब सवाल यह कि 16 सी.सी.ए. का अगर मान लीजिए कोई फैसला आता है तो उसके अनुसार उससे वसूली भी की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण बहुत ही गम्भीर लगता है। यह उम्मेद सिंह के ऊपर ही चार प्रकरण दर्ज हैं। चार में से जो चौथा है, उसमें 56 लाख का है, जो इसने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जयपुर में महाप्रबन्धक (वित्त) के पद पर पदस्थापन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के दौरान पत्रावली पर काट-छांट कर प्रबन्ध निदेशक के आदेशों की स्वीकृति का स्वरूप दिया जाकर निगम को 56 लाख 30 हजार 500 रुपये की हानि पहुंचाने का मामला बजाज नगर थाना, जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 429/2018, यह 2018 का दर्ज है। एक 2020 का दर्ज है। यही एक ऐसा आदमी है जिसकी स्वीकृति सरकार की तरफ से नहीं मिलने के कारण से इस केस को ए.सी.बी. आगे नहीं बढ़ा पा रही, नहीं तो यह बहुत कुछ आगे बढ़ जाता।

मंत्री महोदय, यह विभाग की वर्किंग पर भी थोड़ा-सा ध्यान दो कि अगर इतने समय तक, आज अगर यह क्वेश्चन नहीं पूछते तो आप इस पर एक्शन नहीं लेते। इसके लिए भी तो विभाग का कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा, अकेले आप भी नहीं हो। जो इस काम को देख रहा है, वह जिम्मेदार है कि नहीं है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह बात सही है कि पुराने केस हैं। इन पर अभी तक काम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सवाल यह है कि आपने तो सिर्फ एक का बताया कि साहब, 56 लाख का मामला है, यह 56 लाख का नहीं, पहले वाला मामला तो 10 करोड़ से भी ऊपर का है। इतना संगीन मामला है। अब उसको लगाकर 16 सी.सी.ए. का नोटिस 2020 में दिया गया है। मैंने विभाग वालों से कल बात की और मैंने यही कहा कि यह क्या तरीका है? तब जाकर उस उम्मेद सिंह को सस्पेण्ड किया कल।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवान पूनियां।

प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन

416. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश के सभी प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार 2009 की पालना में न्यूनतम दो शिक्षकों के पद स्वीकृत कर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): जी हां। वर्तमान में छात्र संख्या एवं मानदण्डों के अनुसार पदों के समानीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आवश्यकतानुसार पद उपलब्ध होने पर विद्यालयवार पद आबंटन एवं पदस्थापन की नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सम्भव है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्षजी, मंत्रीजी क्या यह बताएंगे कि मानदण्डों व संख्या की बात स्पष्ट क्या है? छात्र संख्या कितनी हो स्कूल में, तब दूसरा अध्यापक लगाएंगे? इसके लिए मानदण्ड क्या रखे गए न्यूनतम, वह तो स्पष्ट करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मानदण्ड यह हैं कि सामान्यत: 60 विद्यार्थी होते हैं, उन पर दो अध्यापक दिए जाते हैं। सामान्य शिक्षा में भी यह है कि 30 विद्यार्थी पर एक और 30 से 60 के बीच में दो अध्यापक दिए जाते हैं और प्राय:-प्राय: राजस्थान में, मैं आपको बताना चाहता हूं खास तौर से 423 राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हैं, इनमें 268 में दो या दो से अधिक पद स्वीकृत हैं। केवल 146 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल मात्र एक ही पद स्वीकृत है, क्योंकि वहां पर छात्र संख्या 60 से कम हैं और खास तौर से अभी रीट की लेवल-वन की परीक्षा हुई है, उसमें 253 पदों की हमने रिक्तियां भेजी हुई हैं विज्ञापित भी हैं, यह पद जब मिल जाएंगे तब 146 पद भी संख्या के अनुसार भर दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह सांखला।

भीलवाड़ा के हरणी खुर्द में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के फ्लैट

417. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर) (श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द) के स्थान पर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा के हरणी खुर्द में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अल्प आय वर्ग के कितने फ्लैट लाटरी द्वारा आबंटित किये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवास योजना में एलआईजी फ्लैट श्रेणी के कितने सदस्यों द्वारा राशि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के खाता में जमा करवा दी गयी व कितने सदस्यों की राशि जमा होना शेष है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवास योजना में अल्प आय वर्ग के सम्पूर्ण रकम जमा करवाने वालों को फ्लैट का कब्जा कब सुपुर्द किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) भीलवाडा के हरणी खुर्द में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अल्प आय वर्ग के 240 फ्लैट लाटरी द्वारा आबंटित किये गये हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) उक्त आवास योजना में एलआईजी फ्लैट श्रेणी के 67 सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण राशि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के खाता में जमा करवा दी गयी, 96 सदस्यों द्वारा आंशिक एवं 77 सदस्यों द्वारा कोई राशि जमा नहीं कराई गयी।

(3) उक्त आवास योजना में अल्प आय वर्ग के सम्पूर्ण रकम जमा करवाने वालों को फ्लैट का कब्जा 30 जून, 2022 तक सुपुर्द किया जायेगा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के हरणी खुर्द में आवास योजना का निर्माण कार्य कब चालू हुआ और वर्तमान में निर्माण कार्य की क्या स्थिति है?

श्री अध्यक्ष: रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो, क्या है? माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बतायें कि यह जो 67 लोगों ने अपनी पूर्ण राशि जमा करा दी, यह कब जमा करा दी और अब आप इसको जून, 2022 में इतने लम्बे समय बाद दे रहे हो तो क्या कारण है? जमा कब करा दी उसने?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जमा करा दी, उसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है। जमा कराने की तारीख मेरे पास नहीं है लेकिन जिन्होंने जमा करा दी, उनको कब्जा दिये जाने की बात है, तो उसकी तारीख तो मैंने आपको बता दी कि जून में उनको कब्जा दे दिया जायेगा। वजह यह है कि उसमें कुछ न कुछ काम बाकी है। जैसे स्ट्रक्चर वर्क पूर्ण हो चुका है, फिनिशिंग का कार्य और एक्सटर्नल डवलपमेंट का जो काम है, वह किसी न किसी का बकाया है। उन लोगों ने खुद ने ही यह कह दिया कि यह काम कम्प्लीट कर लो, उसके बाद में हमें कब्जा दो।

अब जिन्होंने पैसा जमा कराया नहीं या किसी ने आंशिक जमा कराया, वह अलग बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जिन्होंने आंशिक कराया या नहीं कराया, उनको छोड़ो। जिन लोगों ने जमा करा दिया, कारण क्या है कि बहुत गरीब लोग होते हैं इनको किराये के मकान का भी किराया देना पड़ता है और आपके इधर की किस्तें उनको देनी शुरू हो जाती हैं, उस आदमी को बहुत परेशानी होती है, जो यह छोटे-छोटे व्यक्ति होते हैं उनको। इस कारण से कब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जमा हुआ और अब तक नहीं दिया, इसके बारे में विभाग से थोड़ा-सा आप पूछताछ करिये। लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है। यह सभी छोटे लोग हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर के मालवीय नगर में पैंथर आने की घटनाएं

418. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में जयपुर के मालवीय नगर, मोती डूंगरी आदि शहरी क्षेत्रों में पैंथर आने की घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। जयपुर के मालवीय नगर, मोती डूंगरी आदि शहरी क्षेत्रों में दिनांक 01.04.2021 से अब तक पैंथर के आने की 9 घटनाएं हुई हैं। जयपुर के मालवीय नगर, मोती डूंगरी आदि शहरी क्षेत्र झालाना वन क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्र हैं। इस कारण कभी-कभी पैंथर्स भटक कर शहरी क्षेत्र में आता है।

(2) इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभाग द्वारा झालाना वन क्षेत्र, आमागढ़ एवं आस-पास के वन क्षेत्रों की अधिकांश सीमा पर 6 फीट ऊंची दीवार (पक्की) का निर्माण कार्य करवाया गया है। वन्यजीवों के पानी के लिए वन क्षेत्र में उचित व्यवस्था की गई है। वन्यजीवों हेतु प्रे-बेस को बढ़ाने के लिए ग्रासलैण्ड विकसित किया गया है। सर्विलांस सिस्टम और कैमरा ट्रैप लगाकर वन्यजीवों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाती है और आबादी क्षेत्र में आने पर विभाग की रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू कर तुरन्त प्रभाव से उपयुक्त वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि झालाना जंगल देश में पहले लेपर्ड प्रोजेक्ट के रूप में दुनिया भर में ख्याति पा रहा है? परन्तु वन महकमे के अफसरों की मनमर्जी और अनदेखी के कारण यहां प्रवास कर रहे पैंथर्स पर यह भारी पड़ रही है। बार-बार दावे करने के बाद भी वन्य जीवों के प्रे-बेस का मुकम्मल इन्तजाम अभी तक

(श्री कालीचरण सराफ)

नहीं हो पाया है। इसके कारण 01.04.2021 से यानी सवा साल में 9 घटनाएं इस प्रकार की हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न करें। प्लीज, आई विल नोट अलाउ इट। प्रश्न पूछें। यह आ चुका सब।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं तो प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह आप वही बोल रहे हैं, जो आ चुका जवाब में। आप प्रश्न पूछें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, चीता कहां ...

श्री अध्यक्ष: चीता आपके पास नहीं आयेगा। आपके पास नहीं आयेगा। आपको देखकर भाग जायेगा। माननीय, प्रश्न पूछें आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दूसरा मेरा प्रश्न है। सुनिये, सुनिये, मेरी बात तो पूरी सुनिये, फिर यदि प्रश्न नहीं हो तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें स्पेसिफिक।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने यह कहा है कि इनके लिए प्रे-बेस की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, इन्होंने कहा है कि प्रे-बेस की पूरी व्यवस्था, भोजन, पानी की व्यवस्था है। यदि वह होती तो सवा साल में 9 बार वहां से पैंथर नहीं निकलता। नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: उत्तर ही आप दे रहे हो। प्रश्न पूछ नहीं रहे हो। आप खुद ही कह रहे हो कि व्यवस्था होती तो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दूसरा मेरा कहना यह है कि आसपास के जंगल को बतौर कॉरिडोर विकसित करने का आपका कोई विचार है जिससे कि वह बाहर नहीं निकलें? यदि है, तो आप कब तक करेंगे? नहीं, तो कब तक नहीं करेंगे? यह बताइये।

श्री अध्यक्ष: कब तक पैंथर आते रहेंगे? माननीय मंत्री जी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में पक्की दीवार की भी बात कही। इसके अलावा प्रे-बेस के लिए ग्रासलैंड विकसित किया जाना बहुत जरूरी है। ग्रासलैंड विकसित होगा तो प्रे बेस की व्यवस्था हो जायेगी तो यह बाहर नहीं आयेंगे। ग्रासलैंड पूरा विकसित नहीं हुआ है चल रहा है। ग्रासलैंड हमने काफी विकसित किया है।

श्री अध्यक्ष: यह पूछ रहे हैं कि कब तक हो जायेगा?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): इसमें काम चल रहा है। जल्दी ही ग्रासलैंड, मैं खुद झालाना डूंगरी का पूरा इंस्पेक्शन करके आया हूं, अधिकारियों को साथ लेकर के पूरा इसको देखा है। दूसरा आपने पूछा, पास में आमागढ़ है, लाल बेरी है, इसको भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। इससे आगे नाहरगढ़ अभयारण्य है, फिर आगे जमवारामगढ़ है, इनको जोड़कर के सरिस्का तक एक हो जायेगा। यह कॉरिडोर हो जायेगा, यह फिर शहर में नहीं आयेंगे। इस प्रकार की हमारी योजना है। इस पर हम काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो घटनाएं हुई हैं यह शहर में 9 बार आये हैं, यह वास्तव में ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी ...(व्यवधान) आप वार्ता का अनुभव दूसरों को क्यों करवा रहे हो? आप चीतों से कर रहे हो, काफी है न।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): जैसा कि आपने स्वयं ने माना है कि जयपुर शहर के पास में इतनी बड़ी झालाना सफारी विकसित की है। यह पहले कम थे, अब बढ़े हैं। 45 हो गये हैं, बढ़ रहे हैं। यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। पहले 2020-21 में 21500 पर्यटक थे और अभी 2021-22 में फरवरी माह तक 31314 पर्यटक आ चुके हैं। इसको देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। मेरे पास तो आप जैसे लोगों की और दूसरे लोगों की खूब सिफारिशें आती हैं कि हमको वहां दिखायें। मैं भी कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी आवें, उनको दिखाया जाये। यह जयपुर के बिलकुल नजदीक है। दूसरा रणथम्भौर है। दूसरे जितने भी हैं वह दूर हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

परवन सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें

419. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हाड़ौती की परवन सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें कब प्राप्त हुई? उक्त प्राप्त शिकायतों की जांच कब व किसके द्वारा की गई एवं उक्त जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर किन-किन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारियों को निलम्बित किया गया? उक्त को निलम्बित करने एवं बहाल करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधिकारी वर्तमान में कहां व किस पद पर पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) परवन सिंचाई परियोजना की यथोचित प्रगति न होने एवं अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें दिनांक 24.12.2020, 09.01.2021, 20.01.2021 एवं 12.08.2021 को मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुई।

इन शिकायतों में वर्णित बिन्दुओं में से वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 01.10.2021 के द्वारा तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया (प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न), जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। शिकायतों में तकनीकी अनियमितताओं से सम्बन्धित बिन्दुओं के सन्दर्भ में अनुबन्ध के प्रावधानों तथा तकनीकी आधार पर अध्ययन करने हेतु चार मुख्य अभियन्ताओं सहित 7 सदस्यों की समिति का गठन दिनांक 03.02.2022 के आदेश द्वारा किया गया, (प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न) जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(2) परवन सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में प्राप्त उक्त शिकायतों की प्रकृति के मद्देनजर सी.सी.ए. नियम 1958 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 27.10.2021 द्वारा श्री राजीव चौधरी, मुख्य अभियन्ता, श्री कृष्ण मोहन जायसवाल, अधीक्षण अभियन्ता एवं श्री शिवशंकर, अधिशाषी अभियन्ता को निलम्बित किया गया।

निलम्बित अधिकारियों के सी.सी.ए. नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 31.07.2018 को जारी परिपत्र के अनुसरण में लम्बित जांच बहाल किये जाने के आदेश दिनांक 12.01.2022 को जारी किये गये।

(3) वर्तमान में श्री राजीव चौधरी, मुख्य अभियन्ता आर.आर.बी.ए. जयपुर, श्री कृष्ण मोहन जायसवाल, अधीक्षण अभियन्ता (कार्य) कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग उदयपुर एवं श्री शिवशंकर

मित्तल, अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रावैधिक सहायक वास्ते अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त, भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापित हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जैसा इसमें जवाब दिया है कि 01.10.2021 को तीन सदस्यों की जांच आपने कायम कर दी। उस जांच को उस आदेश में कितने समय में पूरा होना था? उसके बाद इन लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई आपने, उस जांच की रिपोर्ट तो आयी नहीं और 27.10.2021 तीन लोगों को निलम्बित कर दिया, जिसमें राजीव चौधरी, कृष्ण मोहन, एक चीफ इंजीनियर और एक एस.ई. है और एक शिवशंकर है एक्स.ईएन., इन तीनों को आपने निलम्बित कर दिया। आप एक तो यही बता दें। फिर एक नया आदेश आपने और दिया, सात लोगों की कमेटी बनायी, उस कमेटी को कितने दिन में अपनी रिपोर्ट देनी थी? अब तक इन दोनों कमेटियों के रिपोर्ट नहीं देने का क्या प्रभाव पड़ा?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 31.08.2018 को कार्मिक विभाग का एक आदेश है और इस आदेश के अनुसार ज्यादा दिन तक किसी को सस्पेंड करके नहीं रख सकते हैं इसलिए उनको, दूसरी हमारी जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी नहीं आयी और उधर कार्य अवधि पूरी हो रही थी, इसलिए उनको वापस बहाल किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ता हूं। मेरा पढ़ा हुआ तो था, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ। यह जो आपने तीन लोगों की कमेटी बनायी, 01.10.2021 को बनायी जिसमें एक धनफूल सिंह मीणा है, लेखाधिकारी, एक श्याम कुमार टेलर है, सहायक लेखाधिकारी, एक गिर्राज प्रसाद गुप्ता है। इसमें आपने लिखा है, अनियमितताओं, गबन, हानि आदि के लिए अभिलेखीय साक्ष्य (डाक्युमेंटरी प्रूफ) के आधार पर स्पष्ट उत्तरदायित्व का निर्धारण कर एक माह में विशेष जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन तय करें। यह आपका आदेश है 01 अक्टूबर का। अभी इसका एक महीना पूरा नहीं हुआ और फिर इसको सात दिन, कारण क्या है कि इसमें स्वयं मंत्री जो हैं उन्होंने शिकायत की, आपके उस एरिये के रहने वाले चार एमएलए ने शिकायत की, मुख्य मंत्री जी को चार पत्र लिखे तब तो अगस्त वाले पर आपने यह कमेटी अक्टूबर में गठित की,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक महीने में रिपोर्ट देनी थी, वो नहीं दी। फिर आपने एक दूसरी कमेटी और गठित की सात लोगों की। उन सात लोगों में मुख्य अभियन्ता अध्यक्ष है, फिर एक मुख्य अभियन्ता सदस्य है, फिर एक मुख्य अभियन्ता और है और फिर एक विधि सलाहकार, सात लोगों की समिति है। इसमें आपने लिखा है कि यह समिति निम्न बिन्दुओं पर अनुबन्धों के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी आधार पर विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट मय अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित दस दिन की अवधि में इसको पेश करे। यह आपकी है 03.02.2022 की, यह तो प्रश्न पूछने के बाद नयी जांच है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार का आरोप लगाने का आदी नहीं हूं पर मुझे बहुत दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि ये जो सन्धु है, जिसका आदेश निकला है, 30.12.2021 के दिन और मंत्रीजी के यहीं उसको लगाया है रिटायरमेंट के बाद। मैं बता रहा हूं आपको। मेरा आरोप है ये 30.12. का आदेश है और इस आदमी ने आते ही 12.01.2022 के दिन इन तीनो को बहाल करके वापस नौकरी पर लगा दिया। सन्धु, चूंकि उस समय चीफ इंजिनीयर था उस स्थान पर और उसके कारण से ही उसको 2019 में ट्रांसफर किया था सेक्रेटरी ने यह कहते हुए कि इनकी अनियमितताओं के कारण से इनको इस पद से हटाया जाता है, जब कोटा में चीफ इंजीनियर था। जो आदमी इसके अन्दर कल्प्रिट है वो आपके यहां लगा हुआ है और उसने आते ही 12 दिन में आदेश कर दिया। 12 दिन में आदेश कर दिया, इन तीनों को बहाल कर दिया ताकि न तो मतलब वो कोई बचे और न कुछ करे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान के लिए और क्या हो सकता है? आपका मंत्री है, बारां के हैं, वो शिकायत करते हैं, तीन आपके एमएलए शिकायत करते हैं, मुख्य मंत्री के यहां से जांच जाती है, जांच में इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और बिना जांच रिपोर्ट आये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि जो सन्धु आपके यहां रिटायरमेंट के बाद लगा क्या इसके आने के 12 दिन बाद इन तीनों लोगों को वापस बहाल कर दिया क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

महोदय, रिटायरमेंट हुए आदमी को लगाया है इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार का निर्णय है, डीओपी का आदेश है, उसका निर्णय है। सन्धु का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। मैं आश्वस्त करता हूं सदन को अगले 15 दिन के अन्दर दोनों कमेटियों की रिपोर्ट मंगवा ली जायेगी और जिसने भी यदि कोई गलती की है, अनियमितता की है तो उसकी ठोस से ठोस उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बस इतनी-सी बात जानता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि ये व्यक्ति सन्धु वहां पर चीफ इंजीनियर थे और उन्होंने ही वर्क आर्डर दिया है। आपका आदेश है 27.01.2019 का, उस आदेश में जो सेक्रेटरी ने निकाला, जल संसाधन विभाग के निम्नलिखित अभियन्ताओं को राज्य हित में प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किये जाने की सूचना। उसमें इनका सबसे पहला नाम है, कैलाशदान चान्दू, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोटा, इसको ट्रांसफर किया है, मुख्य अभियन्ता, डब्ल्यूआरपीडी जयपुर, ये आदेश है। इसका मतलब है कि ये स्वयं जिसने वर्क आर्डर दिया, ये रिटायरमेंट के बाद आपके यहां लगा 30.12.2021 को और इसने 12 तारीख को आते ही...

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब इन्होंने कह दिया साथ ही कर लेंगे दोनों कमेटियों की रिपोर्ट पर, इसलिए बाद में पूछ लेना। मंत्रीजी ने जब कह दिया है कि पूरी जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे तो बिलीव इट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदमी इसमें दोषी है, वो ही वहां पर नौकरी जोइन करने के 12 दिन बाद आर्डर निकल जाता है विभाग का, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अभिनेश महर्षि।

बंटवारे पर कृषि कर रहे किसानों को कृषि ऋण

420. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार रबी व खरीफ फसलों हेतु दिये जाने

(श्री अभिनेश महर्षि)
वाले ऋण में, बंटवारे पर कृषि करने वाले कृषकों के लिए फसली ऋण हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में कृषि ऋण देने में अत्यन्त विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी वर्षों में फसलों की बुवाई के प्रारम्भ में कृषि ऋण देने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि ऋण की तरह उन्नत किस्म के पशु खरीदने हेतु अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) वर्तमान में विभाग द्वारा दिनांक 11.07.2018 को जारी की गई 'अल्पकालीन फसली सहकारी साख नीति' (संशोधित) में केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले खातेदार भूमिधारक अथवा बंटाईदार सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का प्रावधान पूर्व से ही विद्यमान है।

(2) वर्ष 2019 में माह जुलाई, 2019 से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण प्रारम्भ हुआ। वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही ऋण वितरण समय पर प्रारम्भ कर दिया गया और आगे भी समय पर ऋण वितरण होगा।

(3) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रदेश में किसानों के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर '5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान योजना' संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत दीर्घकालीन कृषि ऋणों की किस्तों का नियमित चुकारा करने वाले किसानों को ब्याज दर में 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस ब्याज अनुदान योजना में उन्नत किस्म के पशु खरीदने के लिए विभिन्न ऋण यथा डेयरी ऋण, भेड़ बकरी पालन का ऋण इत्यादि भी शामिल है। अत: इन ऋणों पर भी राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता रहा है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री अभिनेश महर्षि)

माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में फसली ऋण के लिए किसानों की कितनी साख सीमा निर्धारित की है? क्या सरकार निर्धारित साख सीमा के अनुसार ऋण दे रही है?

खण्ड 3 में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कृषि ऋणों पर 5 परसेंट की ब्याज अनुदान योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज अनुदान योजना के लिए कितना बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो, कहां जा रहे हो? प्रश्न जो पूछा है, उसी से सम्बन्धित पूछो।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): उसी के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह इंफोर्मेशन आयेगी ही नहीं। बजट का पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा है और जा कहां रहे हैं। रेलेवेंट प्रश्न पूछें आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पैरे के बारे में पूछा है। दूसरा खण्ड 3 का पूछ लेता हूं। खण्ड 2 में माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में माना है कि 2019 में माह जुलाई से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण प्रारम्भ किया, तो ये देरी से क्यों किया, इसके क्या कारण रहे और उससे किसानों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी क्या?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): विलम्ब का कारण तत्कालीन समय में ऋण माफी की गयी थी और पूर्व की ऋण माफी में भारी घपला हुआ था, इस कारण से ऑनलाइन करने में दो-तीन महीने का समय गुजर गया इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन जब से ऑनलाइन कर दिया गया है, कभी भी विलम्ब नहीं हुआ है, उस वर्ष ही हुआ। जुलाई में तो शुरू कर दिया था, 31 मार्च तक का समय तो होता है, जुलाई में शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई नुकसान भी नहीं हुआ है और उसके बाद ऋण का वितरण सही तरीके से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फसली ऋण में किसानों की कितनी साख सीमा निर्धारित की है, उस साख सीमा के अनुसार सरकार ऋण दे रही है क्या? इसका उत्तर नहीं आया।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): किसानों की साख सीमा एमसीएल के आधार पर निर्धारित की जाती है और बैंक के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऋण बराबर बांटकर दिया जाता है। पूरी साख सीमा के अनुसार ऋण नहीं दिया जा रहा है, यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): कितनी साख सीमा?

श्री अध्यक्ष: मान लिया न आपका।

अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

421. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में वर्ष 2020 से 2022 तक कितने किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा अब तक जारी नहीं किया गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण किसानों की रबी की फसलें 2021 में बर्बाद हो चुकी हैं? यदि हां तो किन-किन गांवों में कितना-कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है? यदि हां तो किसानों को बीमा क्लेम क्यों नहीं दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में खरीफ फसल 2020 में कृषि आदान-अनुदान भुगतान से वर्तमान में कोई भी किसान शेष नहीं है। खरीफ फसल 2021 में फसल खराबे से प्रभावित 45,625 किसानों एवं वर्ष 2021-22 में रबी फसल में ओलावृष्टि के कारण खराबे से प्रभावित 4299 किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान किया जाना शेष है।

खरीफ फसल वर्ष 2021 के शेष 45,625 कृषकों के दस्तावेज प्राप्त किये जाकर कृषि आदान-अनुदान के भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रबी फसल वर्ष 2021-22 में ओलावृष्टि से प्रभावित 4299 कृषकों को कृषि आदान-अनुदान दिये जाने हेतु डीएमआईएस पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों का फीडिंग कार्य प्रक्रियाधीन है।

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

(2) रबी फसल वर्ष 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के 54 ग्रामों में ओलावृष्टि से फसलों में हुए खराबे का प्रतिशत एवं प्रभावित कृषकों की संख्या का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी फसल वर्ष 2021-22 में स्थानिकृत आपदाओं के अन्तर्गत बीमा क्लेम गणना प्रक्रियाधीन है। योजना प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र इन्टीमेशन पर बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश तथा केन्द्रीयांश प्रीमियम प्राप्ति उपरान्त बीमा क्लेम वितरित किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार 2021-22 में अत्यधिक बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 49,924 शेष रहे किसानों का मुआवजा एवं बीमा क्लेम का भुगतान कब तक करवा देगी?

मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह भी सही है कि बीमा प्रीमियम से भी कम राशि बीमा क्लेम में दी जा रही है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र में खरीफ फसल वर्ष 2020-21 में 1,20,317 प्रभावित किसानों में से 73,562 किसानों की राशि 30.46 करोड़ का कृषि आदान-अनुदान भुगतान कर दिया गया है। शेष 45,625 किसानों के भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

जहां तक प्रीमियम की बात है, यह जो 33 परसेंट से कम खराबा होता है, उसका फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलता है और राज्य का हिस्सा तुरन्त जमा करा दिया जायेगा और शेष को भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): 7 माह गुजर जाने के बाद शेष रहे करीबन 49,924 किसान अभी तक बाट जोह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रुकें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि जो बचे हुए किसान हैं, उनका भुगतान कब तक हो जायेगा?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): कौनसे?

श्री अध्यक्ष: जो आपके 1 लाख में से बचे हुए 46 हजार।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): 49,924 तो दोनों के हैं रबी और खरीफ के।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): मैं दोनों का ही बता देता हूं। खरीफ फसल का 2020 का तो पूरा भुगतान हो गया और 2021 की खरीफ फसल के खराब होने का 06.08.2021 को विशेष गिरदावरी करवाये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं, जो कि झालावाड़ की सुनेल और दो तहसीलों में है। 2021 की खरीफ फसल की नियमित गिरदावरी 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर के स्थान पर 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक करवायी गयी है और जो 49 हजार बाकी हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य का हिस्सा हम जल्दी ही जमा करायेंगे तो हो जायेगा और बाकी प्रक्रियाधीन है, जल्दी ही इसका भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

नागौर में परिवहन निगम की बसों का संचालन

422. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला नागौर में विगत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन की कितनी बसों का संचालन बन्द किया गया व कितनी नयी बसें प्रारम्भ की गयीं? मार्गवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जिला नागौर में विगत तीन वर्षों में बन्द की गयी बसों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में जिला नागौर में नयी संचालित की गयी बसों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। जो बसें बन्द कर दी गयी हैं, उसके क्या कारण रहे और उन बन्द की गयी बसों को वापस चलाने का क्या आप विचार रखते हैं? अगर हां, तो कब तक?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने परिशिष्ट-अ में जो लिस्ट भेजी है,

(श्रीमती मंजु देवी)

उसमें नागौर-अजमेर बस जो बन्द कर दी गयी, क्या आप अजमेर वाया तरनाऊ जायल को वापस चलाने का विचार रखते हैं? अगर हां, तो कब तक?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि बसों को बन्द करने के विभिन्न कारण रहे हैं। कुछ तो आय में कमी थी, कुछ कोरोना के कारण बन्द की गयी हैं और इसी पीरियड में हमने 13 नयी बसें भी चलायी हैं। 33 बसें बन्द की गयी थीं। जिस प्रश्नगत बस का माननीय सदस्या कह रही हैं, मैं सम्बन्धित डिपो के अधिकारियों को निर्देश दूंगा, वे माननीय सदस्या से सम्पर्क करके उसे प्रारम्भ करने की कार्रवाई पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर में आउटडोर, इन्डोर स्टेडियम का निर्माण

423. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आउटडोर, इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के श्रीविजयनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र) में एक बड़े ग्राउंड के रूप में काफी भूमि रिक्त है, क्या सरकार उक्त भूमि पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, (1) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल मैदान निर्माण का विचार किया जाता है।

(2) उक्त भूमि खेल विभाग की न होकर शिक्षा विभाग की है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल मैदान निर्माण का विचार किया जाता है।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में खेल स्टेडियम के लिए कोई भूमि चिह्नित या आवंटित की

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

गयी है? यदि भूमि आवंटित नहीं की गयी तो क्या विभाग मेरे विधान सभा क्षेत्र के श्रीविजयनगर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त भूमि पर शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त होने के बाद खेल स्टेडियम बना सकता है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी आपके विधान सभा क्षेत्र में कोई भी जमीन खेल विभाग को आवंटित नहीं है। दूसरी बात, आप विद्यालय की जमीन की कह रहे हैं, यदि शिक्षा विभाग एनओसी देता है और ब्लाक हैडक्वार्टर पर है, मेजर ध्यानचन्द की योजना के अन्तर्गत आप प्रपोजल भेजें, हम निश्चित रूप से उस पर स्टेडियम बनाने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलजीत यादव।

मुफ्त बिजली देने की योजना

424. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): प्रदेश में बिजली बिलों में कृषि, बीपीएल, छोटे घरेलू उपभोक्ताओं, टीएसपी एव सहरिया उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में नियमित अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार कम किया जा सके। उक्त दरों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.07.2021 के अनुसरण में सामान्य श्रेणी- ग्रामीण (Block Hours Supply) के कृषि उपभोक्ताओं को "मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना" के अन्तर्गत प्रतिमाह 1,000 रुपये तक अतिरिक्त अनुदान यथा अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम दिया जा रहा है। यह योजना बिलिंग माह मई, 2021 से लागू की गयी है।

गरीब परिवारों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में यह घोषणा की गयी है कि आगामी वर्ष प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

50 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवायी जायेगी। साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक उपभोग पर 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान एवं 150 से 300 यूनिट के उपभोग तक 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या छोटे किसानों एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का इरादा सरकार भविष्य में रखती है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा अभी बजट में घोषणा की गयी है कि 100 यूनिट तक घरेलू विद्युत का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली फ्री दी जायेगी और 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट राज्य सरकार की तरफ से छूट दी जायेगी और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपये प्रति यूनिट राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जानी प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: ये कृषक के बारे में पूछ रहे हैं?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): पूर्व में भी किसानों को सब्सिडी दी जाती रही है और अभी मई, 2021 से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा ''मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना'' शुरू की गयी है, उसमें राजस्थान के सभी किसानों को 1000 रुपये प्रतिमाह कृषि बिलों में छूट राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है। इसमें 6 लाख किसानों का जो बिजली का बिल है, अभी वर्तमान में इस योजना के लागू होने के बाद शून्य हो गया है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, अब और क्या बचा है?

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सर, जैसे पंजाब में अमरिन्दर सिंह

(श्री बलजीत यादव)
सरकार किसानों को पूर्ण रूप से फ्री बिजली देती थी, उसी हिसाब से यहां भी कुछ इरादा है क्या?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्दिरा देवी।

रियां बड़ी (मेड़ता) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

425. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उप-खण्ड मुख्यालय रियां बड़ी में राजकीय महाविद्यालय नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त उप-खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उप-खण्ड मुख्यालय रियां बड़ी पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय मेड़तासिटी व राजकीय कन्या महाविद्यालय मेड़तासिटी संचालित है तथा निजी क्षेत्र में 19 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि जो आपने कालेज बतायी, वह मेड़तासिटी में 30-35 किलोमीटर दूरी पर है, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि रियां बड़ी में आप कब तक कालेज खोलने का विचार रखते हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर वंचित उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर यथासमय विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। संदीप कुमार।

भिवाड़ी में मिनी सचिवालय की स्थापना

426. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप कुमार)

विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में जिला स्तर के समस्त कार्यालय संचालित होने के कारण क्या सरकार भिवाड़ी में मिनी सचिवालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): दिनांक 23 फरवरी, 2022 को की गई बजट घोषणा सं. 119 (1) में उल्लेख है कि प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु- भिवाड़ी, अलवर, सीकर, सिरोही, लक्ष्मणगढ़-सीकर, भिवाड़ी, हिण्डोली-बून्दी, श्रीगंगानगर, केकड़ी-अजमेर व बांसवाड़ा में मिनी सचिवालय की स्थापना हेतु डीपीआर बनाया जाना प्रस्तावित है।

उपखण्ड स्तर पर मिनी सचिवालय निर्माण हेतु विभाग निर्धारण के पश्चात् संबंधित विभाग द्वारा डीपीआर निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

डीपीआर प्राप्त होने के बाद उसका अनुमोदन सक्षम स्तर से करवाकर उसमें निर्धारित की गई कार्रवाई की जावेगी।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): सर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि भिवाड़ी में मिनी सचिवालय की घोषणा की।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि डीपीआर में कितना समय लगेगा क्योंकि BIDA में जमीन आबंटन में हमारे बड़ी जटिलता है जिसके कारण से पहले भी काफी काम रुके हुए हैं, तो इसके लिए क्या समय सीमा होगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डीपीआर बनाने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचंद मीणा।

टी एस पी क्षेत्र के अध्यापकों का नॉन-टी एस पी क्षेत्र में स्थानान्तरण

427. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों का नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीचंद मीणा)

(2) टी.एस.पी. क्षेत्र में नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र के कितने अध्यापक कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) एवं अनुसूची 5 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए सक्षम स्तर पर निर्णय लिया गया कि "अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिए निर्धारित समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जावें। स्थानान्तरण नीति ऐसी हो जिसमें कर्मचारियों का शुद्ध "इन फ्लो" गैर-आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र में हो। जब तक रिक्त पद भर नहीं जाएं तब तक इन फ्लो जारी रखते हुए आदिवासी क्षेत्र से गैरआदिवासी क्षेत्र में ट्रांसफर (आउट फ्लो) को हतोत्साहित किया जाए। आदिवासी क्षेत्र से किसी कार्मिक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाए जब तक उसका रिलीवर ज्वॉइन नहीं कर लेता। सभी विभागों द्वारा इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए।"

(2) शिक्षा विभाग अन्तर्गत वर्तमान में टीएसपी क्षेत्र में नॉन टीएसपी क्षेत्र के कार्यरत अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, अध्यापक लेवल-प्रथम एवं द्वितीय) का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

जिला	अध्यापक लेवल-1	अध्यापक लेवल-2	वरिष्ठ अध्यापक	वरिष्ठ शा. शिक्षक	शा. शिक्षक तृतीय श्रेणी	योग
बांसवाड़ा	129	109	19	02	15	274
चित्तौड़गढ़	22	15	17	01	06	61
डूंगरपुर	72	24	26	01	02	125
प्रतापगढ़	364	178	119	10	18	689
राजसमंद	39	22	05	0	05	71
उदयपुर	972	622	624	24	119	2361
पाली	65	46	19	00	08	138
सिरोही	182	39	46	00	18	285
योग	**1845**	**1055**	**875**	**38**	**191**	**4004**

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नॉन टीएसपी के जितने भी अध्यापक हैं जो टीएसपी एरिया में हैं उनकी पूरी जिन्दगी वहां निकल गयी है, क्या सरकार इनको वापस नॉन टीएसपी एरिया में भेजना चाहती है या नहीं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा आपको बताया कि 12 जुलाई, 2018 को एक सक्षम स्तर की मीटिंग हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि नॉन टीएसपी एरिया के लोग टीएसपी एरिया से जब तक नहीं जायेंगे जब तक वहां रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने यहां टीएसपी एरिया में 62383 सभी प्रकार के पद स्वीकृत हैं जिनमें 45404 पद भरे हुए हैं, 16979 पद रिक्त हैं। नॉन टीएसपी के मात्र 4004 पद वहां पर भरे हुए हैं जो कुल पदों का 6.41 प्रतिशत है तथा कार्यरत अध्यापकों का मात्र 8.81 प्रतिशत है।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा था...

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि नॉन टीएसपी पर टीएसपी करेंगे या नहीं, इस पर बताना है। माननीय सदस्य, आप क्या पूछ रहे हो? पूछो।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): मैं यह पूछ रहा था कि 4004 पद पर जो नॉन टीएसपी के अध्यापक हैं और यदि वहां से ये 4004 पद खाली होते तो हमारे टीएसपी एरिया के जितने भी युवक और युवतियां पढ़े लिखे हैं उनको भी नौकरी का अवसर मिलता, तो यह सरकार क्यों नहीं करना चाहती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि टीएसपी एरिया में 45 परसेंट रिजर्वेशन ट्राइबल सब प्लान एरिया का है, तो 4004 तो उसके मुकाबले में कुछ है ही नहीं, बाकी 50 परसेंट में सभी जातियां आती हैं, ओपन है। उसमें ओबीसी भी है, उसमें एससी का 5 परसेंट है, 45 परसेंट एसटी का रिजर्वेशन है और 50 में सारा ओपन है, सारी जातियां हैं, तो यह बहुत नेग्लिजेबल है तो आपके यहां से जब तक रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, नहीं तो आदिवासी एरिया खाली हो जायेगा। अब जब रीट प्रथम लेवल का इम्तिहान हुआ है, उसके 3560 पद विज्ञापित हैं और इसके डबल पदों को लेकर इसमें काउंसलिंग के लिए आदमियों की संख्या जारी कर दी है। इसमें 3560 पद भरे जायेंगे, जो निश्चित रूप से आपके यहां अध्यापकों की कमी को दूर कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जोगिन्दर सिंह अवाना।

उच्चैन नगरपालिका में नाला निर्माण हेतु बजट का आबंटन

428. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

क्या सरकार नवसृजित नगरपालिका उच्चैन में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए नाला निर्माण हेतु बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): नगरपालिका उच्चैन में वर्तमान में ड्रेनेज परियोजना हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जाती है।

श्री अध्यक्ष: कोई सप्लीमेंट्री बचा ही नहीं है।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार गन्दे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए अन्य नगरपालिकाओं की तर्ज पर उच्चैन में भी एफएसटीपी प्लांट लगाने की मन्शा रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अन्य नगरपालिकाओं के बाबत जो आपने पूछा है, चाहे वह नगर निगम हो, परिषद् हो, चाहे पालिकाएं हों, उनमें वे अपने स्तर पर जो एडीबी का प्रोग्राम है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में जो शहर आ गये, उनके अलावा वे अपने स्तर पर ही काम करते हैं इस बात के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी उच्चैन की जो जनसंख्या है वह 8713 है और आपकी नगरपालिका है वह चतुर्थ श्रेणी की है, तो चतुर्थ श्रेणी का नम्बर तो बहुत बाद में आयेगा। अभी तो पहले उनका नम्बर आता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, बैठो, हो गया।

अगला प्रश्न। पब्बाराम।

फलौदी में पौधारोपण

429. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में विगत दो वर्ष में कुल कितने पौधों का रोपण कहां-कहां पर किया गया? उसमें से कितने पौधे जीवित हैं एवं कितने पौधे नष्ट हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पौधारोपण कार्य किन-किन एजेंसियों द्वारा किया गया एवं उनको कितना-कितना भुगतान किया गया? निविदावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पब्बाराम)

(3) क्या यह सही है कि उक्त पौधारोपण, निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार ही किया गया है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वन विभाग द्वारा विगत दो वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 (फरवरी माह तक) में लगाये गये पौधे, जीवित पौधे एवं नष्ट हुए पौधों का स्थलवार विवरण परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(2) पौधारोपण का कार्य ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों (वी.एफ.पी.एम.सी.) द्वारा करवाया गया है। वी.एफ.पी.एम.सी. को किया गया भुगतान संबंधित विवरण परिशिष्ट-2 अनुसार है।

(3) विभाग द्वारा पौधारोपण का कार्य टेंडर द्वारा नहीं किया गया है। पौधारोपण का कार्य ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति (वी.एफ.पी.एम.सी.) द्वारा किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस वर्ग से आता हूं जिसके पूर्वजों ने एक ऐतिहासिक घटना में 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली में शहादत दी तो हमारे लिए पेड़ का कटना उतना दर्दनाक है जितना कि पेड़ का जलना। आपने अपने प्रश्न के जवाब में दो साल में 1 करोड़ 37 लाख 61 हजार के बजट से मेरे क्षेत्र में पेड़ लगाये जिनमें पौधे 94105 लगाये और 10776 नष्ट हुए, यह प्रश्न का जवाब आया है, परन्तु जिस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, क्या आप उनके भौतिक सत्यापन के लिए कोई समिति का गठन करना चाहते हैं और क्या आप उस समिति में मुझे भी अपना सदस्य बनाये रखना चाहते हैं? एक प्रश्न और पूछूंगा।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा जो पौधे लगाये जाते हैं उनकी समय-समय पर जांच करवायी जाती है, उसके लिए विभाग में पहले से ही कमेटी बनी हुई है और उसके द्वारा की जाती है। फिर भी अगर आपको कोई विशेष शिकायत हो कि अमुक स्थान पर जो पौधे लगाये गये हैं उनमें जीवितता बहुत कम है, नष्ट ज्यादा हुए हैं तो इस प्रकार

(श्री हेमाराम चौधरी)

की आप लिखित में मुझे शिकायत दे देंगे तो उसकी अलग से कमेटी बनाकर जांच करवा देंगे। पहले से जो कमेटी बनी हुई है उसने अगर सही जांच नहीं की है, जीवितता की गलत रिपोर्ट दी है तो उसकी जांच करवा लेंगे। जब तक आप नहीं बतायेंगे कि कहां पर किस प्रकार की पौधों में शिकायत है तो पूरे राजस्थान के बारे में तो जो अलग-अलग विभाग अपनी तरफ से जांच कर ही रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे क्षेत्र के लिए ही पूछा है। नम्बर दो, मेरे वहां पर एक लाख बीघा के अन्दर एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और वहां पर दुनियाभर के पेड़ काटे गये हैं, वनों को नष्ट किया है, तो क्या वन विभाग से उन लोगों ने अनुमति लेकर काटा है और क्या आपने उसकी जगह पेड़ लगाने का भौतिक सत्यापन उस क्षेत्र में सोलर हब में किया है? नहीं किया है तो क्या करने की इच्छा रखते हैं अथवा नहीं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वहां फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर में सोलर प्लांट की जो कम्पनियां आयी हैं उनका वहां पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो उसके साथ में पौधारोपण का भी काम हाथ में लेना चाहिए। इसके बारे में हम निर्देश देंगे कि वे पौधे लगायें क्योंकि यह शिकायत सब जगह है। वहां पर भी है। हमारे बाड़मेर में भी जो रिफाइनरी लग रही है, तेल की खोज हो रही है, गैस की खोज हो रही है तो वहां पर जिस हिसाब से उनको पौधे लगाने चाहिए वे नहीं लगा रहे हैं जिससे पर्यावरण दूषित होता है, यह बात सही है। इसलिए उन कम्पनियों को हम पाबन्द करेंगे। चाहे सोलर वाले हैं, चाहे विंड वाले हैं, चाहे रिफाइनरी वाले हैं, चाहे कोल वाले हैं या गैस वाले हैं, इन सब को पाबन्द करेंगे कि वे पर्यावरण का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगायें।

वैसे पश्चिमी राजस्थान में इन वर्षों में पौधे ज्यादा लगे हैं। वन विभाग ने भी काम किया है, लोगों ने भी, आम जनता ने भी काम किया है और लोगों की भी पौधे लगाने में रूचि बढ़ी है। पहले पेड़-पौधे थे ही नहीं, जैसलमेर में तो बरसात होती ही नहीं थी और छोटे बच्चे होते थे उनको भी मालूम नहीं था कि बरसात क्या चीज होती है पर अब वहां नहर भी आयी है और पेड़-पौधे लगे हैं तो उससे उस क्षेत्र में बरसात होने लगी है। बाड़मेर में बरसात हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, हो गया। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ये आंकड़े देख रहा हूं। मतलब, वास्तव में आपके यहां गिनती करने वाला कोई आदमी परफेक्ट है। नष्ट हुए पौधे 350, 1200, 910, 1800, 1530, 2160 सब में जीरो-जीरो नम्बर आगे आया है। मतलब, कभी किसी भी ब्लाक की गिनती में जीरो के अलावा कोई अंक आगे नहीं है, तो थोड़ा-सा इसको देखो, यह कभी नहीं हो सकता कि सारे के सारे आंकड़े जीरो से एण्ड हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं सोचता हूं इस सदन में इस प्रकार का जवाब कम से कम आप जैसे व्यक्ति से मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं। क्या विभाग है?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): आप ठीक कह रहे हैं। आपका कहना सही है। अगर इस प्रकार की शिकायत है तो हम जांच करवायेंगे। आप ठीक कह रहे हो, पौधों के मामले में वन विभाग का जो कामकाज अभी है, मैंने जब से यह विभाग सम्भाला है, मैं खुद मान रहा हूं, इसमें निचले स्तर पर काम जिस प्रकार से होना चाहिये, उस प्रकार से नहीं हो रहा है। इसके लिए पाबन्द करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। आपने जो कहा है, उस पर कार्रवाई होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

अलवर जिले में रूपारेल नदी का असमान जल बंटवारा

430. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में नटनी का बारा पर स्थित रूपारेल नदी के असमान जल बंटवारे के चलते अलवर को पूरा पानी नहीं मिलने से जयसमन्द बांध नहीं भर पा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अलवर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु उक्त जल बंटवारे को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) अलवर भरतपुर जिले को बारां वियर पर स्टेट टाइम में हुए बंटवारे के अनुसार बारां वियर से नदी में मानसून के दौरान आने वाले पानी का विभाजन 1 हिस्सा अलवर जिले तथा 1.234 हिस्सा भरतपुर जिले के लिए निर्धारित है। नदी में

(जल संसाधन मंत्री)

प्रवाह होने वाला पानी निर्धारित अनुपात में जयसमन्द बांध में प्राप्त होता है। विगत 15-20 वर्षों से क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण नदी में पानी की आवक कम होने से जयसमन्द में पानी नहीं भर पाया है।

(2) जी नहीं। उक्त जल बंटवारे को समाप्त किये जाने से भरतपुर जिले के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के मध्यनजर इसे समाप्त किया जाना विचाराधीन नहीं है। परन्तु केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति हेतु 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' विचाराधीन है, जिसमें अलवर जिले के जयसमन्द बांध में पानी अपवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा गया। प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि स्टेट टाइम में यह समझौता कब हुआ और किनके मध्य हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो वरिष्ठ मंत्री जी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1910 में दोनों जिलों के बीच में समझौता किया हुआ है और उस समझौते को अब तोड़ना सम्भव नहीं है। दूसरा मूल कारण यह है कि पानी गिरता नहीं है और न पानी की आवक है, पिछले 20 सालों से वहां पर बिलकुल भी पानी नहीं गिरा है। उस स्थिति में हम बंटवारे के अतिरिक्त पानी किसी भी जिले को देने में असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी गिरता नहीं है। अभी पिछली बार ही जब बरसात हुई थी, वहां अच्छी बरसात हुई थी। मेरा निवेदन है कि बारां वियर पर पानी निकासी के 9 द्वार हैं, पहले वहां गेट लगे हुए थे, अब वहां गेट नहीं है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वहां गेट लगाने की मंशा आप रखते हैं? और जो आपने कहा बरसात नहीं हुई, बरसात बहुत अच्छी हुई। अलवर ग्रामीण से आने माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। फिर आप उस पर चले जायेंगे तो आपके काम का उत्तर नहीं आयेगा।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जैसी अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपने विभाग के अधिकारियों से इसको दिखवा लूंगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके गेट लगवाने की हम व्यवस्था करेंगे।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयसमन्द बांध के कारण अलवर शहर की अधिकांश बोरिंग रिचार्ज होती हैं। जयसमन्द बांध बिलकुल सूखा पड़ा हुआ है अलवर में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। माननीय मंत्री महोदय, कोई वैकल्पिक व्यवस्था योजना अलवर शहर के लिए देना चाहेंगे?

श्री अध्यक्ष: ड्रिंकिंग वाटर के नहीं हैं, ये तो इरिगेशन मंत्री हैं।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): वैसे तो ड्रिंकिंग का ही है।

श्री अध्यक्ष: वह अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

सहकारी व्यवस्थापकों के स्थायीकरण हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन

431. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के स्थायीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटियों का निर्माण कर उन्हें स्थायी करने का नियम है?

(2) क्या यह भी सही है कि 2015 के पश्चात् किसी भी जिले में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर उक्त का स्थायीकरण नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब सभी जिलों में उक्त कमेटियों का गठन कर उक्त को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी नहीं। सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के लिए हर साल जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटियों का निर्माण कर व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग करने का नियम नहीं है।

(2) जी नहीं। विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त जवाब के अनुसार वर्ष 2015 के बाद निम्नानुसार बैंकों में स्क्रीनिंग का कार्य किया गया है:-

(सहकारिता मंत्री)

वर्ष	बैंकों की संख्या
2015-16	-
2016-17	8
2017-18	1
2018-19	16
2019-20	3
2020-21	-
2021-22	-
योग	**28**

(3) वर्तमान में स्क्रीनिंग कार्रवाई प्रक्रियाधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं, मेरा छोटा-सा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो सदन में यही कहना चाहूंगा, क्या सरकार सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को जो वर्षों से अस्थायी हैं, उनको स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): प्रक्रिया जारी है। स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। अभी भी पिछले दिनों डिपार्टमेंट की मीटिंग की थी और निर्देश दे दिये गये हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग करवाकर व्यवस्थापकों को कैडर बेस्ड बनायेंगे और परमानेंट करने की कोशिश जारी है।

प्रश्न संख्या 432

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मुकेश भाकर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में बंद बसों का पुन: संचालन

433. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती इन्द्रा)

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर परिवहन सुविधा नहीं है तथा उक्त को परिवहन सुविधा से नहीं जोड़ने के क्या कारण रहे? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में परिवहन सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों में पहले से चल रही परिवहन बसों को बंद किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा किन-किन गांव की परिवहन बस सेवा बंद की गई? क्या सरकार उक्त बस सेवा को पुनः चालू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है तथा निजी परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र के वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को निगम की बस सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका है।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित निगम बसों के अतिरिक्त अन्य बस संचालित किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कुछ गांवों में पहले से चल रही निगम बसों को बन्द किये जाने का कारण सहित विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र में बन्द की गई निगम बसों को पुन: चालू करने का फिलहाल विचार नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है, उसके अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र की 80 परसेंट पंचायतों में

(श्रीमती इन्द्रा)

परिवहन सेवाएं संचालित नहीं हैं। कई सारी पंचायतें, गांव, ढाणियां ऐसी हैं जहां से परिवहन सेवाएं पिछले समय बन्द कर दी गयीं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि इनमें संसाधनों की कमी बतायी गयी है। संसाधनों की कमी तो खैर ठीक है, लेकिन जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या आगे विचार रखते हैं? हमारी कई सारी पंचायत, पीपलवाड़ा और लाखनपुर की लगातार मांग उठती आयी है, क्या इन दोनों गांवों में परिवहन सेवा वापस संचालित करने का विचार रखते हैं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने जो कहा है काफी संख्या में, 50 पंचायतें हैं जो निगम से जुड़ी हुई नहीं हैं। 15 पंचायतें निगम से जुड़ी हुई हैं और 24 पंचायतें निजी बस सेवा से जुड़ी हुई हैं। माननीय सदस्य ने जिन दो स्थानों के लिए कहा है मैं सवाई माधोपुर आगार के मुख्य प्रबन्धक को निर्देश दूंगा वे माननीय सदस्या से प्रस्ताव लेकर उस पर हम सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। मंजीत धर्मपाल चौधरी।

कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति

434. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति वर्ष 2003-04 से तथा कर्मचारियों की विगत तीन वर्ष से लम्बित है? यदि हां, तो किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदोन्नतियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता (श्री अशोक): (1) जी नहीं। कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता विभाग के अंतर्गत दो विभाग व एक निगम आते हैं, जिनमें आई.टी.आई. विभाग में निदेशक प्रशिक्षण/निदेशक राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ (आरसीवीईटी) की पदोन्नतियां वर्ष 2020-21 से, उपराज्य शिक्षुता सलाहकार एवं उप निदेशक, प्रशिक्षण की पदोन्नति वर्ष 2021-22 से, सहायक निदेशक प्रशिक्षण/आचार्य/ औप्रसं/प्रबंधन उत्पादन केन्द्र की पदोन्नति वर्ष 2021-22 से, उपाचार्य/

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

अधीक्षक/औप्रासं की पदोन्नति वर्ष 2021-22 से, समूह अनुदेशक की पदोन्नति वर्ष 2021-22 से, एवं वरिष्ठ अनुदेशक की पदोन्नति वर्ष 2020-21 से लम्बित हैं।

मंत्रालयिक संवर्ग की वर्ष 2021-22 तक की सभी पदों की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है।

रोजगार विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति में निदेशक पद की पदोन्नति 2006-07 से संयुक्त निदेशक पद की पदोन्नति वर्ष 2008-09 से उप निदेशक पद की पदोन्नति वर्ष 2009-10 से तथा सहायक निदेशक पद की पदोन्नति बैठक वर्ष 2015-16 से लम्बित है। वरिष्ठता सूची का निर्धारण नहीं होने के कारण निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक पदों की डीपीसी नहीं हो पायी।

कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 2020-21, 2021-22 (दो वर्ष) से लम्बित है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की वरिष्ठता सूची पर आपत्ति के कारण पदोन्नति प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है।

वर्तमान प्रावधानुसार राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम के समस्त पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति उनके पैतृक विभाग द्वारा की जाती है, अतः सूचना शून्य है।

(2) जी हां। ITI विभाग में निदेशक प्रशिक्षण/निदेशक आरसीवीईटी की 2020-21 से, उपराज्य शिक्षुता सलाहकार एवं उप निदेशक, प्रशिक्षण की वर्ष 2021-22 से, सहायक निदेशक प्रशिक्षण/आचार्य औप्रसं/प्रबन्धक उत्पादन केन्द्र की 2021-22 से, उपाचार्य/अधीक्षक औप्रसं की 2021-22 से, समूह अनुदेशक की 2021-22 से तथा वरिष्ठ अनुदेशक की 2020-21 एवं 2021-22 के डीपीसी हेतु प्रस्ताव भिजवाये जा चुके हैं तथा डीपीसी का कार्य प्रक्रियाधीन है।

रोजगार विभाग में डीपीसी हेतु संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक पदों के प्रस्ताव दिनांक 17-02-2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दिये गये हैं। आयोग से तिथि एवं समय निर्धारित होते ही डीपीसी की कार्रवाई पूर्ण कर ली जावेगी।

रोजगार विभाग में प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की वरिष्ठता सूची जारी कर डीपीसी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा गया, प्रश्न पूछें श्री मंजीत।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन व वरिष्ठता सूची के अनुसार डीपीसी 2002-03 से लम्बित है, जबकि जवाब के अन्दर 2008-09, 2009-10, 2015-16 बताया गया है। कौन सही है? इनमें से यदि कोई एक व्यक्ति गलत है तो क्या उनकी जिम्मेदारी तय करके आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2002 में मितव्ययता समिति बनी थी और उसने हमारी 8 डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट में से 6 डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट खतम कर दी थी, तो यह मानना कि डीपीसी तब से ही पेंडिंग है, जब पोस्ट ही नहीं तो डीपीसी तब से पेंडिंग नहीं है, लेकिन 2007 में हमको फिर से 2 वैकेंसी मिली तो 2008 से यह डीपीसी पेंडिंग हुई। इसकी कार्रवाई में अभी आरपीएससी को 17 फरवरी को लिख दिया गया है। आरपीएससी से जैसे ही हमें डेट मिलती है, तुरन्त प्रभाव से डीपीसी कर दी जायेगी। निश्चित रूप से माननीय सदस्य की भावना जो है कि इतने वर्षों में, अगर 2003 से नहीं होकर 2008 से भी नहीं है, तो इसमें कहीं न कहीं गलती तो विभाग के अधिकारियों की रही है। इसमें मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है तो मैं निश्चित रूप से सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाऊंगा और इनके कारण जरूर पता करूंगा कि इतने सालों में डीपीसी क्यों नहीं हुई?

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि डीपीसी के प्रस्ताव 07.02.2022 को आरपीएससी के पास पहुंच गये तो क्या आप उन प्रस्तावों को जल्द से जल्द इसी माह के अन्दर 31.03.2022 तक पूरा करवा देंगे? डीपीसी तैयार करवा देंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया का यही सिस्टम है कि हम आरपीएससी को लिखते हैं। आरपीएससी डेट देते ही हम उसके ऊपर प्रक्रिया करवा देंगे। इस बार हम डिले नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जे.पी. चन्देलिया जी।

जमवारामगढ़ में किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति

435. श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी) (श्री गोपाल लाल मीणा (जमवारामगढ़) के स्थान पर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में किसानों को एक ब्लाक दिन में तथा एक ब्लाक रात में विद्‌युत की सप्लाई दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के किसानों द्‌वारा दो ब्लाक दिन में बिजली की सप्लाई देने हेतु लगातार मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति थ्री फेज की विद्‌युत सप्लाई दो ब्लाक दिन में दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। वर्तमान में प्रभावी आदेशों की अनुपालना में दिन व रात के साप्ताहिक बदलते ब्लाक में किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्‌युत आपूर्ति की जा रही है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। पूर्व में दिन के दो ब्लाक में विद्‌युत आपूर्ति नहीं की जा रही थी। यद्‌यपि बजट घोषणा 2020-21 में प्रदेश के किसानों को चरण बद्ध तरीके से विद्‌युत तंत्र सुदृढ़ीकरण कर दिन के दो ब्लाक में कृषि कार्य हेतु विद्‌युत आपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र जयपुर जिले में आता है। जयपुर जिले के अन्तर्गत विद्‌युत तंत्र सुदृढ़ीकरण के कार्यो को द्‌वितीय चरण में सम्मिलित किया गया है, अत: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से विद्‌युत तंत्र सुदृढ़ कर आगामी वर्ष 2022-23 में दिन के दो ब्लाक में विद्‌युत आपूर्ति किया जाना लक्षित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: उत्तर मान लिया गया। कुछ प्रश्न पूछना है?

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय मंत्री महोदय, रात में बिजली आने से किसानों को बहुत परेशानी होती है, दिन में आप कब तक ब्लाक चालू रखने का विचार रखते हैं?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के कृषि उपभोक्ताओं को रात्रि में सिंचाई से होने वाली असुविधाओं से निजात दिलाने के लिए सरकार द्‌वारा बजट वर्ष 2020-21 में यह घोषणा की गयी थी कि चरणबद्ध तरीके से कृषि उपभोक्ताओं को दिन के ही दो ब्लाक में

(श्री भंवर सिंह भाटी)

सिंचाई हेतु थ्री फेज विद्युत आपूर्ति की जायेगी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति हेतु एक वृहत् स्तर पर विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और तीन वर्ष की अवधि में दिन के दो ब्लाक में विद्युत आपूर्ति किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

अध्यक्ष महोदय, जिसमें से प्रथम चरण में हमने 16 जिले लिए हैं, जिनमें से 14 जिलों में दिन में ब्लाक में बिजली दी जा रही है और दो जिलों में, जिसमें जालौर और जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में दिन के ब्लाक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा शेष क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है, 5 जिले द्वितीय चरण में हैं।

अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न जो है, वह जयपुर जिले से सम्बन्धित है। जो द्वितीय चरण है उसमें इस वर्ष के अन्त तक जयपुर जिले में और विशेषकर जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में, मैं बताना चाहूंगा कि अप्रैल, 2022 से दो ब्लाक में दिन में किसानों को बिजली आलमोस्ट 90 परसेंट से अधिक दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गावड़िया।

जैसलमेर में महाविद्यालयों का क्रमोन्नयन

436. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर) (श्री रूपाराम (जैसलमेर) के स्थान पर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में संचालित राजकीय महाविद्यालयों तक पहुंचने के लिए ग्राम, ढाणियों के छात्र-छात्राओं को राज्य की अन्य विधान सभा क्षेत्रों में संचालित महाविद्यालयों से लगभग 8 से 10 गुणा दूरी अधिक तय करनी पड़ती है? यदि हां, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) प्रदेश में स्नातक स्तर के 229 राजकीय महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर स्तर के 143 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र के 03 महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें सेठ सांगीदास बालकिशन कोठारी राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर व स्व. श्री मिश्रीलाल सांवल राजकीय कन्या महाविद्यालय, जैसलमेर पूर्व से स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित है। राजकीय महाविद्यालय फतेहगढ़ स्नातक स्तर पर संचालित है।

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में सांकड़ा (पोकरण) व रामगढ-जैसलमेर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी। बजट घोषणा की प्रति परिशिष्ट-03 पर संलग्न है। उक्त घोषणा की पालना के क्रम में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दिनांक 16.03.2022 को जारी कर दी गई है। वर्तमान में जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(समय: 12.00 बजे)

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

रामरिछपाल नुवाल, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामरिछपाल नुवाल के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री रामरिछपाल नुवाल का जन्म 21 दिसम्बर, 1935 को भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा में हुआ। आपने माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामरिछपाल नुवाल दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिए मई, 1995 में हुए उप चुनाव में भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के

(श्री अध्यक्ष)

विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति एवं नियम समिति के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री नुवाल वर्ष 1991 से 1994 तक नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री नुवाल तीन बार पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री नुवाल अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे।

श्री रामरिछपाल नुवाल का दिनांक 15 मार्च, 2022 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रशासन की लापरवाही से कोटा शहर में दायीं व बायीं नहरों में डूबने के कारण हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से यूक्रेन से विस्थापित विद्यार्थियों का MBBS कोर्स भारत के मेडिकल कालेजों में पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा की पंचायत समिति बदनौर में पूर्व में संचालित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को पुन: संचालित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से नगरपालिका छबड़ा को डी-श्रेणी से सी-श्रेणी में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा तहसील के सरूपगंज और खारा को रेवेन्यू विलेज घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लूणकरणसर में लूणकरणसर मंडी क्षेत्र व रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप बेशकीमती 209 बीघा आराजीराज भूमि का नियमों के विपरीत गलत आवंटन करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री कालूराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में जल जीवन मिशन के तहत पुरानी लाइनों को तोड़कर उन्हीं को नये कनेक्शन दिये जाने तथा PHED द्वारा ग्राम पंचायत चौमहला में पानी के बिल लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से सिवाना विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण एवं मिसिंग लिंक योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में हाईवे 74 पर सारोला कलां में अर्द्ध निर्मित सड़क पर टोल लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की तखतगढ़ नगरपालिका में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से जालौर जिले में बाट एवं माप जिला अधिकारी के रिक्त पद होने से व्यापारियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(13) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पटवारियों के रिक्त पद भरे जाने तथा पटवारियों को RPG आई.डी. के अधिकार जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से रामगंज मण्डी क्षेत्र की अधूरी तकली सिंचाई परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों को एक्सग्रेसिया का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में आये दिन पोटाश गोलों से गाय व अन्य वन्य जीवों की दर्दनाक मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर में नाबालिग के साथ गैंगरेप व हत्या कर देने से आमजन में आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(18) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति में गिरावट आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से भाखड़ा नहर व इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कच्चे व क्षतिग्रस्त खालों को पक्का करने के सम्बन्ध में।

(20) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में एक दुकान में भीषण आग लगने से हुए नुकसान का पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री नारायण बेनीवाल, श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं श्री निर्मल कुमावत को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में कोरोना काल के दौरान बच्चों की स्कूल फीस सरकारी स्तर पर जमा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री संदीप कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में अहीर रेजीमेन्ट का गठन भारतीय सेना में किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में स्कूल व्याख्याता व कालेज व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर के पहाड़ी इलाकों में अवैध बस्तियां बसाकर किये जा रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से धौलपुर में रीको इंडस्ट्रियल एरिया की बंद फैक्ट्रियों को पुन: चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर जिले में कच्ची बस्तियों के निवासियों को फ्री-होल्ड पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन तथा आस-पास के क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण से जनजीवन प्रभावित होने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से प्रदेश में नगरीय विकास और आवासन विभाग द्वारा अवाप्ताधीन जमीनों के दो दशक से अधिक पुराने न्यायिक वादों में सुदृढ़ पैरवी का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से जयसमन्द झील की नहरों का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से जारी राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दहीकड़ा में क्रोप कटिंग प्रयोग में अनियमितता बरतने से किसानों को आपदा अनुदान से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन हेतु स्वीकृत बजट को अन्यत्र खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती कृष्णा पूनियॉ, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में डेडिकेटेड साइक्लिंग ट्रैक निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल की समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नारायण बेनीवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति में गिरावट

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव। राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन, राजफैड व सहकारिता विभाग की अनदेखी से सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में गिरावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं का जो त्रिस्तरीय ढांचा है वह पूरी तरह से लड़खड़ा गया है। मंत्री जी भी विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करूंगा कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, जो कि बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, एक तरफ चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, हम यह बात जरूर कह रहे हैं, नया कृषि बजट भी ला

(श्री नारायण बेनीवाल)

रहे हैं, किसानों की हम स्थिति भी सुधारेंगे, उनकी आय भी दुगुनी करेंगे और एम एस पी को गारंटी का कानून बनाने की बात भी देश में चल रही है और एम एस पी का काम करने वाली संस्थाएं, जो क्रय-विक्रय सहकारी संस्थाएं हैं, उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि एक तो इस त्रिस्तरीय ढांचे को आप सुधारने का काम करें।

दूसरा, यदि यह संस्था डीएलसी रेट पर जमीन खरीदना चाहे तो कानून में यह प्रावधान लाएं कि यह संस्था डीएलसी रेट पर जमीन खरीद सकती है। नैफैड और राजफैड की स्थिति को लेकर क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की हालत खराब हो रही है। एम एस पी की खरीद में उनके वज़न के कारण, उनको समय पर कमीशन नहीं मिलने के कारण और कार्मिकों को स्थायी करने को लेकर कोई ठोस नीति की मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा। आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

भाखड़ा नहर व इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में कच्चे व क्षतिग्रस्त खालों का सुदृढ़ीकरण

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना व भाखड़ा सिंचाई परियोजना, यह दो योजनाएं हैं और पूरा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है परंतु भाखड़ा में आज तक राजस्थान सरकार ने किसी तरह के खाले नहीं बनाये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां के काश्तकार यह चाहते हैं कि हमारे खेत में भी पूरा पानी जाये। जब कच्चे खाले होंगे तो पूरा पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए भाखड़ा में जो योजना पहले लागू थी, उसे वापस लागू करें।

इसके अलावा 1980 में राजस्थान कैनाल में पक्के खाले बने थे। आपने जैसलमेर में तो पक्के खाले पुन: बनाने के आदेश दे दिये, मेरे क्षेत्र में जर्जर हालात में खाले हैं, वे खाले रिपेयर तो नहीं हो सकते, नये खाले बनाने की मांग मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

इसी के साथ-साथ 1965 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण हुआ था, उस समय पर पुल बने थे। लखुवाली हैड पर जो मेगा हाईवे जाती है,

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

वहां वह जर्जर अवस्था में है, क्षतिग्रस्त है। 108 आरडी, 84 आरडी, 99 आरडी, पर भी क्षतिग्रस्त है। जो पुल इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आज से 65 साल पहले बने थे, वे आज बहुत ही जर्जर हालत में हैं और कहीं भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पुनर्निर्माण भी कर रहे हो, परन्तु उसमें पुलों का कोई प्रावधान नहीं किया है। जहां नहर का निर्माण पुन: कर रहे हो तो मैं यह चाहता हूं कि उन जर्जर पुलों की हालत भी सुधरे और नये बनें, ताकि कोई हादसा न हो सके। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमार।

किशनगढ़-रेनवाल में घटित अग्निकांड के पीड़ितों को सहायता

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां किशनगढ़-रेनवाल में 17 तारीख को श्रीमान बजरंग लाल जांगिड़ के यहां बहुत ही भीषण अग्निकांड हुआ। संदिग्ध परिस्थितियों में लगभग 50-60 लाख के कृषि संबंधी माल को आग लगा दी। उनकी शंका है कि किसी ने व्यापारिक द्वेष से आग लगा दी। मैं दो मांगें सरकार से करना चाहूंगा। एक तो पुलिस उसकी निष्पक्ष जांच करे, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और दूसरा, उनको राजस्थान सरकार से उचित मुआवजा मिले।

अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा सरकार की कार्यशैली के बारे में बताना चाहूंगा। किशनगढ़रेनवाल मेरे यहां सबसे बड़ा नगरपालिका क्षेत्र है और 2018-19 में पांचवें राज्य वित्त आयोग से 65 लाख रुपये दमकल के लिए राजस्थान सरकार ने उनके काट रखे हैं और पिछले चार साल से सारे जनप्रतिनिधि और मैं खुद लगातार चक्कर काट रहा हूं। पैसा काटने के बाद हमें आज तक दमकल नहीं दी गई। लगभग 2 घंटे तक वहां दमकल नहीं आई, इतनी भीषण आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिली। मैंने 2020 में भी यह क्वेश्चन लगाया तो यह जवाब मिला कि जल्दी दे रहे हैं। 2021 में मैंने क्वेश्चन लगाया तो उसमें कहा कि 200 क्रय कर रहे हैं और इस साल भी मैंने क्वेश्चन लगाया, उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह कैसी कार्यप्रणाली है कि पैसा हमारा चार साल से काट लिया और हमें अभी तक दमकल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि हमें दमकल मिले और उनको उचित मुआवजा मिले और पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मेरी यही मांग है ताकि जांगिड़ साहब को न्याय मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री अशोक लाहोटी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोरोना काल के दौरान बच्चों के स्कूल की फीस सम्बन्धी व्यवस्था

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि कोरोना काल के दौरान पूरे देश-प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। यह एक बीमारी नहीं बल्कि एक मानवीय संकट था। उस दौरान अभिभावकों की पूरी की पूरी कमाई इलाज एवं अपने परिवार के भरण-पोषण करने में खर्च हो रही थी। लोगों के पास आमदनी के कोई स्रोत नहीं बचे थे। जिस किसी की नौकरी बची हुई थी, उसकी भी तनख्वाह 50 प्रतिशत तक कम कर दी गई थी। ऐसे समय में अभिभावक अपने बच्चों के स्कूल की फीस को लेकर चिंतित थे। अभिभावक सम्पूर्ण फीस देने में असमर्थ थे। अभिभावकों ने राज्य सरकार व कोर्ट/हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद भी राज्य सरकार या कोर्ट की तरफ से इनको कोई राहत नहीं मिल पायी। अभिभावक पूर्ण फीस भरने के लिए मजबूर हैं, जबकि अधिकांश बच्चे दो वर्षों से घर पर स्वयं ही पढ़ रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं।

राज्य सरकार का शिक्षा में 67 हजार करोड़ रुपये का भारी बजट है, कई वर्षों से यह पूरा खर्च भी नहीं हुआ है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के जिन मध्यम वर्गीय अभिभावकों की वार्षिक आय 15-20 लाख से कम है, उनके बच्चों की फीस सरकार अपने स्तर पर जमा करवाकर अभिभावकों को राहत प्रदान करे।

अत: मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप यादव।

(समय: 12.14 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

अहीर रेजीमेंट का भारतीय सेना में गठन

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री संदीप कुमार)

विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि पिछले कई वर्षों से सेना में अहीर रेजीमेंट को लेकर चल रहे देश व्यापी आंदोलन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के खेड़की दौला, जिला गुडगांव में चल रहे आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया है। आंदोलन में विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों/जनप्रतिनिधियों के समर्थन के बाद दिनांक 23.03.2022 को अहीर रेजीमेंट के समर्थन में विभिन्न समाजों के लाखों लोग शामिल हुए। देश की संसद से लेकर विधान सभा तक में विभिन्न समाजों के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मांग का समर्थन किया जा चुका है।

महोदय, यदुवंशी शौर्य का इतिहास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब भी देश पर कोई आपदा आई है, उसमें चाहे विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण की बात हो या फिर 1857 की क्रान्ति की बात हो, देश के स्वाधीनता आंदोलन से लेकर पड़ोसी देश के साथ हुए युद्ध की बात हो, चाहे संसद पर आतंकी हमले की बात हो, अहीर रणबांकुरों ने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की रक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महोदय, अत: इन वीर सैनिकों के रण-कौशल व अदम्य साहस, बलिदान व देशभक्ति के समर्पण भाव का सम्मान रखते हुए देश की बड़ी संख्या में अहीर समाज के लोगों के साथ-साथ ही राजस्थान प्रदेश के भी अहीर समाज के लोगों की भावना को भी ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना में अहीर रेजीमेंट के गठन का प्रस्ताव लेकर अभिशंसा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भिजवाये जाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

डूंगरपुर में स्कूल व कालेज व्याख्याताओं के रिक्त पद

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत डूंगरपुर जिले में स्कूल व्याख्याता व कालेज व्याख्याताओं के रिक्त पदों से जिले में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में 375 राजकीय माध्यमिक व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इन समस्त विद्यालयों

(श्री राजकुमार रोत)

में कुल 561 अध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इसी प्रकार डूंगरपुर जिले में कुल 6 राजकीय महाविद्यालय हैं। इनमें सभी कुल पदों में से 70 प्रतिशत व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजकीय भोगीलाल पण्ड्या महाविद्यालय, डूंगरपुर में कुल 80 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं, इनमें से भी 50 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों के आंकड़ों से सरकार को समझ जाना चाहिये कि डूंगरपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र के छात्रों के साथ क्या बीत रही होगी।

आदिवासी बहुल क्षेत्र के छात्र मात्र डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, इनका शिक्षण कार्य व ज्ञानवर्धन बिलकुल नहीं हो रहा है। इस वजह से जिले में राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों से छात्रों का विश्वास उठ रहा है और साथ ही निजी विद्यालय व निजी महाविद्यालयों में गरीब का बच्चा पढ़ने को मजबूर है। इससे शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।

राज्य सरकार ने गैर अनुसूचित क्षेत्र के निवासी, जो अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में लगे हुए हैं, उन पर तो स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन दूसरी ओर स्कूल व्याख्याताओं व कालेज व्याख्याता, जिनकी प्रथम/नवीन नियुक्ति होने के कुछ ही दिन में अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में राजनीतिक पहुंच लगाकर अपना स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति करवा देते हैं। कई व्याख्याता ऐसे भी थे जिनकी प्रथम नियुक्ति डूंगरपुर जिले में हुई थी, लेकिन सरकार की अनुसूचित क्षेत्र के प्रति उदासीनता की वजह से वे व्याख्याता हमारे राजकीय महाविद्यालयों का चेहरा देखे बिना ही अपना जैक लगवाकर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति करवा लेते हैं।

राज्य सरकार से अनुरोध है कि डूंगरपुर जिले के रिक्त स्कूल व्याख्याता व कालेज व्याख्याताओं के पद जल्द भरे और साथ ही राज्य सरकार नवीन स्कूल व कालेज व्याख्याताओं की भर्ती में चयन होने वालों को अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम नियुक्ति दी जावे और साथ ही अतिशीघ्र अनुसूचित क्षेत्र में लगे स्कूल व्याख्याता व कालेज व्याख्याताओं के प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर 7 वर्ष तक प्रतिबंध लगाये।

अत: राज्य सरकार आदिवासी गरीब व दलित को सुविधा देकर एक बार बराबरी व मुख्य धारा में आने का अवसर तो दे, तब हम भी दिखा देंगे कि हमारे में कितनी प्रतिभा है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध कब्जे

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत 'अजमेर शहर के पहाड़ी इलाकों में अवैध बस्तियां बसाकर किये जा रहे अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किये जाने' के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरे अजमेर शहर में पहाड़ों पर लगातार अवैध बसावट हो रही है। 250 से ज्यादा अवैध बस्तियां पहाड़ों पर बस चुकी हैं। 60 प्रतिशत पहाड़ी इलाके में अवैध कब्जे हो चुके हैं। अवैध कब्जे इस कदर बढ़ते रहे तो कुछ ही सालों में पहाड़ों पर 'कंकरीट के पहाड़' ही नजर आयेंगे। आज अजमेर में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पहाड़ या तो ढंक चुके हैं या खतम होने के कगार पर हैं। लोगों ने पहाड़ों को काटकर आशियाने बना लिए हैं। यह सिलसिला रात-दिन जारी है। देखते ही देखते पहाड़ों पर सैकड़ों कच्चे-पक्के मकान और दुकानें बन गयी हैं। सम्बन्धित जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों की सांठ-गांठ से ऐसी जगहों पर बिजली-पानी के कनेक्शन तक भी मिल गये हैं। शास्त्री नगर, वैशाली नगर, नागफणी-बरोज, तारागढ़ सड़क का क्षेत्र, धोलाभाटा, आंतेड़-राजीव कालोनी क्षेत्र, पंजीयन कार्यालय के पीछे, जटिया कालोनी सहित दर्जनों इलाकों में पहाड़ों पर निरन्तर अवैध कब्जे का कार्य धड़ल्ले से जारी है। गत वर्षों में बारिश के दौरान पहाड़ों पर बने मकान और अन्य निर्माण ढहने से कई बार हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद अतिक्रमणकारी बेपरवाह अतिक्रमण को अंजाम दे रहे हैं।

वर्ष 2011-12 में उच्च न्यायालय ने अजमेर में अरावली पर्वतमाला से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे। तब कच्ची बस्तियों में नोटिस जारी कर कुछ कार्रवाई भी की गयी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अरावली पर्वतमाला का अधिकांश क्षेत्र वन विभाग व अजमेर विकास प्राधिकरण के अधीन आता है। पहाड़ियों पर किये जा रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए इन दोनों विभागों ने कई बार ऊपर-ऊपर से कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत एवं उदासीनता के चलते पहाड़ियों पर अवैध कब्जा व उस पर अवैध निर्माण का कार्य जोरों पर है।

अत: मेरा आग्रह है कि विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम, 295 (विशेष उल्लेख) के अन्तर्गत 'अजमेर शहर के पहाड़ी इलाकों में अवैध बस्तियां बसाकर किये जा रहे अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने एवं दोषियों

(श्री वासुदेव देवनानी)

के खिलाफ सख्त कार्रवाई किये जाने' हेतु सम्बन्धित विभाग को पाबन्द करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

धौलपुर में रीको औद्योगिक क्षेत्र की बंद फैक्टरियों का पुन: संचालन

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, निवेदन है कि धौलपुर में जो रीको इंडस्ट्रियल एरिया है, वह इस मकसद से खोला गया था कि यहां बहुत-सी फैक्ट्रियां खुलेंगी और उनमें हमारे धौलपुर के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी आशा में हमारे किसानों ने अपनी जमीन को दिया था और इंडस्ट्रियल एरिया खोला गया था, लेकिन, श्रीमान, लोगों ने केवल शुरुआती फायदा लेने के लिए फैक्ट्रियां खोलीं और फायदा लेकर के उनको बन्द कर दिया। आज धौलपुर में नाम मात्र की फैक्ट्रियां चल रही हैं और हमारे लोग अपना घर छोड़कर अन्य प्रदेशों में रोजगार पाने के लिए मजबूर हैं। अत: माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि जो फैक्ट्रियां बन्द पड़ी हुई हैं उनको पुन: चालू कराने की मजबूत योजना बनायी जाये और जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, उनकी रेट कम करके इस कंडीशन के साथ में व्यापारियों को दिया जाये कि वे लोग एक निर्धारित समय में फैक्ट्री खोलेंगे और उसको लगातार चालू रखेंगे। ऐसा नहीं करने पर उनसे प्लाट सरकारी रेट में दूसरे व्यापारी को दे दिया जायेगा, जिससे व्यापारी अपनी फैक्ट्री को चलाने का प्रयास करेगा, जिससे धौलपुर के लोगों को रोजगार मिल सकेगा और सरकार की इनकम में भी इजाफा होगा।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर में कच्ची बस्तियों के निवासियों को फ्री-होल्ड पट्टों की प्रदायगी

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

उपरोक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि सन 1975 की अजमेर में भीषण बाढ़ से गरीब तबके की कई बस्तियां तहस-नहस हुई थीं, जिसमें से प्रमुख भगवान पुरा पालबीसला जादूघर बस्ती, नगरा बस्ती, गुर्जर

(श्रीमती अनिता भदेल)

धरती, रावड़िया मौहल्ला, अशोक नगर भट्टा, उत्तमचन्द सुनार का बाड़ा आदि प्रमुख बस्तियां थीं। उस समय तत्कालीन राज्य सरकार के आदेशानुसार अजमेर के नगर सुधार न्यास, अजमेर को उक्त प्रभावित सभी कच्ची बस्तियों को पुनर्वास हेतु योजना बनाकर सभी बस्तियों के निवासियों को 50-50 वर्ग गज के पट्टा राशि रुपये 300/- एवं 15.00 साइट प्लान के लेकर आबंटन पत्र (पट्टा) जारी किया गया था। सभी के भूखण्ड केवल रहवासीय कार्य हेतु 99 वर्ष की लीज पर आबंटन किये गये थे।

न्यास की पुनर्वास योजना में 50 वर्ग गज तक के पट्टों को भगवान पुरा पालबीसला एवं उक्त समस्त कालोनियों के रहवासियों ने अजमेर प्रशासन शहरों के संग अभियान में फ्री-होल्ड का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र मय सभी दस्तावेजों के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण में आवेदन किया था परन्तु उक्त कालोनियों के आवेदकों को फ्री-होल्ड का पट्टा जारी करने हेतु इनकार करते हुए यह कहा गया कि कच्ची बस्ती के पट्टों का फ्री-होल्ड किया जाना सम्भव नहीं है।

श्रीमान, उक्त कच्ची बस्तियों के हजारों निवासियों के पट्टे 99 वर्ष की लीज पर दिये गये थे तो क्या इन गरीब तबके के लोगों के फ्री-होल्ड पट्टा जारी नहीं करना उनके साथ न्याय संगत नहीं है। अत: आपसे अनुरोध है कि आज अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की कच्ची बस्तियों के निवासियों को फ्री-होल्ड का पट्टा जारी करने के निर्देश प्रदान करावें, ताकि सभी को राहत मिल सके।

आपसे करबद्ध निवेदन है कि अजमेर के सभी कच्ची बस्ती के निवासियों को फ्री-होल्ड का पट्टा दिलाया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा (अनुपस्थित)। श्री अर्जुन लाल जीनगर (अनुपस्थित)। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

अवाप्ताधीन जमीनों के न्यायिक वादों में सुदृढ़ पैरवी का अभाव

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान प्रदेश में नगरीय विकास और आवासन विभाग द्वारा अवाप्ताधीन और विभाग के पक्ष में

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

नामान्तरण हो चुकी जमीनों के दो दशक से अधिक पुराने न्यायिक वादों में सुदृढ़ पैरवी के अभाव की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। इस क्रम में निवेदन है कि:-

1. प्रदेश में राजस्थान आवासन मण्डल और नगरीय विकास विभाग के अधीन यू.आई.टी., जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा अवाप्ताधीन और नामान्तरण होकर विभाग के नाम से खातेदारी में दर्ज बहुत जमीनों के अनेक मामले विभिन्न स्तर के न्यायालयों में लम्बित हैं। ये न्यायिक वाद दो दशक से ज्यादा अवधि से लम्बित हैं।
2. उक्त प्रकरण मुख्यतया सुदृढ़ पैरवी के अभाव में लम्बित हैं। ऐसे समस्त न्यायिक वादों में या तो अब तक जवाब ही दाखिल नहीं हुआ, अथवा जवाब दाखिल हो गया है तो लगातार आगे की पेशी तारीख ही ली जा रही है।
3. ऐसा विभाग के अधिकारियों की जमीनों के पूर्व मालिकों के बीच हितबद्धता के कारण हो रहा है। इन प्रकरणों के लम्बित रहने के कारण विभाग की मूल योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिससे योजना का स्वरूप ही बिगड़ गया है और अनेक योजनाओं में ओ.सी.एफ. चिह्नित भूखण्डों पर विभागीय लापरवाही से कच्ची बस्तियां और अवैध कब्जे तक आबाद हो चुके हैं। इससे अब उन योजनाओं के सार्वजनिक उपयोग की मूलभूत सुविधाओं का विकास असम्भव हो गया है।
4. उक्त प्रकरणों के लम्बित रहने के कारण वाद सुलटारे का जब नेगोशियेशन होगा तो दो दशक पुरानी दरों के स्थान पर वर्तमान दरों पर होने से प्रदेश में अरबों रुपयों की राजस्व हानि सरकार की होगी। साथ ही, दो दशक पुराने नियमों में सन 2001 से पहले अवाप्ति के बदले केवल तय दरों अनुसार नकद राशि दी जाती थी, उसके बाद अवाप्ति के बदले 15 प्रतिशित विकसित भूमि और उसके बाद 25 प्रतिशत विकसित भूमि दी जाने लगी तो दो दशक तक न्यायिक वाद लम्बित रहने के कारण यदि अब नेगोशियेशन नवीनतम नियमों के आधार पर हो तो सरकार को अभूतपूर्व हानि होगी।

मेरी मांग है कि सरकार अविलम्ब ऐसे समस्त लम्बित न्यायिक वादों की नवीनतम अद्यतन स्थिति का मय प्रकरण कब से, किस कारण से और

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

किस अधिकारी की लापरवाही से लम्बित हैं, का अंकन करते हुए श्वेत पत्र जारी करे। इसके साथ ही उक्त समस्त प्रकरणों के निस्तारण की समयबद्ध कार्ययोजना सदन की मेज पर रखे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल।

कपासन तथा निकटवर्ती क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के क्रम में।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तथा आसपास के क्षेत्रों में कई उद्योग लगे हुए हैं जिनमें से कई उद्योग ऐसे भी हैं जिनसे पर्यावरण दूषित हो रहा है तथा जन जीवन प्रभावित हो रहा है, पेड़-पौधों व फसलों को नुकसान हो रहा है। जूबीलेन्ट सुपरफास्फेट खाद उद्योग, सिंहपुर; गणपति खाद उद्योग, निम्बाहेड़ा; सुपरफास्फेट खाद उद्योग, सनवाड़, उदयपुर से एसिड युक्त गैस छोड़ी जाती है, जिससे आसपास के गांव में हवा के साथ जहरीली गैस के फैलने से लोगों को श्वांस लेने में परेशानी होती है। वर्षा के मौसम में सुपरफास्फेट खाद उद्योग के चलने से उद्योगों से निकलने वाली जहरीली एसिड युक्त गैस वर्षा के पानी के साथ मिलकर फसलों पर गिरने से फसलों को नुकसान होता है। सिंहपुर के आसपास के गांवों में, निम्बाहेड़ा के आसपास के गांवों में सनवाड़, फतहनगर तथा खेड़ी के आसपास के गांवों की फसलों को कई बार नुकसान हुआ है।

किसानों ने कई बार जिला कलक्टर, उपखण्ड मुख्यालय पर धरने व ज्ञापन भी दिये हैं। कृषि विभाग तथा पटवारियों द्वारा भी फसलों के नुकसान का सर्वे किया गया लेकिन किसानों को आज तक सरकार व उद्योग धंधों द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है। क्वार्ट्ज बोल मिल, कपासन, आकोला, फतहनगर में संचालित हैं। उक्त उद्योगों में सफेद पत्थर का पाउडर बनाया जाता है। कपासन महाविद्यालय के पास स्थित क्वार्ट्ज बोल मिल के चलने से कारखाने की आवाज अधिक आने से पढ़ाई में समस्या आती है तथा पाउडर के उड़ने से आसपास के लोगों को श्वांस लेने में परेशानी होती है तथा आबादी वाले क्षेत्र के मकानों पर पाउडर जम जाता है।

कपासन, रीको क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्रियों में से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को बोरिंग में डालने से आसपास के ट्यूबवैल व हैण्डपंपों

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

में जहरीला पानी निकल रहा है। उपरोक्त सभी उद्योगों की जांच पर्यावरण विभाग की कमेटी बनवाकर कराएं तथा जनजीवन, वनस्पति व फसलों को बचाने तथा भविष्य में पर्यावरण दूषित न हो इसलिये उद्योगों को पाबन्द कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल जी मीणा।

जयसमन्द झील की नहरों का अपूर्ण कार्य

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जयसमन्द झील की नहरों के कार्य के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा 147 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। 5 वर्षों से नहरों के कार्य चल रहे हैं। कार्य की गुणवत्ता भी नहीं है। ठेकेदारों और सम्बन्धित अधिकारियों, चीफ इंजीनियर, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर, उदयपुर, अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, सलूम्बर की भूमिका संदिग्ध है।

जयसमन्द झील की नहरों के कार्यों को धीमी गति से करवाया जा रहा है जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। जो भी निर्माण कार्य वर्तमान में हुआ है वह भी गुणवत्ता के बिना किया गया है, जिससे नहर, झील से निकलने वाले आर.एम.सी. व एल.एम. सी नहरों का लेवलीकरण व घाटियों की कटिंग करना था, वह भी नहीं किया गया है। नहरों के साइड सर्विस रोड को सही करना था, वह भी नहीं हुआ है। सभी गेटों के रिनोवेशन का कार्य नहीं हुआ है। तुलसी का नामला से भैसों का नामला के बीच में नालों के ऊपर दो पुलिया का निर्माण करना था, वह नहीं किया गया है। जयसमन्द झील की पाल साइड पर पेड़-पौधों को हटाना था, वह भी अभी तक नहीं हटाया गया है। जयसमन्द झील से निकलने वाली मुख्य बड़ी नहरें, मध्यम नहरें, छोटी नहरें, माइनर नहरें, धोरे और छोटे धोरों के सुदृढ़ीकरण के लिए पुराना प्लास्टर तोड़कर नया प्लास्टर करना था, जो भी नहीं किया गया। पुराने प्लास्टर पर ही नया प्लास्टर चढ़ा दिया गया है, जो कम समय में ही गिर गया है। नये प्लास्टर पर पानी की तराई भी नहीं की गयी है। नहरों के नीचे के भाग पर गिट्टी व प्लास्टर करना था, जो अभी तक नहीं किया गया है, जिससे पानी का रिसाव किसानों के खेतों में हो रहा है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है, खेती खराब हो रही है।

(श्री अमृतलाल मीणा)

जयसमन्द झील से भवराना तक मुख्य नहर का कार्य नहीं किया गया है। कैनालों के ऊपर सभी पुलियाओं को चौड़ा करना था एवं नई पुलिया का निर्माण करना था, वह भी नहीं किया गया है। बजट के हिसाब से अभी तक 70 प्रतिशत निर्माण कार्य किया गया है, 30 प्रतिशत निर्माण कार्य बाकी है। समयावधि प्रकरण में 10-15 वर्ष से सरकार के पास लम्बित पड़े ऐसे प्रकरणों का वृत्त कार्यालय स्तर पर निस्तारण किया जावे। भई माइनर का निर्माण कराया जावे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप जी कासनियां।

सूरतगढ़ में विधायक कोष से जारी राशि की वित्तीय स्वीकृति

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान विधान की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से जारी राशि की स्वीकृति जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। मैं पंचायती राज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के विधायक कोष से राशि आमजन की सुविधा हेतु जारी की गयी थी। एक करोड़ राशि की वित्तीय स्वीकृति आज तक जारी नहीं होने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक कोष से एक करोड़ की राशि एम्बुलैंस खरीदने, आक्सीजन प्लांट, विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की खरीद आदि हेतु मेरे द्वारा जारी की गई थी, जिससे आमजन को राहत मिल सके।

महोदय, बड़े ही दुर्भाग्य व चिन्ता का विषय है कि आज दिनांक तक उक्त एक करोड़ की राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी। एम्बुलैंस खरीदने, आक्सीजन प्लांट, विभिन्न चिकित्सा उपकरण जो अत्यंत जरूरी हैं, व्यक्तियों की जान बचाने के लिए आवश्यक हैं, उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करना बहुत ही दुखद है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एक करोड़ की वित्तीय स्वीकृति तत्काल जारी करावे, ताकि आमजन को राहत मिले। यह लोक महत्व का मामला है अत: इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। ड्राइवर नहीं है, डीजल उपलब्ध नहीं है, इस तरह से तरह-तरह के बहाने बनाकर सारा मामला इग्नोर कर दिया जाता है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन। नागौर जिले के जायल क्षेत्र में पिछले 21 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं परन्तु...

श्री सभापति: अभी 295 चल रहा है, प्लीज बैठिए। श्री पुखराज।

दहीकड़ा (भोपालगढ़) में किसानों का आपदा अनुदान से वंचन

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भोपालगढ़ विधान सभा के भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दहीकड़ा में क्रोप कटिंग प्रयोग में अनियमितताएं बरत कर किसानों को आपदा अनुदान से वंचित रखने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में अवगत कराते हुए ये बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में क्रोप कटिंग प्रयोग सम्बन्धित पटवारियों ने क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण दहीकड़ा, सालवा कलां, जालेली, बुधनगर, कोकुंडा, जाजीवाल गहलोत, जाजीवाल खिचिया आदि राजस्व ग्रामों में पटवारियों की अकर्मण्यता व उदासीनता के कारण किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है, क्योंकि पटवारियों ने मौके पर जाने के स्थान पर एक साथ बैठकर खराबे की स्थिति को इस प्रकार दर्शाया कि खराबा 33 प्रतिशत से अधिक रिकार्ड में नहीं जाये, जिसका खामियाजा अन्नदाताओं को भुगतना पड़ा है।

अत: मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जोधपुर जिलाधीश को दिशा-निर्देश देकर एक कमेटी गठित कर क्रोप कटिंग प्रयोग में बरती गयी अनियमितता में सुधार करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। अत: मेरा इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्रवाई की जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन हेतु स्वीकृत बजट का अन्यत्र व्यय

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन एक सिंचित एरिया है। आधे से ज्यादा क्षेत्र की चम्बल सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहरी तंत्र से सिंचाई होती है। पिछली बार नहरों, धोरों को पक्का करने के लिए 1275 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए लेकिन इस बजट में से कुछ बजट को विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के आफिस, बंगलों एवं कारें खरीदने में खर्च किया गया, जबकि खर्च करना था नहरों में, धोरों में।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बजट में घोषणा की गई है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस बजट को अन्यत्र खर्च करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि मुख्य मंत्री बजट घोषणा में स्पष्ट आदेश है।

(समय: 12.41 बजे)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

1. प्रस्तावित कार्य का नाम बिन्दु संख्या 3 चम्बल परियोजना की दायीं मुख्य नहर की पाटन ब्रान्च कैनाल में 32.10 किमी लम्बाई में पक्की लाइनिंग का कार्य राशि रुपये 32.30 करोड़ की लागत से चरणबद्ध तरीके से आगामी 3 वर्षों में किया जायेगा। विधान सभा का नाम केशोरायपाटन, विधायक का नाम चन्द्रकान्ता मेघवाल, स्पष्ट लिखा है एवं सीसीए हैक्टर 25220;

2. दूसरा बिन्दु संख्या 4 पर चम्बल परियोजना की बायीं मुख्य नहर की पाटन डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम अन्तपुरा डिस्ट्री एवं डाइरेक्ट आफ टेकिंग माइनर्स आफ पाटन ब्रांच किमी. 0 से 29.108 किमी में 70.20 लम्बाई में, पक्की लाइनिंग का कार्य राशि रुपये 62.00 करोड़ की लागत से आगामी तीन वर्षों में किया जायेगा। विधान सभा केशोरायपाटन सीसीए 16088;

3. तीसरा बिन्दु संख्या 8 पर चम्बल परियोजना की दायीं मुख्य नहर से निकलने वाली 60 वर्ष पूर्व कच्ची बनाई गई सीधी माइनरों एवं डिस्ट्रीब्यूटरी की पक्की लाइनिंग का कार्य राशि रुपये 42.00 करोड़ की लागत से चरणबद्ध किया जायेगा। इतना स्पष्ट होने के बावजूद अधिकारी इसमें परिवर्तन कर, डीपीआर किसी दूसरे स्थान पर तैयार करने की चालाकी कर रहे हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उक्त कार्य की डीपीआर भी मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाई जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्रवाही करवाई जाये, अन्तर्गत ही कार्रवाही जाये, ताकि किसानों को राहत प्रदान हो सके।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्रवाई जाये।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (अनुपस्थित)। श्री संजय शर्मा।

अलवर शहर में पेयजल समस्याओं का निराकरण

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय, अलवर ज़िले की अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम समस्या की ओर मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में गर्मी ऋतु आते-आते ही पेयजल की भारी विकराल समस्या शुरू हो गई है। शहर के अनेक क्षेत्रों में त्राहि-त्राहि सी मची हुई है। जलदाय विभाग द्वारा गर्मी में अलवर शहर के आमजन की प्यास बुझाने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार नहीं करायी गई है, सिर्फ कंटींजेंसी प्लान के नाम पर व्यर्थ में पैसों की बर्बादी कर, खानापूर्ति के इंतजाम किये जा रहे हैं। बजट सत्र 2021-22 में घोषित टयूबवैल खोदने का कार्य आज तक पूर्ण नहीं किया गया है एवं व्यवस्था सुधार के दृष्टिकोण से 50 सब्मर्सिबल सैट खरीदने हेतु दिनांक 31.05.2021 को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, वह आज तक नहीं खरीदे गये हैं। वहीं पेयजल सप्लाई हेतु बनाई गई 4-5 नई टंकियों को तो आज तक पूर्ण रूप से भरा ही नहीं जा रहा है।

वहीं दूसरी ओर ज़िले में स्थित अन्य उपखण्ड कार्यालयों में पाइप लाइन लीकेज एवं टयूबवैल मरम्मत व संधारण के लिए मिलने वाले बजट की तुलना में अलवर शहर में स्थित जलदाय विभाग के उपखण्डों में लाइनों, पम्पसैटों, उपकरणों आदि की मरम्मत, संधारण के लिए दिये जाने वाले बजट का आबंटन बहुत कम किया जाता है, जिससे स्टोर में सामान की उपलब्धता पूर्ण रूप से कभी नहीं रहती है, जिससे लीकेज पाइप लाइनों को दुरुस्त करने व खराब टयूबवैलों को आमजन के दबाव के चलते पम्पसैटों की रिपेयरिंग कराने में कनिष्ठ व सहायक अभियन्ता को अपनी जेब से पैसे लगाकर सही कराना पड़ता है, जिससे खराब टयूबवैलों को सही कराने में 10-15 दिन लग जाते हैं, वहीं नये ट्यूबवैल खोदे जाने के एक से दो माह बाद विद्युत कनेक्शन के लिए एप्लाई किया जाता है, जिससे उस ट्यूबवैल का सदुपयोग समय पर नहीं हो पाता है। ऐसे में इस बार गर्मी में अलवर में पानी को लेकर भयंकर रूप से त्राहि-त्राहि मचना तय है।

जलदाय विभाग की ओर से अलवर शहर की साढ़े चार लाख की

(श्री संजय शर्मा)
आबादी में 50 हजार से ज्यादा पेयजल कनेक्शन दिये हुए हैं। एनसीआर के नियमों के तहत, अलवर शहर को रोजाना 550 लाख लीटर पानी दिया जाना चाहिये, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से फिलहाल रोजाना करीब 330 लाख लीटर पानी की ही सप्लाई दी जा रही है। यानी कि अलवर शहर को रोजाना करीब 220 लाख लीटर पानी कम मिल रहा है लेकिन शहर के हालात इन आंकड़ों से भी विकट बने हुए हैं। सर्दियों से ही शहर के दर्जनों इलाक़ों में पेयजल संकट गहराया हुआ है। पेयजल विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से शहर में पेयजल सप्लाई लाइनों में जगह-जगह लीकेज होने से रोजाना लाखों लीटर पानी सड़कों व नालियों में बह रहा है, जिससे पानी की व्यर्थ में बर्बादी हो रही है।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मेरा जलदाय मंत्री जी से निवेदन है कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र के लिए, उक्त वर्णित पेयजल समस्याओं का निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2022 के उत्तर में बोलने से रही घोषणाओं का सदन पटल पर रखा जाना

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21 मार्च, 2022 को राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर देते समय कुछ घोषणाएं बोलने से रह गयी थीं, राज्य की जनता के वृहद् हित में, मैं उन्हें सदन पटल पर रखना चाहता हूं। आपकी इजाजत हो तो?

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

(कृपया परिशिष्ट देखें)

131, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री प्रताप सिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बारां में वन भूमि का सिवाय चक में परिवर्तन एवं जंगलों की अंधाधुंध कटाई

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री

(श्री प्रताप सिंह)

जी का बारां जिले में कथित रूप से अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए, वन भूमि को सिवाय चक में परिवर्तित किये जाने एवं प्रदेश के जंगलों की अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बारां ज़िले में कथित रूप से अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए वन भूमि को सिवाय चक में परिवर्तन किये जाने एवं प्रदेश में जंगलों की अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यान आकर्षण किया।

प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी. में से कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32864.62 वर्ग किमी. है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, राज्य का वनावरण 16654.96 वर्ग किमी. है, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87 प्रतिशत है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं हो, यह पहला पैरा और सैकण्ड पैरा तो छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष: किसी का नहीं होता, आपका टाइम नहीं, हमारा सबका टाइम भी ऐसे ही लग रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): उक्त वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में गत रिपोर्ट 2019 के सापेक्ष 25.45 वर्ग किमी. तथा गत रिपोर्ट 2017 के सापेक्ष 2019 में 57.51 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है। राज्य में 3 नेशनल पार्क, 27 वन्यजीव अभयारण्य एवं 15 कन्जर्वेशन रिजर्व में वन्यजीवों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है कि संरक्षण के प्रयास सफल हो रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 3 टाइगर रिजर्व उद्घोषित हैं। राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2018 में 83 से बढ़कर वर्तमान में 104 से भी ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही राज्य में बघेरों, हायना, काले हिरण, लोमड़ी एवं सांभर आदि वन्यजीवों की संख्या में भी गत वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वन विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं अन्तर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे कि कैम्पा, पर्यावरण वानिकी, भाखड़ा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण, परिभाषित वनों का पुनरारोपण, जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण, नाबार्ड राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम,

(श्री हेमाराम चौधरी)

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज ।। आदि योजना अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 क्रमशः 20964.16 हैक्टेयर तथा 32442.57 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है। वर्तमान में वृक्षारोपण अन्तर्गत वन क्षेत्रों में विलायती बबूल नहीं लगाया जाता है एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय प्रजाति के पौधे जैसे खैर, नीम, चुरैल, आंवला, अर्जुन, रोंझ, बिल्व-पत्र आदि लगाये जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में अतिक्रमण के 535 प्रकरण चिह्नित कर अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबड़ौद में प्रस्तुत किये गये हैं। वैधानिक कार्रवाई जैरकार है। अब इनकी सघन मॉनिटरिंग की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में एक प्रकरण चिह्नित है, जिसमें ग्राम अल्लाहपुरा, तहसील छबड़ा की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नम्बर 90 रकबा 29.02 बीघा एवं खसरा नम्बर 124 का रकबा 6.11 बीघा वन भूमि को सिवायचक दर्ज करने के सम्बन्ध में वर्तमान में राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील प्रकरण टी.ए. 4378/20 रामचरण बनाम सरकार विचाराधीन है। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 25.03.2022 नियत है। न्यायालय के आदेशानुसार आगामी कार्रवाई की जायेगी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं पूरे राजस्थान के बारे में जानकारी नहीं चाहता हूं बाकी छबड़ा में जो मुख्य रूप से कुछ अतिक्रमण हुए हैं उनके बारे में मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छबड़ा रेंज के वन खण्ड बापचा में गांव पड़ते हैं- मवासाव्यास, रारोन, छबड़ा थर्मल से लगी हुई बाउण्ड्री और भटखेडी। इन गांवों की वन भूमि के अन्दर लोगों ने इन्टर-लॉकिंग बनाने की फैक्ट्रियां लगा ली हैं, पक्के मकान और दो-दो, तीन-तीन मंजिल के बड़े आलीशान मकान बनाकर थर्मल के अधिकारियों को किराये पर दे दिया है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह मकान एक दिन में तो बने नहीं हैं। ये मकान किस प्रकार से बने, साथ ही इनका बिजली का कनेक्शन किस प्रकार से हुआ? यह सब जानकारी, माननीय मंत्री महोदय, आप बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दूसरा, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह मेरे पास कागज है, अपन क्या लिखते हैं और क्या पूछते हैं?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नहीं, मैंने तो यह पूछा है न, साहब, यह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपका कागज मेरे पास है, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): बारां जिले में कथित रूप से अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह जो लिखा हुआ है, यह आपने लिखकर भेजा है 131 में ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सिवायचक का भी पूछ रहा हूं, साहब, पूछ रहा हूं। दो मिनट आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष: संरक्षण जो आप चाह रहे हो, वह सूचना यदि लिखकर ही नहीं दी तो वे क्या बोलेंगे? आपने पूरे राजस्थान के बारे में लिखा होता तो ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): जमीनों के अतिक्रमण के बारे में बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी बोलें। ऐसे नहीं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दूसरा, आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जांचरोड़ा और ककरवा में 100 बीघा जमीन पर वर्षों पुराने सागवान के पेड़ काटकर वहां पर खेती की जा रही है। मैं यह समझता हूं कि सागवान जैसा पेड़ जो दुर्लभ पेड़ है और वर्षों पुराने पेड़ हैं, उनको काटकर खेती की जा रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, यह भी बड़े हम सब लोगों के लिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें, प्लीज। 131 की कोई लिमिटेशन है। प्लीज, आप बैठें। 131 में आपने जो लिखा, मंत्री बोलता है, मंत्री को जवाब देना है। आपने लिखकर कुछ अलग दिया और पूछ कुछ अलग रहे हैं तो मंत्री क्या जवाब देगा? नहीं, प्लीज, ऐसे नहीं होता। अब आप अभी लिखकर थोड़े ही दोगे क्या? 131 का लिखा हुआ कागज है मेरे पास। ऐसे नहीं होता है।

माननीय मंत्रीजी, जो माननीय सदस्य की भावना है, बारां के सम्बन्ध में आपके पास जानकारी है, जहां एनक्रोचमेंट है, उसके सम्बन्ध में कोई बात कहनी हो तो आप बता दें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): पहले मैं बता दूं?

श्री अध्यक्ष: आप बताएंगे या ये बताएंगे?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): यह मैंने अल्लाहपुरा का लिखा हुआ है, इन्होंने यह जवाब दिया है तो पूछूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास कागज 131 का यह है। आपने कोई 10 लिखे होंगे।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): यह मेरे को इन्होंने जवाब में दिया है ग्राम अल्लाहपुरा का, साहब, वह ही तो पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। मेरे पास जो कागज है, उसमें 131 है। आपने चार लिखे होंगे, पांच लिखे होंगे 131 के लिए। यह जो रिकार्ड है, उसी की बात करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैंने इसी का पूछा है, साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): प्लीज, मुझे एक तो पूछने दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, प्लीज। एक मिनट। आप बैठ नहीं सकते क्या? माननीय मंत्रीजी, पहले आप बता दो, फिर ये पूछ लेंगे बात। बारां के सम्बन्ध में आपके पास जानकारी है क्या? जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं, उसके बारे में बता दें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के एक प्रकरण जो इन्होंने खासकर जोर दिया है कि सिवायचक दर्ज कर दी, तो यह मामला न्यायालय छबड़ा, उपखंड अधिकारी, छबड़ा के कोर्ट में एक व्यक्ति रामचरण ने वाद दायर किया था क्षेत्रीय वन अधिकारी के खिलाफ और तहसीलदार को भी पार्टी बनाया था। उसमें उपखंड अधिकारी, छबड़ा ने यह उसका वाद तो खारिज कर दिया, परन्तु यह भूमि वन विभाग की थी, इसको उन्होंने सिवायचक घोषित कर दिया। उसके बाद में वन विभाग आर.ए.ए. कोर्ट में आगे अपील में गया और आर.ए.ए. कोर्ट में यह वन विभाग के पक्ष में फैसला हो गया। फिर यह रामचरण वापस रेवेन्यू बोर्ड में चले गये और रेवेन्यू बोर्ड में मैंने अभी जवाब में यह बताया है कि यह रेवेन्यू कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी कल पेशी है, तो अब रेवेन्यू बोर्ड जो भी फैसला करेगा उसके हिसाब से विभाग आगे कार्रवाई कर सकता है। उसका फैसला होने से पहले उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वन भूमि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इनको बैठने तो दो।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): तो यह मैंने अल्लाहपुरा की ही बतायी है कि अल्लाहपुरा की है और दूसरा आपके विधान सभा क्षेत्र में यह मेरे पास, मतलब जो है, खासकर बड़े पांच मामले अतिक्रमियों के, जिनकी सूची मेरे पास है। एक तो श्री बाबूलाल पुत्र जीवनलाल, ऊंचावदा। एक श्री जयराम पुत्र रामकिशन गुर्जर, जांचरोड़ा। जगमोहन पुत्र भोलाराम गुर्जर, जांचरोड़ा, श्री मोहनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, सिलोद, श्रीमती द्वारकाबाई पत्नी जगदीश मीणा, इनके खिलाफ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और कार्रवाई विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप पूछ लीजिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अधिकारियों के पद के दुरुपयोग के बारे में भी पूछा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे बारां जिले में फोरेस्ट एरिये में कोई माइनिंग नहीं है और न ही उसकी पैरीफेरी में कोई माइनिंग है, फिर कैसे यह विभाग के अधिकारी गांवों के बीच में से या सड़क पर से ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़कर या डम्पर पकड़कर या जे.सी.बी. पकड़कर उनका चालान कर रहे हैं और चालान ही नहीं दो-दो, तीन-तीन महीने रेंज आफिस में वे खड़ा रखते हैं और उसके बाद जुर्माना 1 लाख 31 हजार रुपया जो गरीब किसान नहीं दे सकता, ट्रैक्टर-ट्रॉली भी वह लोन से लेता है, उनको जबरदस्ती परेशान करके उनसे वसूल किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए कि वह चोरी की है, अगर कहीं चोरी से वह पत्थर और रेत लेकर आता है, बजरी लेकर आता है तो फोरेस्ट विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता गांव के बीच में, न ही सड़क पर। वहां पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, माइनिंग विभाग कर सकता है, पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जंगलात विभाग किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, जो यह नहीं कर सकता।

इसी के साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर एक शेरगढ़ वन्य सेंक्चुअरी है शेरगढ़ वन्य सेंक्चुअरी के पास में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

यह कोई तरीका नहीं है। क्या लिखकर दिया है और अपन जनरल बोल रहे हैं। (व्यवधान)

माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य के जो प्रश्न हैं कि उस इलाके में फोरेस्ट के अन्दर कोई माइनिंग नहीं है और उसके अन्दर जो माइनिंग के केस बनने से लोगों को तकलीफ हो रही है, तो इस सम्बन्ध में विभाग को निर्देशित करें, इनकी बात के बारे में एड्रेस करें। देट साल्व। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माइनिंग का तो वैसे माइनिंग विभाग का काम है लेकिन हमारी अगर फोरेस्ट की जमीन में माइनिंग होगी तो हम भी पकड़ेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। वन विभाग के अलावा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर भेज देना, अब इसमें क्वेश्चन-आन्सर थोड़े ही होता है। नहीं-नहीं, प्लीज। आई एम सॉरी। मंत्रीजी, हो गया, प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदन दिलावर।

(समय: 13.00 बजे)

मवासा ग्राम (रामगंज मण्डी) में नदी/नालों के कटाव से सम्पत्ति को कारित क्षति

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी तहसील के मवासा गांव में नदी/नालों से होने वाले कटाव के कारण मकानों को हो रही क्षति से बचाव हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी तहसील के मवासा गांव (ग्राम पंचायत सालेडा खुर्द) में स्थानीय नाले के तेज प्रवाह से कटाव को रोकने हेतु वर्ष 2020 के दौरान प्रस्ताव महानरेगा योजना अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये थे परन्तु इस कार्य को महानरेगा योजना में अनुमत नहीं माना गया तथा चिह्नित नहीं किया गया।

अभी-अभी, आज ही मुझे जिला परिषद्, कोटा से पत्र प्राप्त हुआ है कि इस तरह का कोई भी कार्य नरेगा के अन्तर्गत अनुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में इस कार्य को किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि नरेगा से कराओ। मैंने यह पूछा था कि गांव का कटाव हो रहा है, उससे जनहानि होने की पूरी संभावना है और उस कटाव को रोकने का उपाय करें। मेरा भावार्थ यह था। आपने जवाब दिया है। आप कहीं से भी करवाइये। क्या भू-संरक्षण विभाग का पैसा इसमें नहीं लग सकता? क्या फाइनेंस कमीशन का पैसा इसमें नहीं लग सकता और लग सकता है तो इस कटाव को रोकें, क्योंकि कभी भी लोग मर सकते हैं। कई घर गिर चुके हैं। वह लोग भगवान की कृपा से बच गये, इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी भी फण्ड से इस सुरक्षा दीवार को बनवायें ताकि गांव के लोगों को बचाया जा सके।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, मैं भी इसमें सहमत हूं लेकिन मेरी यहां पर विनम्र प्रार्थना है कि अगर इसके अप स्ट्रीम में कोई तालाब होता और उस तालाब के बाईपास से गेट खुलने के कारण दीवार की आवश्यकता होती तब तो विभाग इसको बनवा सकता था। बाकी डायरेक्ट विभाग के पास में इस तरह के बजट का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हम इसको अभी बनाने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप सही कह रहे हैं। इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से नहीं हो सकता क्योंकि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का नाला नहीं है, आपके कहने का मतलब भी यही है लेकिन यह समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए विभाग एक मीटिंग कर ले। नरेगा में हो सकता है तो नरेगा में कर लें। उसका एस्टीमेट बनवा लें। माननीय विधायक के पास 5 करोड़ रुपये हैं। उनसे डायवर्ट कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर लें। एमपी साहब का फण्ड है, उनसे रिक्वेस्ट करके करवा दें। समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री हमीर सिंह भायल।

धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति (सिवाना) में फर्जी ऋण वितरण एवं बीमा क्लेम निस्तारण में अनियमितताएं

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति धीरा, तहसील सिवाना जिला बाड़मेर के तत्कालीन व्यवस्थापक द्वारा फर्जी ऋण वितरण किये जाने एवं बीमा क्लेम

(श्री हमीर सिंह भायल)

निस्तारण में की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के सन्दर्भ में निवेदन है कि बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त सूचना अनुसार धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., धीरा के तत्कालीन व्यवस्थापक श्री जेठाराम चौधरी द्वारा फर्जी ऋण एवं उन किसानों के फसल बीमा क्लेम में फर्जीवाड़ा किये जाने के सम्बन्ध में श्री हमीर सिंह भायल (193), माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में श्री प्रशांत कल्ला, प्रबन्ध निदेशक, जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर द्वारा की गयी प्राथमिक जांच में उल्लेखित बिन्दुओं की राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत जांच श्री जितेन्द्र कुमार, सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, बालोतरा द्वारा की गई, जिसका जांच परिणाम उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बाड़मेर द्वारा दिनांक 05.07.2021 को जारी किया गया।

जांच परिणामों के आधार पर धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., धीरा के तत्कालीन व्यवस्थापक श्री जेठाराम, हाल सहायक अधिशाषी अधिकारी, शाखा सिवाना के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील्स) 1958 के नियम 16 के तहत उनके द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के कारण विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए बैंक के पत्र क्रमांक 2510 दिनांक 02.08.2021 को आरोप पत्र जारी किया गया, जो कि आरोपित को दिनांक 06.08.2021 को तामील हो गया। आरोप पत्र तामीली के पश्चात् आरोपित द्वारा आरोप पत्र का प्रतिउत्तर/लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बैंक स्तर से दिनांक 21.10.2021 एवं दिनांक 16.12.2021 को स्मरण पत्र जारी कर आरोप पत्र का प्रतिउत्तर/लिखित अभिकथन चाहा गया, परन्तु आरोपित द्वारा आज दिनांक तक उक्त आरोप पत्र के संबंध में कोई प्रतिउत्तर/लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिकथन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण श्री जेठाराम को बैंक के आदेश दिनांक 23.03.2022 द्वारा निलम्बित किया गया है।

श्री जेठाराम, तत्कालीन व्यवस्थापक, धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., धीरा का रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक फा.15(18)सविरा/बैंक-2/2005 दिनांक 09.03.2005 के अनुसार

(श्री अंजना उदयलाल)

गठित कमेटी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.05.2016 में की गई अभिशंसा के आधार पर ऋण पर्यवेक्षक पद पर चयन किया गया। उक्त चयन तिथि को श्री जेठाराम, तत्कालीन व्यवस्थापक, धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., धीरा के विरुद्ध बैंक स्तर पर किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई लम्बित नहीं होने के कारण उनका ऋण पर्यवेक्षक पद पर चयन किया गया।

खरीफ, वर्ष 2004 का फसल बीमा क्लेम समिति स्तर पर रु. 488472.90 का कुल 107 किसानों का प्राप्त हुआ एवं रबी, वर्ष 2004-05 का फसल बीमा क्लेम समिति स्तर पर रु. 3,69,137.31 का कुल 292 सदस्यों का प्राप्त हुआ, जिसे संबंधित किसानों को भुगतान कर दिया गया।

आरोपित तत्कालीन व्यवस्थापक श्री जेठाराम को दिनांक 23.03.2022 को निलम्बित कर दिया गया है। अत: प्रस्ताव अग्राह्य योग्य है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह 2012-13 से ऑफलाइन होने की वजह से इस तरीके की कारस्तानी की गई। वहां 500 से 600 किसान थे, उनके नाम का किस तरीके से इसने फर्जीवाड़ा किया, 20 से 30 हजार तो साख सीमा हैं वहां उनकी। फिर उन्होंने 80 हजार, 90 हजार और लाख, किसान को पता नहीं। उस समय फसल बीमा के अनुदान से लगाकर रेगुलर फसल बीमा आया। करोड़ों रुपया वह हजम कर गया। उसके बाद में अभी जो जांच हुई है, जांच का प्रतिवेदन भी किसानों के स्टाम्प सहित मेरे पास में सारा है, आप फरमायेंगे तो मैं टेबल करूंगा। उसमें जो जांच की है, सिर्फ चहेते व्यक्तियों को बुलाया। कई व्यक्तियों ने यह कहा कि हम तो 20 हजार लोन हमेशा लेते थे। उन्होंने बाउण्ड करके 90 हजार डेबिट करके खाते में जमा करवा दिया गया। यह सारी चीजें जांच रिपोर्ट में आई हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, कि सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। आप राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर किसानों के साथ धोखाधड़ी जो की गयी है, क्या उसकी वसूली की जायेगी और कब तक की जायेगी? इसके बारे में मुझे फरमायें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की धोखाधड़ी के कारण ही सिस्टम को ऑनलाइन किया गया और

(श्री अंजना उदयलाल)
ऑनलाइन होने के बाद इस प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं हैं। मामला आज का नहीं है, बहुत लम्बा है, 2004 से चल रहा है, आज 2022 है। नि:सन्देह इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी की कोई शिकायत लायेंगे तो जैसी कार्रवाई इस मामले में की है, वैसी ही कार्रवाई करके दण्डित करेंगे। आप करोड़ों रुपये की कह रहे हैं, जो भी हो, तथ्यों के साथ मुझे प्रस्तुत करें, नि:सन्देह ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, यह सारी जांच इसमें....

श्री अध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं, आप बोलो।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मैं यह चाह रहा हूं, हुकुम, कि इसकी राज्य स्तरीय कमेटी से जांच हो और वह पैसे किसानों को मिलें। जांच के आधार पर कार्रवाई हो। यह जांच होने के बाद में विभाग क्या कर रहा है? मंत्री महोदय उन्हीं से जांच करवा रहे हैं और 30.12.2020 को प्रमोशन किया जाता है। यह सारी जांच साबित होने के बाद में अधिकारियों द्वारा प्रमोशन किया जाता है। उच्च स्तरीय स्थान पर बैठाने के बाद में किसानों को भड़काकर वापस उल्टे बयान कराने के लिए सारी पैरवी की जाती है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमोशन इस शिकायत से पहले हुआ है, उसके बाद प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन पहले हो चुका था, उसके बाद यह हुआ। मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, बीच में नहीं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आप लाइए तो सही, केवल यह दस्तावेज बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बैठें। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह रिपोर्ट तो अपने पास आ गयी। यह सेटिस्फाइड नहीं हैं कि उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अलग अधिकारी को बिठाकर इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है, कार्रवाई जारी है लेकिन यह बात सही है कि स्लो गति से हुआ है। धारीवाल साहब ने भी कहा है कि अधिकारी टाइम पर काम नहीं करते।

(श्री अंजना उदयलाल)
उन्होंने भी अपने जवाब में यह कहा था और यहां भी इनका प्रश्न लगने के बाद इसको सस्पेण्ड किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका कथन सही है कि जितनी विधान सभा ज्यादा चलेगी, ऐसे प्रश्न ज्यादा आएंगे, उतना ही साफ-सुथरा काम होगा। यह प्रश्न नहीं लगता तो यह अधिकारी अभी तक नहीं करते, यह मेरा भी मानना है।

श्री अध्यक्ष: चलिए, माननीय मंत्रीजी। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक ऐसे लोग हैं जो दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम से भी पैसे लेकर उसने किया, जो अब तक की जांच में आपके आ रहा है। मैं सोचता हूं सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है। आप इसका पैसा वसूल करने के लिए इसकी प्रोपर्टी सीज करने तक जाकर अगर कुछ एक्शन करोगे तब तो यह लोग रुकेंगे, बाकी तो यह ऐसे ही चलेगा। सस्पेंशन करना आवश्यक है, वह आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है लेकिन इस सारे प्रकरण को एक टेस्ट केस बनाकर कोई-न-कोई अधिकारी को लगाकर इसकी जांच कराओ और प्रमोशन जिस अधिकारी ने किया है, जांच चलते हुए किया है, उसके ऊपर यह आरोप सिद्ध होते हुए किया है, यह दुर्भाग्य है, इसको ठीक करो।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं प्लीज, गलत बात है। लिमिट है। आप चाहते हैं, मैं वाइंड-अप कर दूंगा डिबेट को। अब आप चाहते ही नहीं हो रास्ता कोई। माननीय मंत्रीजी, सिम्पल है कि आप किसी अधिकारी से जांच करवाकर, जैसा प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि सस्पेंशन एक पार्ट है, पर रिकवरी करने के सम्बन्ध में हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके सम्बन्ध में विभाग निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई करे।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जिसका भी नाम माननीय प्रतिपक्ष के नेता बताएंगे, उस अधिकारी से मैं उसकी जांच करा दूंगा। बिलकुल, आप बताइए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब मुझे दें, उनको नहीं देना है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताएंगे, उस अधिकारी से जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। श्री सुभाष पूनिया।

कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का कार्य बजट घोषणा के अनुरूप नहीं किया जाना

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गयी बजट घोषणा के अनुरूप नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ एवं उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं के अन्तर्गत 285 गांव तथा 573 ढाणियों एवं सूरजगढ़ एवं उदयपुरवाटी कस्बे में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल प्राप्त करते हुए जल वितरण किये जाने बाबत पेयजल परियोजना जायका जापान से वित्त पोषण करते हुए क्रियान्विति किये जाने की संशोधित स्वीकृति राज्य स्तरीय परियोजना समिति की 25वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 में जारी की गयी थी, जिसमें जिला बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में भी पेयजल कार्य सम्मिलित हैं। इस योजना की कुल स्वीकृत राशि रुपये 4,765.31 करोड़ है। उक्त योजना के वित्त विभाग राजस्थान सरकार से वित्तीय स्वीकृति आई.डी. क्रमांक 102421, दिनांक 05.07.2021 से प्राप्त करते हुए विभाग की वित्तीय समिति की 777वीं बैठक दिनांक 14.07.2021 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

योजना के कार्यों को कुल पांच पैकेजेज में विभाजित किया जाकर सम्पादित कराये जाने बाबत सक्षम स्वीकृति वित्तीय समिति की 789वीं बैठक दिनांक 22.12.2021 में जारी की गयी है। विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ एवं उदयपुरवाटी के अन्तर्गत कराये जाने वाले सम्मिलित परियोजना के पैकेज संख्या 1 राशि रुपये 1350.04 करोड़ में कराये गये हैं तथा उक्त पैकेज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के 191 गांव तथा 69 ढाणियों एवं कस्बा सूरजगढ़ को पेयजल की सुविधा से लाभान्वित किये जाने का कार्य सम्मिलित है। विभागीय स्तर से कराये जाने वाले कार्यों की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 888.12 करोड़ की स्वीकृति की तकनीकी समिति की 717वीं बैठक दिनांक 11.02.2022 से जारी करा ली गयी है। वर्तमान में उक्त कार्य कराये जाने हेतु निविदा प्रपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में है। निविदा प्रपत्रों का अनुमोदन जायका जापान से प्राप्त किया जाकर कार्य हेतु निविदा जारी की जाएगी।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि निविदा व अन्य प्रक्रिया कब तक पूरी करके और इस काम को धरातल पर लाने की कोई तारीख तय है क्या? 2021-22 के बजट में 181 पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ कस्बे के 921 गांवों व 573 ढाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आगामी वर्ष में जायका द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे। अभी डिबेट रिप्लाई में 03 मार्च को मुख्य मंत्रीजी की घोषणा 32वें नम्बर पर है कि मेरे द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में वर्ष 2013-14 व 2019-20 के बजट में बाड़मेर जिले की चौहटन, गुढ़ामालानी, धोरीमन्ना व सिणधरी के 889 गांवों तथा झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ के 981 गांवों व इनकी ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना लागू करने की घोषणा की गयी थी। हमने अब 4,765 करोड़ रुपये जायका से ऋण लेते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस परियोजना की तकनीकी डी.पी.आर. अन्तिम चरण में है, शीघ्र ही तकनीकी स्वीकृति जारी कर आगामी वर्ष में प्राथमिकता से कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। अब तक 2013-14 से 2019-20 से यह चल रहा है, तो इसकी तिथि बताएंगे क्या कि कब से यह निविदाएं पूरी होकर धरातल पर काम लेकर आएंगी?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना तथ्यात्मक प्रतिवेदन, जो मैंने पेश किया है, उसमें भी मैंने यह निवेदन किया है कि चूंकि जायका जापान का लोन इसके अन्दर शामिल है, तो हमारी तकनीकी स्वीकृति के बाद भी जायका से हमको इसका अनुमोदन कराना आवश्यक है। मैं उम्मीद करके चलता हूं जो हम प्रस्तावित तिथि लेकर चल रहे हैं, मई, 2022 की हम प्रस्तावित तिथि लेकर चल रहे हैं, इसके निविदा जारी करने की और कार्यादेश के लिए हमारा लक्ष्य है कि हम 2022 तक इसका कार्यादेश जारी कर सकें। कार्य समाप्ति का लक्ष्य मार्च, 2024 का है।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): जब तक यह काम पूरा नहीं होता, तब तक पानी की भयंकर समस्या है, तो बोर्डर का इलाका है, वास्तव में आप जांच करवा लें। हरियाणा प्रदेश से ट्रांसपोर्ट करके उपभोक्ता पानी लेकर आ रहे हैं। तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की व्यवस्था करेंगे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा पहले भी जिक्र हो चुका। कंटींजेंसी प्लान गर्मी की समस्या को देखते हुए बनाया जाता है। 50-50 लाख रुपये हमने जिलाधीश के माध्यम से कंटींजेंसी प्लान के कार्य कराने के लिए निर्धारित किये हैं और यह भी कहा है कि 50 लाख की सीमा अन्तिम नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इससे ज्यादा भी हम करेंगे और अगर कोई विशेष समस्या माननीय सदस्य मुझे बताएंगे तो आप यह मानकर चलिये कि पूरे राजस्थान की जनता को पेयजल उपलब्ध करवाना विभाग की जिम्मेदारी है और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। आप विशेष भी कोई बात बताएंगे, तो उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

समिति का प्रतिवेदन। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 113 से 119)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति (वर्ष 2021-22) के निम्नांकित सात प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 2.2 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर 113वां प्रतिवेदन;
2. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 3.5 वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, खनिज एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से संबंधित मामलों पर 114वां प्रतिवेदन;
3. जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 229वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्रवाई पर क्रियान्विति विषयक 115वां प्रतिवेदन;
4. जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 230वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्रवाई पर क्रियान्विति विषयक 116वां प्रतिवेदन;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

5. जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 255वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्रवाई पर क्रियान्विति विषयक 117 वां प्रतिवेदन;

6. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद 3.1 खान विभाग से संबंधित मामलों पर 118वां प्रतिवेदन; एवं

7. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.4 तक के भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर 119वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022, श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। राजस्थान में इस समय कई बड़ी समस्याओं में से बेरोजगारी बड़ी समस्या है। राजस्थान में लगभग 32 प्रतिशत बेरोजगारी दर देश में सर्वाधिक है। पिछले दिनों 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। सरकार घोषणा करती है और उस घोषणा के अनुरूप यदि वह कार्यान्वित भी कर दे तो 3 लाख बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे।

इसमें तकलीफ का काम यह है कि बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके, पेट काटकर किसी गरीब का, मजदूर का, किसान का बेटा बड़ी उम्मीद के साथ कोचिंग सेंटर में जाता है, कमरा किराये पर लेता है, जद्दोजहद करता है और उसके सपनों पर तब पानी फिरता है जब नकल जैसा एक संगठित

(श्री सतीश पूनियां)

अपराध पनपता है। उसको रोकने के लिए अभी जो बिल लाया जा रहा है, 1992 में भी ऐसा ही हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि प्रदेश की जितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्याएं हैं, उसमें एक बड़ी समस्या नकल को प्रभावी रूप से रोकना है। इतने बड़े पैमाने पर नकल हुई, किस तरीके से लोग शामिल थे, यह मुझे बार-बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह समझ में आया नहीं कि क्या सरकार को उन नौजवानों के भविष्य के प्रति किसी तरह की चिन्ता नहीं थी। अच्छा होता यदि रीट की इस पूरी परीक्षा की जांच सीबीआई को दी जाती, दूध का दूध और पानी का पानी होता। सरकार क्यों हट रही है, इसका आज तक पता लगा नहीं। लीपापोती के अलावा कुछ नहीं है।

एक बिल 1992 में भी आया और 2022 में। यदि बिल से ही नकल रुकती तो प्रावधान तो उसमें भी थे। एक कंफ्यूजन यह भी है कि यदि आगे बढ़ेंगे तो 1992 के हिसाब से फैसला करेंगे या 2022 के हिसाब से करेंगे? इसमें क्लियरिटी नहीं है। विधिवेत्ताओं ने पढ़ा होगा और उसको आगे प्रोसेस किया होगा। अच्छा होता कि यदि 1992 को रिपील करते और उसके बाद उसमें जो खामियां थीं, उनको दुरुस्त करके यह बिल लाया जाता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हजार करोड़ से भी ज्यादा का लेन-देन हुआ है। गांव का बच्चा-बच्चा किसी न किसी के ट्रैप में था। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन पर सीधे-सीधे प्रश्न खड़े हुए, उनके बारे में इस बिल में क्या प्रावधान होगा और उनको किस तरीके से उस घेरे में लाया जायेगा, इसकी चर्चा भी होती। राजीव गांधी स्टडी सर्किल नाम का एक संस्थान है जो 17 वर्षों से काम कर रहा है, उनके पदों पर बैठे हुए लोग सीधे-सीधे इसमें शामिल थे। क्या संस्थाएं इस दायरे में आयेंगी? इस विधेयक के पूर्व में सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता पर 2 एफआईआर हुईं थीं, क्या उन अपराधियों की सम्पत्ति जब्त होगी? अपराध तो तब भी हुआ था। कुठाराघात तब भी हुआ था। तकलीफ तब भी हुई थी। ऐसी दर्ज रिपोर्ट के अपराधियों पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा? उनको क्या 10 साल की सज़ा मिलेगी? क्या ऐसे कानून बनाने से नकल रुक जायेगी?

(समय: 13.23 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आपने पॉक्सो एक्ट से लेकर दलित और

(श्री सतीश पूनियां)

महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर अनेक कानून बनाये हैं, फिर राजस्थान आज अपराधों में नम्बर एक क्यों है? कानून ही यदि इसको रोकता, उसका भय होता तो महिलाओं के उत्पीड़न, दुष्कर्म और दलितों पर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी क्यों होती है? मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खतम हुआ। सरकार के संरक्षण में जिस तरीके से नकल के गिरोह पनपे, हाथ कंगन को आरसी क्या, वह साफ दिखता है। सरकार की मंशा होती तो उसको ठीक से क्रियान्वित करती। कानून तो पहले से ही बना हुआ था, उसमें तो आजीवन कारावास और मृत्यु दण्ड तक के प्रावधान हैं। उसके बावजूद बच्चियों पर और महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार और बलात्कार की घटनाएं रुकती क्यों नहीं हैं?

इस अधिनियम के सेक्शन 9 में भी कहा है कि किसी संस्था में नकल का अपराध होने पर संस्था प्रधान या अन्य बताये कि उन्हें नकल की या अपराध की जानकारी थी या नहीं? संस्था द्वारा नकल रोकने के सभी इन्तजाम होने के उपरान्त भी, नकल का अपराध हो जाने के बाद भी ऐसे अपराध से छूट क्यों दी गयी? इसी तरीके से सेक्शन 10 में परीक्षार्थियों को सज़ा के रूप में 3 वर्ष व जुर्माना एक लाख नहीं अदा करने पर 9 माह के अतिरिक्त दण्ड का प्रावधान है, लेकिन 2 में अन्य व्यक्ति को 10 वर्ष सज़ा और 10 करोड़ तक जुर्माना है, लेकिन अदा नहीं करने पर अतिरिक्त दण्ड 2 वर्ष का है। 1 लाख वाले पर 9 माह का और 10 करोड़ वाले को केवल 2 वर्ष की सज़ा का ही प्रावधान क्यों है?

सभापति महोदय, इस पर गौर करिये कि सेक्शन 10 के प्रोवाइडेड में सज़ा कम करने के विशेष प्रावधान का भी जिक्र है। अपराधियों को सज़ा किन परिस्थितियों, किन कारणों से क्यों कम की जाये? यह स्पष्ट नहीं है। सेक्शन 11 में परीक्षार्थियों को अपराध में लिप्तता पर 2 वर्ष तक का प्रतिबन्ध व क्यों नहीं आजीवन कारावास के प्रतिबन्ध तक चला जाये? इन परीक्षार्थियों पर 2 वर्ष का प्रतिबन्ध कब से गिना जायेगा? पकड़े जाने पर, चार्ज शीट पेश होने पर, चार्ज लगने तक या सज़ा होने तक?

सेक्शन 12 में सम्पत्ति की कुर्की और अधिग्रहण के सब-सेक्शन 2 में अनुसन्धान अधिकारी को सम्पत्ति अपराध से प्राप्त होने का पता चलने पर सम्पत्ति कुर्क या अधिग्रहण करने के वास्ते सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक क्यों है? जब यह प्रूव हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, उसके बावजूद भी सरकार कितने समय में स्वीकृति देगी? यह भी स्पष्ट नहीं है।

(श्री सतीश पूनियां)

अभी तो पुराने केसेज के अभियोजन की स्वीकृतियां भी पेंडिंग पड़ी हैं। सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं देने पर ऐसी सम्पत्ति का क्या होगा जो अपराध में लिप्त है और जो स्पष्ट नहीं किया गया होगा? ऐसी सम्पत्तियों का क्या होगा? सम्पत्ति जब्त या कुर्क करने के उपरान्त कोर्ट को 48 घण्टों में सूचना आवश्यक बतायी गयी है, लेकिन सरकार के लिए स्वीकृति का समय तय क्यों नहीं किया गया? ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय खोलना बताया गया है। ऐसे प्रकरण के लिए फास्ट ट्रेक का प्रावधान क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

अनुसन्धान के बाद प्रत्येक चार्ज शीट में कोर्ट आफिसर की नियुक्ति का प्रावधान हो ताकि ट्रायल में अभियोजन पक्ष को पुलिस से सहायता प्राप्त हो सके। जो अभी 2022 का बिल प्रस्तावित है, सार्वजनिक आम परीक्षा जो भर्ती के अलावा होगी, क्योंकि इसमें आपने स्पेसिफिक भर्ती का उल्लेख किया है, उस पर यह कानून लागू होगा या नहीं होगा? कौनसा कानून लागू होगा, यह इसमें स्पष्ट नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के उन लाखों नौजवानों के लिए जो अवसाद में चले गये, जिनकी सम्पत्तियां बर्बाद हो गयीं, अनेक लोगों ने आत्महत्याएं कर लीं। बहुत पुरानी बात नहीं है, देवली के लोकेश मीणा का मामला इस तरीके का है जो सबके लिए रोंगटे खड़े करने वाला है। बहुत सारे लोग इसलिए उजागर नहीं हुए कि उनको इस बात का भय लगता है कि उनसे बड़ी पूछताछ होगी। लेकिन राजस्थान के गांव-गांव से कहीं न कहीं इस तरह के नकल के संगठित गिरोह ने 1 हजार करोड़ से भी ज्यादा पैसे का लेन-देन किया। मुझे लगता है कि यह किसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्मनाक है।

सभापति महोदय, अगर इस तरीके का बिल आता है तो मुझे लगता है कि इसको पहले जनमत जानने को परिचालित करके इसमें जो योग्य उपाय हों वह करें ताकि भविष्य में किसी भी नौजवान के साथ इस तरीके का खिलवाड़ न करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह सदन एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। राजस्थान में यह पहला मौका है जब एक अपराध के लिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2 कानून हैं। एक कानून

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो अभी सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया है और दूसरा कानून जो 1992 में बनाया गया था, जिसके सेक्शन 8 में आज सरकार संशोधन लेकर आयी है।

सभापति महोदय, मेरे दीर्घ संसदीय जीवन में मैं पहला मौका देख रहा हूं, आप मुलाहिजा फरमायें, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022, ठीक इसी तरह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022, जिस पर चर्चा चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे मेरा सरकार पर आरोप है कि रीट की चीट की पुकार चारों ओर से नौजवान ने की। पूरे देश में राजस्थान की सरकार शर्मसार हुई। चारों तरफ से दबाव पड़ा और कुछ छुटभैये, बड़े किरदारों की छाया में जिन्होंने यह खेल किया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। मैं उनकी गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं हूं। एसओजी ने गिरफ्तार किया।

माननीय सभापति महोदय, अभी आपने 3 दिन पहले समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि रीट के अन्दर जो एसओजी से गिरफ्तार हुए, प्रमाणित तौर पर भजनलाल, प्रदीप पाराशर, इसमें प्रदीप पाराशर बहुत बड़ा आदमी है। सैद्धान्तिक रूप से इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े थे। प्रदीप पाराशर, उदाराम और अमृत लाल, इनके साथ 11 लोग थे। इन 11 लोगों की जमानत हो गयी और 11 लोगों की जमानत इसलिए हो गयी कि आपके यहां प्रावधान है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, 2022 है, इसके अन्दर तीन साल की सज़ा का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, आप जैसा प्रशासनिक दक्षता का अधिकारी रहा, आज सदन को सुशोभित कर रहा हो, कितनी पीड़ा होगी उस देवली के नौजवान को जो फांसी के फन्दे पर लटक गया रीट की परीक्षा का परिणाम नहीं आने से।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो परदे के पीछे खेल किया गया है, आज जब उनकी जमानत हो गयी तो उन प्रावधानों को कड़ा करने के लिए प्रस्ताव लेकर आये हैं। निश्चित तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा एक साल पहले थी, परीक्षाओं में जो अनुचित साधन प्रयोग हो रहे हैं उन पर हम कड़ा कानून लेकर आयेंगे। उस समय मैने माननीय मुख्य मंत्रीजी की गर्वित मुद्रा देखी थी, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जब वो घोषणा कर रहे थे तो मैंने सोचा कि निश्चित तौर पर मुलायम मुख्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्रीजी कुछ कड़ा करेंगे पर एक साल का समय निकल गया, पर ये सारी घटनाएं हो रही थीं, उसी समय ये कानून सदन के चलते ही आ जाता तो शायद वो अपराधी, प्रमाणित अपराधी आज जेल के सींखचों के बाहर नहीं होते।

माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राजस्थान में पहले से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, 1992 जो चला हुआ है, अगर इसके अन्दर संशोधन ले आते तो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसमें दण्डात्मक प्रावधान है। 1992 के एक्ट में तीन साल तक की सज़ा का प्रावधान है, इस प्रावधान को सरकार चाहती तो इसको कड़ा कर सकती थी संशोधन के माध्यम से। मैं समझता हूं कि इसके पीछे हेतु एक ही है कि हम पूरे अवाम को, पूरी दुनिया को यह बतायें कि देखिये, हम राजस्थान के अन्दर परीक्षाओं में जो अनुचित करेगा, उसके खिलाफ बड़ा दण्डात्मक प्रावधान का नया कानून लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि रीट की चीट से कराह उठे उस नौजवान की बद्दुआ से सरकार बच नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिए पर आज भी वो लोग, वो किरदार, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो डाक्टर डीपी जारोली, रामकृपाल शर्मा, प्रदीप पाराशर के कुकर्म पर इस एक्ट को लाकर हम पर्दा नहीं डाल सकते। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा। मैं इस बात का भी जिक्र नहीं करूंगा कि डीपी जारोली अब कहां है? मैं इस बात का भी जिक्र नहीं करूंगा कि जिस एजेंसी को सबसे अच्छी एजेंसी माना, डीपी जारोली ने जब 04 फरवरी, 2022 को सोशल मीडिया में कहा कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, असली किरदार तो बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े नेता हैं। उन्हीं के दबाव से मैंने सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छपवाने की बात कही, उन्हीं के कहने से मैंने शिक्षा संकुल के अन्दर सरकार के आदेश से इतर होकर अन्य व्यक्तियों को सौंपा, जिन्होंने चाबियां लगाकर प्रश्न पत्र चुराये।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत इस राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 के उद्देश्यों और कारणों को पढ़ना चाहता हूं। सरकार ने अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो बात कही, सरकारी पदों पर भर्ती के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मामलों में नकल होने से न केवल जन साधारण के साथ विश्वासघात होता है, बहुत देर से आये हुजूर विश्वासघात की बात आपने बहुत देर से कही, बल्कि परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं, जिससे सरकार को भारी प्रशासनिक लागत का नुकसान होता है। नकल के कारण से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, इक्वैलिटी बिफोर लॉ, और अनुच्छेद 16(1) अपोर्चुनिटी, परीक्षाओं में हरेक नागरिक को, हरेक व्यक्ति के समानता का अधिकार के प्रावधानों का भी हनन होता है। बहुत अच्छा किया। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक स्तर पर समानता का अधिकार है। सरकार ने अपने कथन में यह भी कहा कि वर्तमान में तकनीकी साधनों की बढ़ोतरी के कारण नकल में अनुचित साधनों के प्रयोग में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन आफ अनफेयर मींस) एक्ट, 1992 का अधिनियम इस बुराई से निपटने के प्रयोजन को पूरा नहीं करता है, इसलिए राज्य सरकार ने भर्ती प्रयोजन के लिए संचालित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए नई विधि लाने का विनिश्चय किया है।

माननीय सभापति महोदय, अब इसके कारक कौन है? अब उद्देश्यों और कारणों के कथन में कारण तो लिख देते। मैं समझता हूं कि कुछ घटनाएं लिखने से आने वाली पीढ़ी सावचेत होती। इसके अन्दर अगर यह लिख देते कारणों में, चूंकि राजस्थान के अन्दर दुनिया की, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसमें 26 लाख से ज्यादा नौजवान बैठे, उसका पेपर शेर की मांद में जाकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने शिक्षा संकुल से उठाया और बोली लगाकर राजस्थान में बेचा। यह कारण लिख देते तो मैं समझता हूं कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बात आती तो हुक्मरान में जो बैठे हैं, आफिसर्स गैलरी में, मेरी बात सुनकर कई मुस्कुरा रहे हैं तो कई गुस्सा कर रहे हैं, एक महानुभाव तो दांत पीस रहे हैं, बताओ क्या करें? पर मैं निवेदन करना चाहूंगा यह बात उसमें होती तो निश्चित तौर पर ये जिस उद्देश्य और कारणों के कथन की चर्चा हो रही है, उसमें होना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस विधेयक में जिस धारा का जिक्र अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, धारा 2 (एफ)(i) अनुचित साधन का उपयोग करने पर तीन वर्ष की सज़ा और एक लाख रुपये का जुर्माना, अच्छा काम है और धारा 10(2) में परीक्षा कंडक्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करने में लगा कोई व्यक्ति अगर नये विधेयक की धारा 2(एफ)(2) में वर्णित अपराध करता है तो पांच वर्ष से दस वर्ष तक की सज़ा और दस लाख से दस करोड़ तक के जुर्माने के दण्ड का भागी होगा। यह गजट नोटिफिकेशन के बाद इस सज़ा के प्रावधान में वो लोग आयेंगे जो भविष्य में परीक्षाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करेंगे। प्रदीप पाराशर से, रामकृपाल मीणा से ऐसी क्या मित्रता थी कि आपने सिर्फ उन लोगों की जमानत के लिए, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए आप आज कानून लेकर आये? माननीय सभापति महोदय, यह मेरी समझ से परे की बात है पर ये कुछ अनुत्तरित सवाल हैं। ये अनुत्तरित सवाल नेपथ्य में जाते हैं। नेपथ्य में गूंजते हैं जो वर्षों तक गूंजेंगे।

माननीय रसद मंत्रीजी, मैं निवेदन करूं, इसी एक्ट के अन्दर एक बात लिखी गयी कि अगर कोई परीक्षार्थी इस सेक्शन 11 में नकल करने पर दोषी पाया जाता है तो उसको पब्लिक एग्जामिनेशन से दो साल के लिए डिबार किया जायेगा। निश्चित तौर पर उस परीक्षार्थी के द्वारा भी यह अपराध किये जाने पर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इस 12(2) में यह भी है कि अगर कोई इस प्रकार का विश्वास करता है कोई व्यक्ति और इस प्रकार का अपराध कारित करता है और इंवेस्टीगेशन से यह सिद्ध हो जाता है कि उसने विधेयक में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो उसकी चल और अचल सम्पत्ति जब्त की जायेगी। निश्चित तौर पर चल और अचल सम्पत्ति जब्त करेंगे, यह निश्चित तौर पर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई परीक्षार्थी पकड़ा गया, उधर तो आपने तीन साल की सज़ा कर दी, उधर आप परीक्षा से डिबार कर रहे हो दो साल के लिए, तो इसमें साफ लिख देते कि एक साल तक परीक्षार्थी जेल में रहते हुए भी परीक्षा दे सकेगा, नम्बर एक बात। नम्बर दो बात, चल और अचल सम्पत्ति, आपने धारा 12(2) में इसका प्रावधान तो कर दिया पर चल और अचल सम्पत्ति एचयूएफ की करेंगे या व्यक्तिगत उसके नाम से करेंगे या ये जो संस्थाएं चल पड़ी हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में किरदार आज अगर परीक्षाओं में, परीक्षाओं ही नहीं, नौकरी की लूट में भी गैंग बन गयी हैं। इन संस्थाओं के नाम से जो जमीन है और उन संस्थाओं के मुखिया के तौर पर नाम इन्द्राज नहीं है तो उसकी सम्पत्ति जब्त होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में स्पष्ट करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात सेक्शन 13 में कही गयी है, परीक्षा कराने वाली संस्था अगर परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करती है यानी प्रश्न पत्र लीक करती है या उसमें सहयोग करती है तो पूरी परीक्षा का खर्चा उस संस्था से वसूल करने का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर अगर इस कानून को जिस मंशा के साथ लागू कर दिया जायेगा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक भय का वातावरण बनेगा, मैं इसका भी स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस पूरे प्रकरण में दूध की रखवाली किसको दी, बिल्ली को दी। मतलब, आपने कहा सेक्शन 15 में एसीपी स्तर का अधिकारी इसकी जांच करेगा। सभापति महोदय, अब एसीपी कौन? आप तो साक्षी रहे हैं, अभी जब रीट की बात चली, उसमें जब किरदारों को ढूंढते-ढूंढते सीधी निगाह चलने लगी, सरकार में बैठे हुए रसूखदार लोग सरकार को चलाने वाले लोग, यहां से प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि एसओजी के एसीपी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह जाकर उन्हें नोटिस देकर कहे कि यह जो जारोली है, इसके साथ आपकी इतनी बार वार्ता हुई, शिक्षा संकुल में किस प्रकार आपने रवीन्द्र सिंह, डी.ई.ओ. को लगा दिया और उसके साथ आपने राम कृपाल मीणा को लगा दिया, दोनों साथ मिलकर सेफ खोलकर पेपर चोरी करके ले गये। इसीलिये मेरा निवेदन है कि यह जो आप एसीपी से जांच करवा रहे हैं, यूपी के कानून की आपने एक तरह से नकल की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पर यूपी में योगी जी की तरह सरकार चलाने में नकल करते तो मैं मानता। अब यूपी में उन्होंने कहा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के दायरे में लाएं और जांच जो होगी वह एनएसए के दायरे में होगी। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में भी, जब हम जानते हैं राजस्थान की पुलिसिंग को, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया था, एक निरपराध व्यक्ति तीन साल तक जेल के सींखचों में पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी बदला और उसकी रिहाई की सी.आर.पी.सी. में बात हो गयी। यह जांच राजस्थान में नहीं, आप निश्चित तौर पर यूपी की तर्ज पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसके अन्दर प्रावधान करें कि उसके अन्दर एनएसए जैसी संस्था, सी.बी.आई. जैसी संस्था इसकी जांच करे तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पर...

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, यह जो कोचिंग सेंटर की मैंने बात की, नौकरियां लूटने के लिए एक संगठित गिरोह है तो कोचिंग सेंटर्स हैं। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को एक विज्ञापन दिखाया, ''पटवारी की परीक्षा और सशर्त आपका सलेक्शन, सलेक्शन नहीं होने पर इतने रुपये वापस'', कैसे कह सकते हैं? +++

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): +++

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज बैठें। यह डिलीट कर देना आपस की बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++ सभापति महोदय, ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, इनके इस तरह के विज्ञापन, और हो क्या रहा है, मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं में आये हुए 1 हजार प्रश्न पत्रों में से पूरा प्रश्न पत्र आयेगा, उसकी फीस अलग। उसकी फीस है 3 महीने के लिए 1 लाख रुपये। गारंटी है, 1 हजार प्रश्न पत्र देंगे, उसमें से पूरा पेपर आयेगा। अगर 500 प्रश्न पत्रों से आयेगा तो उसकी फीस है 2 लाख रुपये। अगर 100 से आये, 100 प्रश्न पत्र देंगे और इस गारंटी से देंगे कि पूरी की पूरी प्रतियोगिता परीक्षा, जो सरकारी नौकरी के लिए है, उसमें सारा प्रश्न पत्र आयेगा तो 5 लाख रुपये।

प्रायोगिक रूप से, मंत्री जी, आप बड़े दमदार मंत्री हैं, आपने इतिहास रचा है, आपके संज्ञान में यह बात आयी नहीं, यह बात आती तो आप कोचिंग सेंटर्स को इस एक्ट के दायरे में लेकर आते। इसमें एक अमेंडमेंट मूव करके कोचिंग सेंटर्स को भी इस एक्ट के दायरे में लाएं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जो सेक्शन 16 में डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात कही, सेक्शन 16 में यह जुर्माना तब होगा 10 वर्ष का 10 करोड़ तक का जब आपका कोर्ट इसके बारे में निर्णय करेगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मामला उठाया मल्टी नेशनल क्रेडिट सोसायटी का। आपने वह आंकड़ा दिया, मैं उसे याद करके लिख रहा था, शायद 48,000 करोड़ का फ्रॉड है और 96,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं और यह बैनिंग एक्ट जो आया 2019 में, जिसके रूल्स हमें बनाने थे, उसके अन्दर दो वर्ष हो गये और डेजिग्नेटेड कोर्ट नहीं बने।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, कहीं ऐसा नहीं हो जाये कि डेजिग्नेटेड कोर्ट, जिस-जिस मामले में राजस्थान के अन्दर बड़ी मात्रा में लोगों से मल्टी क्रेडिट सोसाइटी ने फ्रॉड किया, चीट किया, उसमें नहीं बनाएं, इसमें भी नहीं बनाएं, निश्चित तौर पर आपको करना चाहिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, इस डेजिग्नेटेड कोर्ट की समय-सीमा कब तक हो जायेगी? लोग कहते हैं, मुझे अभी बीच में सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा, ''सरकार वीक, पेपर लीक'', आपकी सरकार को मजबूत करें। यह जो कलंक लिखा गया न, ''सरकार वीक, पेपर लीक'', इसे हटाने का प्रबन्ध करें।

सभापति महोदय, अभी आपने घोषणा की थी, मैंने नहीं की, वह घोषणा कराने में रसद मंत्री जी का भी हाथ था कि जब कभी भी कोई परीक्षा रद्द होगी, उस परीक्षार्थी को उस परीक्षा में परीक्षा शुल्क सहित सारी राशि वापस दी जायेगी। मेरा तो इससे आगे इतर भी है, गांव का आदमी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने के लिए आता है, पूरे साल-भर पढ़ता है, डेढ़ साल पढ़ता है, परीक्षा आयोजित होती है, अचानक प्रश्न पत्र लीक होता है और परीक्षा रद्द होती है और वह ठगा-सा रह जाता है। मैं कहता हूं, आप उसका परीक्षा में लगा शुल्क तो दे ही दें, उसके लिए मुआवजा भी तय करें। अगर परीक्षा रद्द होती है तो उस बेरोजगार का गुनाह कुछ भी नहीं है, उसका दूर-दूर तक कसूर नहीं। इसके बारे में भी निश्चित तौर पर करें।

सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं करूंगा, परन्तु राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एक साथ 6 परीक्षाएं रद्द कीं। मैं अगर पढ़ने लगूं, अभी तो आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के जो क्लर्क ग्रेड-II की परीक्षा थी, डीजीपी साहब ने आज सुबह कहा कि मुकदमा दर्ज कराएं इस पर। सहायक कृषि एवं अनुसन्धान अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, सहायक मत्स्य अधिकारी, Veterinary Officer, पुस्तकालय अध्यक्ष, आरएएस भर्ती, जेईएन भर्ती, पटवारी परीक्षा, एसआई परीक्षा, रीट परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं आपके कालखण्ड की बातें हैं। हो जाता है कई बार।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह भी बता दें आपके टाइम पर कितने पेपर लीक हुए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): देखिये, हमारे समय में अगर इस प्रकार का कुकर्म हुआ तो मैं उसे भी अच्छा नहीं मानता, पर हमारे समय में हमारे जैसे 6 फीट 2 इंच के दमदार लोग नहीं थे विपक्ष में, जो उस समय बात उठाते। हमारे सामने बोलने से पहले चार बार आप सोचा करते थे, इसीलिये वे बीती बातें चली गयीं। अब तो आज की बात करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था, इन परीक्षाओं के लिए मेरा एक सुझाव है। जब आरपीएससी पेपर सेट करती है या आपका मंत्रालयिक कर्मचारी बोर्ड कोई पेपर सेट करता है और उसके बाद उस पेपर की विसंगतियों के कारण परीक्षा रद्द होती है, आपने एक्सपर्ट से कहा कि इस विषय पर पेपर बनाएं, एक्सपर्ट पेपर बनाता है, विसंगतियां छोड़ देता है, मामला हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट पूरी परीक्षा रद्द करता है, तो कम से कम ऐसे पेपर जो बनाने वाले हैं, उनके मापदण्ड और मानदण्ड तो कुछ तय कर दें कि किस प्रकार के लोग राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पेपर बनायेंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ ही, चाहे यह आरपीएससी हो या मंत्रालयिक कर्मचारी बोर्ड हो, अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग 10-10, 15-15 सालों से किसी न किसी पद पर विराजे हुए हैं। उन लोगों की सीधी सांठगांठ है। ये जो कोचिंग सेंटर वाले दावा करते हैं न कि 100 प्रश्न पत्रों में से पूरा प्रश्न पत्र आयेगा परीक्षा में, इसीलिये करते हैं कि जब तक परीक्षार्थी के हाथ में प्रश्न पत्र जाता है, मंत्री महोदय, एक-एक महीने पहले, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, एक-एक महीने पहले प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्न आरपीएससी में बैठे वे लोग, मंत्रालयिक कर्मचारी बोर्ड में बैठे वे लोग, इन किरदारों के माध्यम से वे प्रश्न पहले कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं। इसीलिये मेरा एक प्रस्ताव है, एक तो जुडीशियल कमीशन बनाएं आप। मंत्री जी, आप बना सकते हैं। तीन सालों में जो दर्जनों परीक्षाएं रद्द हुईं, वे किस कारण से रद्द हुईं? जुडीशियल कमीशन जांच कर ले, दोष सिद्ध करे न करे वह अलग बात है। पर इसके बाद, यह दिलों की छाया में, सरकार की छाया में कुछ आर्गनाइजेशंस जो इस प्रकार के कामों में लिप्त पाये जाते हैं, आप राजीव गांधी स्टडी सर्किल को नहीं ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं पर किसी छोटे-मोटे को कर दीजियेगा। ऐसे संगठन जो संगठन के नाम पर दुकानदारी चलाये हुए हैं, इनको तो रद्द करें, इनकी जांच कराएं जुडीशियल कमीशन से।

दूसरा, मैं यह कहूंगा कि प्रश्न पत्र के बाद में जो आंसर-की है और यह जो साक्षात्कार का खेल है, अब बताओ रसूखदार को कैसे पता लग गया कि मेरे पुत्रवधू या मेरे बेटे का साक्षात्कार अमुक आदमी लेगा? कैसे आरपीएससी के अन्दर आरएएस बनाने की खान बन गयी? कैसे आरपीएससी के अन्दर रिटन परीक्षा के परसेंटेज से दुगुने परसेंटेज के नम्बर साक्षात्कार में मिल गये? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सख्त कानून बनाया, हम स्वागत करते हैं, पर हाई कोर्ट के सिटिंग जज का जुडिशियल कमीशन बनाओ जिससे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसमें सारी बातें आ जायेंगी। देखिये, कई बार कमीशन में बैठे ये लोग इंडिपेंडेंट होकर अपने को राय देते हैं क्योंकि यह छोटा कानून नहीं है, यह राजस्थान के नौजवानों से जुड़ा हुआ कानून है। आप कल को रहोगे या नहीं रहोगे और आज जैसे जिस प्रकार के रास्ते पर आप चलोगे तो एक छोटी मिनी बस जितनी भी सवारी आपकी नहीं आयेगी क्योंकि आप जब भी आते हो और जाते हो तो आपका सूपड़ा साफ होता है, तो उस समय हमें इसको झेलना पड़ेगा। आप अगर कमीशन बनाकर सारी बातों को ले आओगे तो मैं नेता, प्रतिपक्ष की सहमति से कहता हूं कि हम उनको लागू करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: थैंक यूं। श्री संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के संरक्षण में नकल के गिरोह पनपे। यह बहुत अफसोस की बात है कि राजस्थान का प्रमुख विपक्षी दल एक 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी की सरकार के प्रति यह नजरिया और यह सोच रखता है। माननीय सभापति महोदय, वसुन्धरा जी की सरकार में भी पटवारी के एग्जाम के पर्चे खुले, लीक हुए, पुस्तकालयाध्यक्ष की परीक्षा के पर्चे लीक हुए, थानेदार की परीक्षा के पर्चे लीक हुए, रीट के पर्चे लीक हुए पर कभी किसी ने यह नहीं कहा कि वसुन्धरा राजे ने ये पर्चे लीक करवाये या वसुन्धरा राजे के संरक्षण में ये पर्चे लीक हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून सरकार दबाव में लायी है, जल्दबाजी में लायी है। अभी कुछ दिन पहले मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ रहा था, कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ वह वर्ड-टू-वर्ड उसमें छप गया। कैबिनेट की बैठक की गोपनीयता भंग हो गयी और अभी तक यह पता नहीं लग सका कि कैबिनेट की बैठक की गोपनीयता किसी मंत्री ने भंग की या उस मीटिंग में बैठे हुए किसी अधिकारी ने भंग की। अब यह हम फिर लाचारी दिखा रहे हैं, हम अपनी फिर कमजोरी दिखा रहे हैं और हमने यह मान लिया है कि लीक होंगे। हम दस करोड़ रुपये वसूल करेंगे या हम दस साल की सज़ा देंगे, क्यों? आप शासन लेकर बैठे हुए हो, आपमें यह नैतिक बल होना चाहिए कि हम आने वाले वक्त में किसी भी सूरत में पर्चे लीक नहीं होने देंगे। अफसरों के निकम्मेपन की सज़ा दूसरे लोगों को देना चाहते हो। किस बात की तनख्वाह देते हैं आप उन्हें अगर यह व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती?

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? क्यों गांव का साधारण बच्चा, जिसको ढंग के संसाधन पढ़ने के लिए नहीं मिले, ढंग की स्कूल नहीं मिली, ढंग का कालेज नहीं मिला, ढंग की पढ़ाई नहीं कर सका वह यह सोचता है कि मैं किसी भी तरह पैसे से पेपर प्राप्त करके मास्टर बन जाऊं या पटवारी बन जाऊं, ये परिस्थितियां क्यों बनीं? आपने अम्बार लगा रखा है कोचिंग सेंटरों का। पैसे वालों की नालायक औलादें उन कोचिंग सेंटरों में प्रवेश लेती हैं और प्राइवेट स्कूलों के अन्दर उनका नाम चलता रहता है, उन स्कूलों में उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वे कोचिंग सेंटर पैसे छापने के लिए 2 करोड़ रुपये इन नकल गिरोहों पर खर्च करते हैं और 20 करोड़ रुपया कमाते हैं। सरकार क्यों हिम्मत नहीं दिखाती कि हम इन कोचिंग सेंटरों को बन्द करेंगे, हमारे स्कूल और कालेज की पढ़ाई को इतना सुधारेंगे कि हमारे बच्चों को इन कोचिंग सेंटरों तक जाने की जरूरत नहीं पड़े, पर नैतिक बल की कमी है, प्रतिबद्धता की कमी है, उस बच्चे की तकलीफ से जुड़ने का अभाव है और इसलिए ये परिस्थितियां बनी हैं।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय कानून का मूल ध्येय है कि सौ दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। आप जो कानून को लेकर आये हैं वह भारतीय कानून की उस मूल धारणा के विपरीत है। माननीय सभापति महोदय, यह कानून ड्रेकोनियन है और इसके जरिये आप फिर से एक इंस्पैक्टर राज की तरफ आगे बढ़ रहे हो जिसके दुष्परिणाम आने वाले वक्त में हर कोई भोगेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा। यह जो अनफेयर मीन्स को परिभाषित किया है ".. in relation to an examinee, to take unauthorised help in public examination from any person or group directly or indirectly or from any material written..." पड़ोस के बच्चे का भी अगर किसी ने देख लिया, कुछ टीप लिया तो आ जाइये लाइन में। पर्चा तो उस स्टोर से लीक हो रहा है जहां पर आपने रखा हुआ है और उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो कानून का दायरा कितना बढ़ाते जा रहे हो, जिसमें हजारों लोग ट्रैप में आ जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि सैक्शन 4 में इन्होंने लिखा "Possession and disclosure of question

(श्री संयम लोढ़ा)

paper.- No person authorised by virtue of his duties in conduct of public examination shall before the time fixed for opening and distrubution of questin papers - (a) open ..." अब आपने सेक्शन 10 में जो पैनल्टी इम्पॉज की है, इस ओपन वर्ड का कहीं उसमें यूज किया है? आपने 2 (f) (i) और 2 (f) (ii) इन दो का जिक्र आपने किया है। इस ओपन शब्द का जिसका आपने सैक्शन 4 में लिखा है, यह वर्ड भी आपने यूज किया है उसमें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि यह जो सैक्शन 9 है- "Offences by Management, Institution or others.- (1) Whenever an offence under this Act has been committed by Management or Institution or Limited Liability Partnership or oterhs, .." अब यह अदर्स क्या है? " ...every person who at the time the offence was committed was incharge of, or was responsible to the Management or Institution or Limited Liability Partnership or others for conduct of the business of the Management or Institution or Limited Liability Partnership or others, ..."

माननीय सभापति महोदय, मैं विनती करूंगा कि आप ही की यूपीए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कानून इस पर बनाया हुआ है प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिग एक्ट। वह सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रावधानों को स्टैंड रखा, आप उन्हीं का अवलोकन कर लेते और सैक्शन 70 के अन्दर जो पीएमएलए में प्रोविजन दिया हुआ है उसका अवलोकन कर लेते तो इसका बहुत विस्तार से खुलासा हो जाता और इन्नोसेंट आदमी के, निर्दोष आदमी के फंसने की सम्भावना सीमित हो जाती, उसको पूरा अवसर देने का मौका मिल जाता क्योंकि बहुत कैटेगरीकली सारे डिपार्टमेंट्स के आफिसर का भी उन्होंने लॉ में उल्लेख किया है - Offences by companies.–(1) Where a person committing a contravention of any of the provisions of this Act or of any rule, direction or order made thereunder is a company, every person who, at the time the contravention was committed, was in charge of and was responsible to the company, for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

(श्री संयम लोढ़ा)

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention.

(समय: 14.00 बजे)

अब आप इतने गम्भीर हैं, 10 करोड़ रुपये की सज़ा और 10 साल की सज़ा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आपके सामने वाले आदमी को पूरा अवसर देने में आपका क्या जाता है?

माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा सेक्शन विस्तार से पढ़कर सदन का और महत्वपूर्ण समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मंत्री जी से विनती करूंगा कि अपने अधिकारियों से कहें कि वे उसके प्रोविजन का अवलोकन कर लें और ऐसा कानून लेकर के आयें जिससे लोगों का भरोसा बढ़े, सरकार की भी प्रतिष्ठा बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपको निवेदन करूंगा, सेक्शन-12 का - "Attachment and confiscation of Property.- No Person shall hold or be in possession of any proceeds of any offence under this Act. If an officer, investigating an offence committed under this Act."

माननीय सभापति महोदय, इसमें भी मैं सेक्शन-5 PMLA का उल्लेख करना चाहूंगा

"Attachment of property involved in money-laundering.–(1) Where the Director or any other officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of this has reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing), on the basis of material in his possession, that– (a) any person is in possession of any proceeds of crime; and (b) such proceeds of crime are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of crime under this Chapter, he may, by order in writing, provisionally attach such property for a period not exceeding one hundred and eighty days from the date of the order, in such manner as may be prescribed:..."

सभापति महोदय, इस सेक्शन-5 को पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि काफी

(श्री संयम लोढ़ा)

लम्बा है और आगे stage of attachment का भी उल्लेख किया है। Order of attachment passes through 3 different stages - (i) provisional order u/s 5(1) (ii) confirmation of provisional order u/s 8(3) and (iii) finality of the order of attachment u/s 8(3)(b)(a). माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि आप इन सारे प्रावधानों का अध्ययन कर लें, कितना बड़ा निर्णय आप करने जा रहे हो, इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया आपको कानून सम्मत बनानी चाहिये।

अब एडजुडिकेशन सेक्शन-8 PMLA एक्ट का, ये सारे आपके पास रेडी अवेलेबल हैं, आपको कुछ दिमाग खपाने की भी जरूरत नहीं थी, आप इन सबका उल्लेख करते हुए, इन्हीं को वहां से उठा लेते। अभी आप बिल लेकर आये हैं, हरियाणा का आधा कापी किया हुआ बिल है आपका, तो उसको भी कापी कर लेते तो आपका यह प्रावधान बहुत सकारात्मक दिखता।

माननीय सभापति महोदय, अब एडजुडिकेशन ए, बी, सी का ही पार्ट है- "On receipt of a complaint under sub-section (5) of section 5, or applications made under sub-section (4) of section 17 or under sub-section (10) of section 18, if the Adjudicating Authority has reason to believe that any person has committed an offence under section 3 or is in possession of proceeds of crime, it may serve a notice of not less than thirty days on such person calling upon him to indicate the sources of his income, earning or assets, out of which or by means of which he has acquired the property attached under sub-section (1) of section 5, or, seized 2 or frozen under section 17 or section 18, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause why all or any of such properties should not be declared to be the properties involved in money-laundering and confiscated by the Central Government: ..." अब आप किसी की प्रोपर्टी को कवर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, 10 करोड़ के जुर्माने का प्रोविजन लेकर आगे बढ़ रहे हो और आपने कानून के अन्दर पूरा खुलासा ही नहीं किया। एडिशनल एसपी साहब जांच करेंगे, क्या एडिशनल एसपी साहब जांच करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं भुक्तभोगी हूं। मेरे ऊपर कलेक्टर की

(श्री संयम लोढ़ा)

गाड़ी तोड़ने का असत्य मुकदमा हुआ था। मैंने 13 साल ट्रायल फेस किया और 13 साल बाद बरी हुआ।

पूरे देश में लोगों को ध्यान होगा कि ये पोटा एक्ट भी लाये थे, कार्रवाई करने के लिए, उस पोटा एक्ट का किस तरह से दुरुपयोग हुआ, कितने लोग जेलों के अन्दर सड़ गये, 20-20 साल जेलों में सड़ने के बाद बाहर आये, 15 साल जेलों में सड़ने के बाद आये, जवान जेल में घुसे, लाचार होकर के बाहर निकले तो इस तरीके की परिस्थिति आप उत्पन्न मत करो।

आगे भी आपने दिया है ये केसेज, cases triable by designated courts और power to appoint designated courts, पिछले तीन साल में जितनी कोर्टें खोलने की घोषणाएं इस सदन में हुई हैं, चालू हो गयीं क्या? अभी तक 50 से ज्यादा कोर्ट आप चालू नहीं कर पाये हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या हाल हैं? कितने कोर्ट्स में ऑनलाइन काम चल रहा है? कोरोना में आपने देखा नहीं, कितने लोगों को भुगतना पड़ा। आज दिल्ली की तरफ देखिये, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑनलाइन हैं। आप मुकदमों का अम्बार खड़ा कर देंगे, पहले ही वहां हजारों मुकदमे पड़े हुए हैं, सुनवाई होती नहीं है, बारी नहीं आती और फिर इस तरह की व्यवस्था लाकर क्या आप और मुकदमों की झड़ी लगाना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, बिहार में भी शराबबन्दी का कानून लाये, क्या हुआ? मुकदमों का अम्बार लग गया और सुप्रीम कोर्ट का क्या आब्जर्वेशन है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, the Supreme Court showing displeasure after facing the problem of huge bail cases arising out of Bihar Liquor Prohibition Law of 2016, the Court asked the State Government whether it conducted any legislative impact study prior to making of such a law and created adequate judicial infrastructure to meet the torrent of litigation that was bound to follow. उसी दिशा की तरफ आगे जाओगे और आपके बिल के बारे में भी, मैं कह दूं, the State Government does not have adequate judicial infrastructure to deal with offences under this statute. The courts are already overburdened and making unfair means an offence will not solve the problem of paper leaks.

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि यह कानून सिर्फ अपनी ढकने के लिए मत लाओ। राजस्थान के बच्चों का जो

(श्री संयम लोढ़ा)

बुरा होना था, वह तो हो गया, लेकिन आज उन बच्चों को अपराधी बनाने की दिशा में आगे मत बढ़ो। चरित्रवान, नैतिक बल और प्रतिबद्ध लोगों को इन परीक्षाओं का काम सौंपे। आपने इस एक्ट के अन्दर लिख दिया, पीछे जो आपकी लिस्ट बनी हुई है कि कौन-कौन से शिड्यूल इंवोल्व होंगे। शिड्यूल-1, इसमें आपने लिख दिया राजस्थान हाई कोर्ट।

राजस्थान हाई कोर्ट के एक्जाम का इंचार्ज कौन होता है? हाई कोर्ट का जज होता है, तो सारी विरोधाभासी चीजें हैं। नहीं सम्भलता हो, आपके पास ढंग के प्रशासन में लोग नहीं हों तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज को ही यह सारा काम सौंप दें, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट का पर्चा लीक नहीं हुआ और यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन, मेम्बर को लाकर बिठाओ, जिनका पर्चा आज तक लीक नहीं हुआ। जेल भरने की दिशा में आगे मत बढ़िये। एक सरकार लेकर के बैठे हैं तो एक आत्मविश्वास दिखाइये, एक सरकार का नूर दिखाइये, सरकार की ताकत दिखाइये, कैसे लीक हो जायेगा, हर हालत में हम रोकेंगे इस तरह के कानून बनाने से 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लाने से, ये चीजें रुकने वाली नहीं हैं। इसलिए, आपके माध्यम से विनती करूंगा मैंने कुछ प्रावधानों का उल्लेख आपको किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि आप बहुत गम्भीर प्रावधान और इकॉनोमिक क्राइम मानते हुए प्रावधान लेकर आये हैं। इसलिए इतनी जल्दबाजी में पारित मत करिये, सरकार की कोई नाक नीचे नहीं होगी, अब आपका जो नुकसान होना था वह हो चुका है। इसकी भरपाई इस कानून के जरिये नहीं हो सकती है, लेकिन आगे और नुकसान नहीं हो, आगे और व्यर्थ के मुकदमों में बढ़ोतरी नहीं हो, इसलिए आप चर्चा करके हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में आपने कमेटी भी बनायी है, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाने दीजिये, उनके सुझावों को भी इसमें इनकारपोरेट करिये और एक ऐसा कानून बनाइये जिससे राजस्थान से नकल, पेपर लीक इन सब गतिविधियों के दरवाजे हमेशा के लिए बन्द हो जायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, अनेक भर्तियों का उल्लेख शिड्यूल-2 में किया गया है कि इन-इन भर्तियों में, सभी आयोग उसमें आ गये, सभी प्राधिकरण उसमें आ गये, सभी सोसायटी, निगम, स्थानीय निकाय मतलब राजस्थान में जो भी रेगुलेटरी ऑथोरिटी एग्जाम करवाती है, किसी भी स्तर के एग्जाम करवाती है वो सारे

(श्री बिहारीलाल)

इस शेड्यूल में आ गये और ईवन हाई कोर्ट को भी आपने शेड्यूल में ले लिया जैसा कि संयम जी ने बताया। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं बची जिसका पेपर राजस्थान में आउट नहीं हुआ। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं बची पिछले वर्षों में जिसने युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात न किया हो।

आदरणीय सभापति महोदय, हम रीट का उदाहरण ही ले लें, बहुत बड़ा रीटोत्सव मनाया सरकार ने और क्या-क्या नहीं देखना पड़ा राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान की करोड़ों की आबादी को, राजस्थान के अभिभावकों को, जूते-चप्पल भी सेन्टर पर उतरवा लिए गये। बहन-बेटियों के आंचल भी बाहर उतरवा लिए गये, दुपट्टे भी वो साथ न ले जा सकीं। बेटियों की कमीज की बांहों तक को कतर दिया गया, उसके बावजूद भी क्या हम नकल को रोक पाये? निश्चित तौर पर सरकार को अपने इकबाल को बुलन्द करना होगा कि सरकार का डर हो और हमारे सभी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन पर जिम्मेदारी है सफल परीक्षा कंडक्ट करवाने की उनका नैतिक बल ऊंचा करना होगा या उन जिम्मेदार ओहदों पर ऐसे नैतिक और चरित्रवान दृढ़ चरित्र के लोगों को लगाना होगा जिनकी पहचान सरकार को करनी होगी ताकि दुबारा राजस्थान को ऐसे दिन न देखने पड़ें।

आदरणीय सभापति जी, यह जो बिल सरकार लेकर आयी है, कड़ी सजाओं का प्रावधान किया है, कड़े जुर्मानों का प्रावधान किया है। धारा-2 (च) (i) में अनुचित साधन में तीन वर्ष की सज़ा, एक लाख का जुर्माना। धारा-2(च) (ii) में पांच वर्ष की सज़ा, अधिकतम दस वर्ष की सज़ा, जुर्माना दस लाख से लेकर दस करोड़ तक का। सज़ा के प्रश्न पर, माननीय सभापति जी, आज इतने गिरोह बन गये हैं नकल के और सुनियोजित गिरोह जो पहले ही पता कर लेते हैं कि पेपर कहां छपेगा, किस प्रेस में छपेगा और इन गिरोहों के साथ हमारे कोचिंग संस्थानों की जो मिलीभगत है और कोचिंग संस्थानों की जो स्थिति राजस्थान में है वह भी एक गिरोह की तरह ही कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। सही कहा माननीय सदस्य ने कि प्राइवेट विद्यालय में छात्र का नामांकन है, उसकी हाजिरी तो वहां लग रही है पढ़ वो कोचिंग संस्थान में रहा है और कोचिंग संस्थानों की जो बाढ़ प्रदेश में आयी है, हर तरह के कोचिंग संस्थानों के गिरोह बन गये हैं और करोड़ों रुपयों की चांदी वो कूट रहे हैं। ऐसे लोग चन्द करोड़ रुपयों में जिम्मेदार लोगों का ईमान खरीदकर करोड़ों लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आपने इसमें सज़ा का प्रावधान दस वर्ष किया है लेकिन इनकी जांच के बाद सूत्र कहीं

(श्री बिहारीलाल)

जाते-जाते गिरोह के मुखिया की तरफ जाये तो ऐसे संचालकों के खिलाफ, ऐसे गिरोह के मुखिया लोगों के खिलाफ तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान भी किया जाये तो राजस्थान के नौजवानों के साथ न्याय होगा।

आदरणीय सभापति जी, सेक्शन-11 में दोष सिद्धि पर विवर्जन की बात सरकार लेकर आयी है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे परीक्षाओं से दो साल के लिए डिबार कर दिया जायेगा। माननीय सभापति महोदय, इसमें दोनों तरह की बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दो साल के लिए आप उसको दोषी पाये जाने पर डिबार कर रहे हैं किसी परीक्षा से लेकिन अगर कोई इनोसेंट, निरपराध नौजवान उसमें फंस गया तो वर्तमान की न्याय व्यवस्था पर कितना बोझ है मुकदमों का, वह हम देख रहे हैं, कितनी पेंडेंसी हमारे कोर्ट्स में है, वह हमारे सामने है, तो कोई समय सीमा हम तय नहीं करेंगे तो किसी का फैसला अगर दस वर्ष में आया तो उस नौजवान का सारा भविष्य अंधकार में चला गया, इसलिए हमें इसमें प्रावधान करना होगा, हमारे कोर्ट्स की स्थिति देखते हुए, कोर्ट्स पर कैसेज के भार को देखते हुए। हालांकि आपने नये कोर्ट्स के सृजन की बात कही है लेकिन दूसरी वास्तविकता भी सामने खड़ी है कि जब हमने पीछे के अनेक प्रावधानों में तरह-तरह के कोर्ट खोलने की बात कही, हम उनको खोल नहीं पाये तो यहां कब तक खोल पायेंगे? यह भी भविष्य के गर्भ में है। इसलिए वर्तमान कोर्ट्स की पेंडेंसी को देखते हुए इस सेक्शन-11 में हमें प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा तय करनी होगी और इसको गम्भीर अपराध की श्रेणी में, यह गम्भीर अपराध की श्रेणी है, गम्भीर अपराध भी इसमें मेन्शन करना चाहिये और केस आफिसर स्कीम से केस का निस्तारण हो, समय पर निस्तारण हो, तब जाकर हम उस अभ्यर्थी के साथ न्याय कर पायेंगे। अगर कोई दोषी साबित हो गया तो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जो दो वर्ष के लिए आप डिबार करने की बात इसमें लेकर आये हैं, जो दोषी साबित होता है उसको हमेशा के लिए डिबार किया जाये सभी एग्जाम्स से, दो वर्ष की समय सीमा तो बहुत कम होती है, वह दुबारा इसी सिलसिले में इसी धारा में दुबारा एग्जाम देने आ जायेगा। तो, माननीय सभापति महोदय, इन दो-तीन बातों को इस सेक्शन-11 में समावेश हमें करना चाहिये।

सभापति महोदय, सेक्शन-12 सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण। सेक्शन-12 की धारा-4 न्यायालय प्रभावित व्यक्ति के अभ्यावेदन का

(श्री बिहारीलाल)

निस्तारण बिना किसी देरी के करेगा। इसमें भी मेरा मानना है, माननीय सभापति महोदय, कि सरकार को सेक्शन-12 के 4 में बिना किसी देरी के तत्काल करेगा, इसको जोड़ना चाहिये। तत्काल शब्द को जोड़ें, उसकी भी समय सीमा तय हो क्योंकि किसी अभ्यर्थी ने, किसी दोषी ने कानूनी पेचीदगियों से मामले को उलझा दिया तो वर्षों वर्ष उसका फैसला नहीं हो पायेगा।

सभापति महोदय, हमने दस साल की सज़ा की है और साठ दिन का अनुसंधान रखा है तो साठ दिन में क्या, आज जिस तरह के संचार माध्यमों का, जिस तरह की टैक्नोलोजी का अपराधी उपयोग करता है तो क्या साठ दिनों में हम उसका अनुसंधान कर पायेंगे? यह भी सवालिया निशान लगाता है। इस पर भी सरकार को ध्यान करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, एक मेरा आग्रह है इसमें एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी जांच करेगा सेशन ट्रायल केस है तो साथ-साथ एक मॉनिटरिंग का सिस्टम भी हमें डवलप करना चाहिये। संशोधन इस बिल में लेकर आना चाहिये कि इन केसेज की कलेक्टर और एसपी प्रोपर मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर आयेगी ताकि करोड़ों-लाखों विद्यार्थी जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और चन्द लोगों ने मिलकर किया है, संगठित गिरोह के रूप में किया है, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है, इस कानून के तहत क्या कार्रवाई हो रही है, तो रोज तय समय में कार्रवाई होगी, क्या चल रहा है वह पोर्टल पर दिखेगा, उस कानून का असर होता हुआ लगेगा तो लोग उससे डरेंगे और भविष्य में दूसरा कोई इस तरह का अपराध करने से डरेगा, माननीय सभापति महोदय। इसलिए, खाली रीटोत्सव मनाने का हश्र हमने देखा और मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि सरकार को जो नुकसान होना था हो गया। रीटोत्सव आपने मना लिया। राजस्थान के करोड़ों नौजवान अब उत्सव मनाने के बाद विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में कर देंगे लेकिन सरकार को इसमें जल्दबाजी न करते हुए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए और सबके सुझाव लेते हुए इसको वेलप्रूफ डिजाइन करके बिल को वापस सरकार लेकर लाये और फिर सदन में पास कराये, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की बात करता हूं। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: 21 लोग और हैं बोलने वाले इस एक पर, उसके बाद दूसरा बिल और है अपने सामने। रिपीटिशन को कृपया अवोइड करें। श्री वासुदेव जी देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर विचार कर रहे हैं।

राजस्थान में या पूरे भारत में किसी भी भर्ती के लिए परीक्षाएं होती हैं, उस समय लाखों-करोड़ों विद्यार्थियों की इच्छा रहती है कि मुझे न्याय प्राप्त होगा, योग्य का सलेक्शन होगा, परीक्षा सही ढंग से होगी और सही ढंग से सलेक्शन होगा लेकिन विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों में जिस तरह से 15 बड़ी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, एक भी बेदाग नहीं गई। चाहे आर.ए.एस. भर्ती हो, पटवारी भर्ती 2021, कांस्टेबल भर्ती 2019, ए एस आई भर्ती 2021, रीट, प्री-प्राइमरी शिक्षक की भर्ती को देख लें, एक-एक परीक्षा को मैं गिनूंगा तो अधिक समय लगेगा। इन सारी परीक्षाओं का हाल देखने के बाद आज लोगों का विश्वास समाप्त-सा हो गया है। इन भर्ती परीक्षाओं में आज सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है जिसके कारण से आज चारों ओर अविश्वास, त्राहि-त्राहि मची हुई है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 पहले से विद्यमान है। प्रावधान तो उसमें भी हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन प्रावधानों का आज तक कभी उपयोग हुआ क्या? उन प्रावधानों के अंतर्गत किसी को सज़ा हुई क्या? मुकदमे दर्ज हुए क्या? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण से मनोबल बढ़ता गया और आज गिरोह के गिरोह पनप गये। यह बिलकुल संगठित गिरोह हैं जो डमी अभ्यर्थियों को भी बैठाते हैं, फर्जी डिग्रीधारी को भी बैठाते हैं। यह फर्जी डिग्रीधारी कैसे हो रहे हैं? आपका एडमिशन स्कूल-कालेज में है, उस समय किसी दूसरी जगह से एसटीसी का सर्टिफिकेट लाते हो और इस परीक्षा में बैठते हो। धन का लेन-देन तो पता नहीं अरबों रुपये, करोड़ों रुपये का होने लग गया। मैं रीट पर आऊंगा, उस समय बताऊंगा कितने करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है। राजनीतिक प्रभाव और संरक्षण का मैक्सिमम उपयोग है।

आज कोचिंग इंस्टीट्यूट की चर्चा हुई, यह कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या हैं? यह खुली दुकानें हैं जो पैसों के लेन-देन के आधार पर सलेक्शन करवाते हैं। वहां साफ लिखा रहता है कि आपका सलेक्शन श्योर है, नहीं तो आपको पैसे

(श्री वासुदेव देवनानी)

लौटाये जायेंगे। इतने प्रश्नों में से इतने प्रश्न आयेंगे, यह बात हो गई, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैंने पूरा विधेयक पढ़ लिया, कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में एक भी शब्द इसमें नहीं है। असली गुनहगार तो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन चला रहा है? यह कोई साधारण लोग चलाते होंगे, लेकिन अधिकतर राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनके संबंधी चला रहे हैं। विधान सभा में यह प्रश्न पहले भी आया कि हमारे एक वरिष्ठ नेता के परिवार के तीन-तीन लोगों के आरपीएससी की आरएएस परीक्षा में 80-80 नंबर आ गये, यह कैसे हुआ? वहां एक कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। इस प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। वह इस प्रकार की परीक्षाएं करवाते हैं, इस प्रकार की तैयारी करवाते हैं। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कुछ तो लगाम लगाते। असली जिम्मेदार को आप छोड़ते हो तो उसका मेजर कारण यह है कि यह राजनीतिक व्यक्तियों के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए उन पर कोई हाथ नहीं डालना चाहता।

इसमें अभी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि इन सारी परिस्थितियों में आप संतुष्ट हो क्या? 87 परसेंट लोगों ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं। फिर पूछा, नकल कराने में आप किसको जिम्मेदार मानते हो? 83.7 परसेंट अभ्यर्थियों ने कहा कि इसके लिए मंत्री और नेता ही जिम्मेदार हैं, केवल 17 परसेंट लोगों ने कहा कि अफसर जिम्मेदार हैं। अफसर तो जी हुजूर हैं जिसको मंत्री जैसा कहेगा, नेता कहेगा, वैसा करेगा। अब तो गुलाम भी होने लग गये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यह नेता सारी पार्टियों के शामिल हैं क्या? हम सब चुनाव लड़कर आये हैं, हम सब नेता हैं। क्या सारी पार्टियों के शामिल हैं, यह क्लीयर कर दो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह सर्वे में कहा गया है, भास्कर में छपा है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सारी ही पार्टियों के शामिल हैं क्या, यह क्लीयर कर दो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह नेताओं का है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभी नेता हैं, बात ढंग की करो। अपन सब नेता हैं । आप शामिल होंगे, हम तो नहीं हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपका नंबर आये तब आप बोल देना।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ऐसे कैसे बोल सकते हो आप?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं बिल पर ही बोल रहा हूं, यह सर्वे बिल का ही हुआ है। यह परीक्षाओं पर जो सर्वे हुआ है जो अखबारों में छपा है, मैं उसी को कोट कर रहा हूं।

श्री सभापति: कृपया बिल पर ही बोलें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) यह बिल आपसे ज्यादा पढ़ा है, कहीं पढ़ा हो तो आ जाओ सामने।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आप शिक्षा मंत्री रहे हो, आपको नोलेज बहुत ज्यादा है और यह भी है कि 2005 में आपने भी नंबर बढ़ाने का काम किया, उसका भी अवलोकन कर लो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): किया है, मैंने तो दो बार रीट भी करवाई और सफलतापूर्वक करवाई। आपको एक भी मुद्दा नहीं मिला।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आपने बहुत अच्छे काम किये, पर एक काम वह भी गिना दो कि बेटी के नंबर बढ़ाये थे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, आप लोगों को पता नहीं मुख्य मंत्री के सामने सारे शिक्षकों ने कहा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें, प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप यह विलोपित करें, व्यक्तिगत इल्जाम लगायेंगे तो जवाब दूंगा।

श्री सभापति: प्लीज, डिस्टर्ब नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसके बिन्दु संख्या 9 के (1) में लिखा है, प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या उनके किसी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है। इसमें अध्यक्ष का नाम क्यों

(श्री वासुदेव देवनानी)

नहीं लिखा? आपने जान-बूझ कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बचाने के लिए इसमें से अध्यक्ष का नाम विलोपित किया है। आप अपने अपराधी को तो बचाना चाह रहे हो और बाकियों के इसमें नाम लिखकर आप विधेयक ला रहे हो। इस विधेयक से आपका होगा क्या?

दूसरा, मैं एक मुद्दा बताना चाहूंगा कि परीक्षा में अपराधियों के नाम आप विधेयक ले आये, लेकिन परीक्षा केन्द्र बनाने वाले, परीक्षा केन्द्र जान-बूझ कर ऐसी जगह बनाया जाता है जहां पर नकल हो, जहां पर कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सके। आखिर परीक्षा केन्द्र बनाने वाला कौन है? पेपर में जो विसंगतियां आती हैं, जिसके कारण से लोग कोर्ट में जाते हैं, उस मामले में यह चुप हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि हिम्मत थी तो यूपी गवर्नमेंट की तरह करते, वहां कोई विधेयक नहीं लाया गया, वहां पर सीधे आदेश दे दिये गये कि दोषी अफसर, नेताओं की सम्पत्ति जब्त की जाय। गैंगस्टर कानून लागू कर दिया, रासुका लागू कर दिया और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिये, तब भय व्याप्त होता है। इस तरह से नहीं कि आप विधेयक लाये, कानून बनाया, उसको कोर्ट में आप ले जायेंगे और कोर्टों में इसके मुकदमों का एक अंबार लग जायेगा और जिन मुकदमों का कोई जवाब तक नहीं आयेगा। इस प्रकार की सरकार की कार्य प्रणाली का मैंने जिक्र कर दिया। इसमें पूरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण जिम्मेदार है। बोर्ड के चेयरमैन जारोली ने स्वयं ने हटने के बाद कहा कि यह जो कुछ हुआ, वह राजनीतिक संरक्षण में हुआ। वह राजनीतिक संरक्षण क्या है, आज तक उनसे कोई पूछ नहीं पाया। मैं सदन में आज जिम्मेदारी से कहता हूं यदि एसओजी जारोली को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करे..

श्री सभापति: प्लीज, बिल पर बोलिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह बिल ही है। रीट का मामला है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, रीट उन्हीं की अध्यक्षता में हुई है। मैं बिल से अलग कहीं नहीं जाऊंगा, सभापति महोदय, आप विश्वास रखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जारोली हटे, उन्होंने कहा राजनीतिक संरक्षण में हुआ, एसओजी की जांच चल रही है। एसओजी यदि उनको गिरफ्तार करके पूछेगी कि राजनीतिक संरक्षण में कौन है, यह मालूम पड़ेगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

विधेयक लाना सरल है, बहुमत के आधार पर पारित भी करा लोगे लेकिन इसकी क्रियान्विति कैसे होगी? क्रियान्विति का ही असल में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्रियान्विति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ऊपर तक के सारे लोग लिप्त हैं। मैं रीट का यदि जिक्र करूं तो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक किसने किया? इनके नाम अख़बार में भी आ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं। उसमें हमारे एक मंत्री उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं। राजीव स्टडी सर्किल एक संस्था है, उसके संयोजक हैं। जितने लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, वह उन्हीं के हुए हैं। यादव, बैरवा, गोठवाल, सुनिता पचौरी, प्रदीप पाराशर, देवेन्द्र परमार....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर बोलिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह बिल पर ही है।

श्री सभापति: बिल में नहीं है, मैं बिल पढ़कर आया हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह परीक्षा पर नियंत्रण लाने के लिए लाये हैं। परीक्षा में किस तरह से अनुचित साधन...

श्री सभापति: मैं बिल को पढ़कर आया हूं, प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह अनुचित साधनों का ही विधेयक है, अनुचित साधनों का इन लोगों ने उपयोग किया। जब मंत्री ही अनुचित साधनों में इन्वाल्व होंगे तो फिर वह कैसे रुकेगी। इसलिए मैं आपसे सबसे मांग करूंगा कि इसमें रिटायर्ड लोग लगाये जाते हैं, जिसके कारण से समस्याएं आती हैं। राजीव स्टडी सर्किल के राजनीतिक व्यक्ति लगाये जाते हैं।

दूसरा, इन सारी परीक्षाओं की कभी ऑडिट नहीं होती है। ऐसे लाखों, करोड़ों और अरबों रुपये आते एवं जाते हैं, लेकिन उसकी कभी ऑडिट नहीं हुई। ऑडिट नहीं करायेंगे और सेवानिवृत्त लोगों को लगायेंगे। रीट में अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सारे रिटायर्ड लोग लगाये थे, इसी कारण पेपर आउट हुआ। जो पेपर निकाला गया, वह अनुचित साधन तो था ही। शिक्षा संकुल में किसने पेपर रखवाये, इसकी जांच हुई क्या? पेपर संकुल में रखवाये गये, दो-दो चाबी दे दी गयी, पेपर जाकर निकालो और ले जाओ, करोड़ों रुपये कमाओ। ये रीट की परीक्षा के अनुचित साधन नहीं हैं तो क्या है? मैं अनुचित साधनों पर बोल रहा हूं। किसने कहा कि वहां पेपर रखवाने के लिए प्राइवेट लोगों को लगाओ? सरकारी लोगों को लगाते। कलेक्टर और एसपी के अन्तर्गत पेपर रखते, लेकिन पेपर नहीं रखे जाते। सारी चीजें मिलीभगत से थीं, जिसमें अरबों रुपये का

(श्री वासुदेव देवनानी)

लेनदेन हुआ है। इसलिये सबसे पहले राजीव स्टडी सर्किल के जितने लोग जुड़े हुए हैं चाहे उसमें मंत्री ही क्यों न हों या मुख्य मंत्री ही क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ सीबीआई की जांच करवायी जाये। यदि नहीं करायेंगे तो हम आकर करवायेंगे। इनको जेल में भेजकर रहेंगे। इसमें कहीं कोई कमी नहीं आने देगें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर बोलिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं आपसे मांग करूंगा और अंत में दो बातें कहकर अपनी बात पूरी करूंगा कि यदि बिल बनाना ही था तो जुडिशियल लोगों के साथ बैठकर बनाते। एक जुडिशियल कमीशन बनाते, जो इस पर विचार करती। ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये तो अपने हित की बात करेंगे। क्रियान्विति इन्हीं को करनी है, ये क्रियान्विति नहीं कर पायेंगे, क्योंकि क्रियान्विति नहीं होगी। इस प्रकार का विधेयक लाना बेरोजगार लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जुडिशियल कमीशन बनाकर उसके आधार पर बिल वापस बनाया जाये। जल्दबाजी में पारित न किया जाये, इसलिये इसको निश्चित रूप से छह महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, जल्दबाजी में पारित न किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एक और बिल डिस्कस होने वाला है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022, जो कि सरकार द्वारा 1998 में बनाया गया था। इस 1998 की धारा 8 में संशोधन लेकर आ रहे हैं और एक दूसरा विधेयक भी आपने इसके साथ ही रखा है। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि यदि संशोधन ही करना था तो उस बिल में ही पूरा संशोधन कर लिया जाता या उस बिल को रिपील करके दूसरा विधेयक लाया जाता, लेकिन आज सदन में एक ही बात के लिए दो अलग-अलग विधेयकों के लिए चर्चा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इसको करने की आवश्यकता थी।

माननीय सभापति महोदय, इसके जो सेक्शन हैं, इनमें कुल 20 सेक्शन हैं। इसमें सेक्शन 19 - कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति है,

(श्रीमती अनिता भदेल)

वह मैं पढ़कर आपके समक्ष रखना चाहती हूं- 'यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो, परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के आरम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा'। माननीय सभापति महोदय, दो वर्ष का राइडर क्यों लगाया है कि दो वर्ष के पश्चात् हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकेंगे? मुझे लगता है कि सरकार की मंशा है कि सरकार के कार्यकाल तक, यह सरकार जब तक रहे तब तक तो वह जोड़ सकती है, बाद में दूसरे दल की सरकार आयी तो उसको यह अधिकार न मिले, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा है।

माननीय सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे। मैं भी इस बिन्दु पर अपनी बात रखना चाहूंगी 'दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण, इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायालयों द्वारा ही किया जायेगा'। तो इसके लिए अलग से न्यायालय खोले जायेंगे। क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं, जितने न्यायालय खुले हुए हैं, जितनी फास्ट ट्रैक खुली हुई हैं, जितनी पोस्को की अदालतें खुली हुई हैं, उन्हीं में हमारे केस पेंडिंग हैं, उन्हीं को हम साधारण सुविधायें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे नये न्यायालयों में हम कितने साधन और सुविधा उपलब्ध करा पायेंगे? क्या इन केसेज का हश्र भी वैसा ही होगा, जो सालों साल चलेंगे और उन अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी सभी ने रीट परीक्षा की चर्चा की। आप देखिये कि बच्चों ने किस तरह से तैयारी की। 26 लाख बच्चों ने तैयारी की और 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे और हर किसी व्यक्ति ने और हर किसी सज्जन पुरुष ने, जिसको भी थोड़ी-सी संवेदनशीलता थी, उसने इस परीक्षा के आयोजन में सरकार के बहुत बड़े सहयोग का काम किया। 200-300 किलोमीटर से बच्चे परीक्षा देने के लिए आ रहे थे, लड़कियां भी हैं, लड़के भी शामिल हैं, उनको रात्रि को ठहराना, उनके भोजन की व्यवस्था करना और फिर ऐसी स्थिति में जब नेटबंदी हो, नेट बंद कर दें। हम एक तरफ तो नेट बंद

(श्रीमती अनिता भदेल)

करके हजारों करोड़ रुपये के कारोबार को हानि पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे आयोजन करते हैं, जो बाद में फेल साबित होते हैं। देखिये, इतने हजारों बेरोजगार युवाओं के दिलों पर क्या गुजरी होगी, जब प्रदेश में दूर-दूर से घर छोड़कर छोटे-छोटे कमरों में कई सालों तक बच्चों ने कोचिंग की तैयारी की है। कोचिंग से लेकर किताबों तक, कमरे से लेकर खाने की व्यवस्था तक, परीक्षा फार्म से लेकर 300 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से लाखों खर्च करके आये।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, बिल पर आ जाइये। 20 लोग और बोलने वाले हैं। बिल पर आ जाइये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ये बिल इसलिये ही लाये हैं कि रीट की परीक्षा का जो हंगामा प्रदेश में मचा है, इसलिए ही यह बिल लाये हैं। सरकार इससे पहले यह बिल क्यों नहीं लायी? इससे पहले लाते। 1998 के बिल में 1998 के बाद इतने संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि यह परीक्षा हुई है और यह परीक्षा फेल हुई है इसलिये संशोधन की जरूरत पड़ी है। इसलिये मैं बिल पर ही बोल रही हूं।

मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि कितनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की हैं? इस सरकार के आने के बाद तो बार-बार लगातार परीक्षाएं एक के बाद एक फैल्योर साबित हुई हैं। आपकी रीट की परीक्षा के बारे में तो सब लोगों ने बोला है। एसआई की परीक्षा की भी यही स्थिति हुई है। नीट की परीक्षा, जे.ईएन. की परीक्षा, पुस्तकालयाध्यक्ष की परीक्षा। इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को सज़ा मिली, पर आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली।

ये जो इतने बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वे लुभाते हैं, वे कहते हैं कि हम आपको परीक्षा पास कराकर सरकारी नौकरी लगवा देंगे। वे भोले-भाले बालक-बालिकायें जो अपनी कड़ी मेहनत से तैयारी करना चाहते हैं, इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, लेकिन उनका सपना तब टूट जाता है जब इस प्रकार के माफिया लोग, कोचिंग के माफिया लोग पेपर को आउट करते हैं। यदि माफिया लोग पेपर को आउट कर रहे हैं तो उसमें सरकार क्या कर रही है? हम कितना ही कानून बना लें, माननीय सभापति महोदय, कानून बना लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जायेगा। आप 10 करोड़ का प्रावधान रख दें, आप सालों तक की सज़ा कर दें, लेकिन उस व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलने वाली है। इसलिये नहीं

(श्रीमती अनिता भदेल)

मिलने वाली है क्योंकि कुछ राजनीतिक संरक्षण में राजनीतिक आकाओं के कारण से, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जैसे लोग यदि ऐसी मिलीभगत करेंगे तो यह कानून भी कुछ नहीं कर पायेगा, क्योंकि कानून तो तब काम करता है जब आपकी मंशा ठीक हो।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज सुनिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जब आप नैतिकता के आधार पर ईमानदारी के साथ उस परीक्षा को आयोजित करने में अपनी सहभागिता दो। जयपुर का राजीव गांधी स्टडी सर्किल का संभागीय कर्मचारी है, वह स्ट्रांग रूम से पेपर लेकर बाहर बेच रहा है। ऐसी स्थिति में जब बाड़ ही खेत को खाने लगेगी तो फिर बचायेगा कौन? बाड़ ही तो खेत को खा रही है। सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही है और उसके बावजूद भी उसी व्यवस्था में लगा हुआ आदमी, उस व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी की बदौलत ये सारी की सारी चीजें होती हैं। मैं मानती हूं कि यह निश्चित रूप से सरकार का फैल्योर है।

सरकार यह बिल लेकर आयी है, लेकिन इस बिल से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सिर्फ प्रावधान कर दो, लेकिन आप अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन सबको जमानत मिल गयी है। ऐसी स्थिति में जब पेपर चोर को जमानत मिल गयी है। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत पुराना किस्सा है, वह मैं आपको बताती हूं, वह बाड़मेर का है। जगदीश विश्नोई, कितने वर्षों के बाद भी उसको आज तक सज़ा नहीं मिली। सज़ा क्यों नहीं मिली, क्योंकि हम सबको मालूम है कि उसने परीक्षा में धांधली की है, उसने परीक्षा में पेपर को बेचा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको पकड़ने में असफल इसलिये हुए क्योंकि हमारी मिलीभगत है। हम लोग सब मिल-जुलकर काम करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, करप्शन तब तक खतम नहीं होगा जब तक कि इस तरह की चीजें होती रहेंगी। बीकानेर का यह मैटर है। आप देखिये, बीकानेर के रामपुरा में स्थित प्राइवेट स्कूल रामसहाय आदर्श सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सेन्टर में सोमवार को एस.आई. की परीक्षा हुई। स्कूल सचिव दिनेश सिंह चौहान (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ने इस काम के लिए प्रतिदिन 5 लाख रुपये मांगे और राजाराम विश्नोई के मोबाइल पर फोटो खींची और उसी नम्बर से वाट्सएप करके युवक नरेन्द्र खीचड़ को शेयर किया। ये एस.आई. की भर्ती परीक्षा का मैटर है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि ये जो बिल लाये हैं ये बिल पर्याप्त नहीं है जब तक कि आपके स्वयं के अन्दर ईमानदारी नहीं हो, जब तक कि आप स्वयं मूल्यों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इन सब भर्ती परीक्षाओं को बहुत ईमानदारी से आयोजित न कराएं क्योंकि हजारों-लाखों बच्चे जब परीक्षा में बैठते हैं और सरकार पर इस तरह से आरोप लगते हैं तो मन में उनके एक संदेह जाता है कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है? हम इतने अच्छे तरीके से पूरी मेहनत के साथ, पूरी तरह से हम मेहनत करते हैं और अच्छी तरह से हम परीक्षा देते हैं, उसके बावजूद भी जो लोग पैसे देकर परीक्षा देते हैं, उनके नंबर अधिक आते हैं और जो मेहनत करके परीक्षा देते हैं, उनके नंबर नहीं आते हैं। इस वजह से उनको उन पदों पर जाने में रुकावट पैदा होती है। अंत में इतना ही कहूंगी कि इस बिल को आप जनमत जानने के लिए जारी करें।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, सरकारी एवं सरकारी संस्थाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती में अनुचित साधनों का उपयोग करना, परीक्षा प्रश्न पत्रों की चोरी होना, समय पूर्व प्रकट करना, परीक्षा प्रश्न पत्रों को परीक्षा पूर्व बेचने का अपराध एक गंभीर अपराध है। भर्ती परीक्षाओं के लिए युवा महीनों, वर्षों तक पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं। इतना समय वे इसमें देते हैं लेकिन आज युवाओं की स्थिति यह है कि उनका भरोसा इन परीक्षाओं पर से उठ गया है। आप जो यह विधेयक लाये हैं, बहुत जरूरी विधेयक है और जैसा कि पूर्व वक्ता हमारी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात बोली कि आप विधेयक सिर्फ इसलिये लाये हैं कि जिस प्रकार से रीट का पूरा मामला सामने आया है और जिस प्रकार से भरोसा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इस परीक्षा के बाद जो हुआ था और जिस तरीके से बच्चों के मन से, युवाओं के मन से जो खिलवाड़ हुआ है, मेरी चर्चा हो रही थी एक आर.ए.एस. प्रीपेयर करने वाले बच्चे से। मैंने कहा कि आपकी प्रीप्रेशन अच्छी हो गयी, तो उसने बोला, करने का मतलब क्या है? हम प्रीपेयर करेंगे और अगली बार वापस से ये चोरी हो

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

जायेगा या कुछ न कुछ होगा। इस तरह से भरोसा ही जब युवाओं के मन से उठ गया है और उनके मन में ये हो गया है कि राजस्थान सरकार में ऐसा ही होना है तो डेफिनेटली ये समस्या बहुत गम्भीर है।

हम जो यह विधेयक लेकर आये हैं, अच्छी बात है लेकिन फिर भी इसके अन्दर कितनी चीजें हैं जो हमारे को बहुत अच्छे से सोचनी चाहिये, समझनी चाहिये। सिरोही से आने वाले माननीय विधायक ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि सोचा-समझा विधेयक होना चाहिये। अगर हम कोई बिल सदन में ला रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी जुरिस्डिक्शन को बैठाकर क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, युवा घबरायें नहीं और आगे कोई परीक्षा हो तो कहीं भी उनके मन में ये तकलीफ नहीं हो कि हमने जो पढ़ाई की, हमने जो मेहनत की उस मेहनत का फल हमें कम से कम सही मिलेगा, कहीं न कहीं डेफिनेटली कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिये ऐसे लोगों को।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में यह तो जरूर लिखा है कि अर्थदंड मिलेगा उन बच्चों को जिन्होंने नकल की, कहीं भी यह नहीं लिखा कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स का क्या होगा। ऐसे बड़े लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो बहुत बड़ा रैकेट है, जिसको पकड़ना बहुत जरूरी है। हमारे नेता, प्रतिपक्ष ने बार-बार यह बात इस सदन में रखी है कि आप उस रैकेट को पकड़ें। हम सब मिलकर इस बात पर साथ देंगे। आप बच्चों को दंड दे देंगे, उनसे आप एक लाख न्यूनतम रुपये लेंगे, युवा जो भर्ती में बैठना चाहते हैं, वैसे भी वे आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं, उनको हम और कमजोर कर रहे हैं। हमने कहीं भी यह बात नहीं बोली, कहीं भी हमने यह बात नहीं रखी कि वे बड़े, जिनको कहते हैं सागर की बड़ी मछली, उस मछली को हम किस तरीके से पकड़ेंगे? उस बारे में इसमें कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। वे बड़े-बड़े कोचिंग सेन्टर्स, वे बड़े-बड़े लोग, वे बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी लोग जो इस रैकेट में इंवोल्वड हैं, हम उसको कैसे पकडेंगे? इस बारे में विचार करने की सख्त जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इंटरनेट का जमाना है। जब हम ये परीक्षाएं आयोजित करते हैं तो हम पूरे उस क्षेत्र का इंटरनेट बन्द करते हैं। हम ऐसी सुविधाएं करते हैं कि सुबह 9 बजे से 6 बजे तक नहीं चलेगा, फिर भी कैसे चीटिंग हो जाती है तो कहीं न कहीं हमारा जो सिस्टम है, वह सिस्टम वीक है। उस सिस्टम को हम अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं?

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

आपने बहुत अच्छा किया कि हम उन लोगों को दंड देंगे। हम डेफिनेटली उन लोगों को जो इस चीटिंग में इंवाल्वड हैं, उनके लिए हम जरूर करेंगे लेकिन उस सोर्स का क्या? जब आप कोई परीक्षा कर रहे हैं तो उसको आप स्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? यह तो आप लोगों ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन यह भी है कि क्या ये सब 1992 के अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके नहीं किया जा सकता था? यदि हम हर प्रकार के अपराध के लिए अलग-अलग कानून बनाएंगे तो फिर कानूनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी पालना कराना बहुत कठिन होता है।

एक और न्यायालय की बात इसमें की गयी कि हम एक विशेष डेजिग्नेटेड कोर्ट इसमें बनाएंगे। कहीं भी यह मेंशन नहीं किया कि यह न्यायालय सिर्फ जयपुर और जोधपुर में खोलेंगे या सभी जिला मुख्यालयों पर न्यायालयों को खोलेंगे या इनकी संख्या क्या होगी। जब भी ये न्यायालय खुलेंगे तो इसमें दंड सीमा क्या होगी? यह तय करना बहुत जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, अगर किसी युवा पर किसी ने गलत इल्जाम भी लगाया है तो ये न्यायालय क्या एक निश्चित समय में उनको दंड देगा या नहीं देगा? यह हमें बताना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो युवा इन्नोसेंट है तो उस इन्नोसेंट बच्चे के 5-6 साल या 8 साल, कितनी बार कोर्ट की तारीखें नहीं आतीं, तो बहुत जरूरी है कि हम उसका समय खराब नहीं करें। उस युवा को हम अच्छे तरीके से न्याय दिला सकें इसलिये एक समय सीमा हमें इसमें तय करना बहुत जरूरी है। ऐसा अपराध अगर किसी ने किया है तो उसको एक निश्चित समय सीमा में दंड मिलना चाहिये। अगर किसी ने अपराध नहीं किया है तो इन्नोसेंट भी उसको एक निश्चित समय में घोषित होना चाहिये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) हम इसको 5-7 साल तक लम्बा नहीं करें, यह बहुत जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। इंवेस्टीगेशन को जो पूरा करने का समय है, उसके बारे में मैंने बात रखी है। रीट की बात सभी ने की है, इस वजह से जो भी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं और व्यवस्थाओं में जो कमी रह गयी हैं, उनमें जरूरी है कि हम उनको बहुत स्ट्रांग करें ताकि नैक्स्ट टाइम हमारे युवाओं के साथ धोखाधड़ी न हो।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

डेफिनेटली यह बहुत जरूरी है कि ये जो अर्थदंड की व्यवस्था की है, उस पर एक बार पुन: विचार करना चाहिये क्योंकि ये परीक्षार्थी जो इसमें बैठते हैं हम उनको और कमजोर न करें आर्थिक स्थिति से। हमें उस रैकेट को, उन बड़े लोगों को पकड़ने में अपनी इच्छा जरूर जाहिर करें।

आखिर में, कन्क्लूड करते हुए मैं यही बोलना चाहती हूं कि विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले जनता के साथ इसके प्रावधानों और उनके प्रभावों के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गयी। इस व्यापक प्रभाव वाले विधेयक को जनमत जाने बिना पारित करना अच्छी परम्परा नहीं होगी। अत: मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित करने हेतु अनुरोध करती हूं।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह जी भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, सरकार जो बिल लेकर आयी है, वास्तव में रीट परीक्षा से लगाकर सभी जगह पेपर लीक होना यह एक आम बात बन गयी है, इसके लिए इस बिल में ठोस उपाय नहीं होंगे, तब तक यह स्थिति रहनी है। गरीब किसान गांव और ढाणी में रहने वाला अपने बच्चों को कोशिश करके कोचिंग भी करवाता है और पढ़ाई करवाकर परीक्षा दिलवाता है। जब परीक्षा की तैयारी करने के बाद में परीक्षा देकर आता है या परीक्षा देने के लिए जाता है तब उनको मालूम पड़ जाता है कि पेपर लीक हो गया। उन गरीब परिवारों के साथ में क्या बीतती है? क्या हालत होती है?

सभापति महोदय, इस बार रीट की जो परीक्षा थी इसमें कई बच्चों ने तैयारी की थी और उन्होंने कहा था कि इतने नंबर तक हमारा सलेक्शन हो जायेगा। उनके संबंध भी हो गये थे। जैसे ही पेपर लीक हुआ, उनके संबंध भी टूट गये और ब्याह होना भी रह गया। ये हालत हो गयी। इस तरीके का ठोस उपाय नहीं होगा तो, माननीय सभापति महोदय, यह वापस नाथी का बाड़ा बनेगा। यह नाथी का बाड़ा इस रीट पेपर से शुरू हुआ था। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आरएएस परीक्षा के रिटन में जो व्यक्ति 360 नम्बर लाया उसको इंटरव्यू में 20 नम्बर मिले, जो 320 नम्बर लाये उनको 85 नम्बर मिल गये। उसको कितनी निराशा भुगतनी पड़ती है, बाड़ ही खेत को खायेगी तो क्या उपाय होगा? कई परीक्षाएं आगे होंगी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह सरकार, यह सरकार।

माननीय सभापति महोदय, कई पटवारी सलेक्शन होकर ऐसे हो गये

(श्री हमीर सिंह भायल)

जो खातेदारी की नकल नहीं दे पा रहे। कई एस.एच.ओ. ऐसे बन गये जो रोजनामचा में रिपोर्ट नहीं डाल सकते। इस तरीके की पेपर होने की कारगुजारी है। इसको सरकार ठोस उपाय से रोकेगी तब जाकर आमजन के लिए, गरीब किसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए, मेहनत करने वाले बच्चे का सलेक्शन नहीं होगा, तो आने वाले समय में भी यही स्थिति होगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द जी मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

राजस्थान प्रदेश के नौजवान बेरोजगार रोजगार नहीं मिलने से परेशान हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं में एसआई की भर्ती हो, चाहे रीट की भर्ती हो, पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती हो, सभी तरह की भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं, धांधलिया हुई हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा समय रहते इनमें कठोर कदम उठाकर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जाये तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, पिछले समय में सार्वजनिक परीक्षा बिल लाया गया, इस बिल में सुधार की आवश्यकता है। रीट परीक्षा रद्द की गई, कोचिंग व अन्य खर्चा किया गया, प्रत्येक परीक्षार्थी को, बच्चों, गरीब आदमियों को, अभ्यर्थियों, बेरोजगारों को खर्चा देने का प्रावधान भी सरकार को करना चाहिये। करीब 90 हजार का खर्चा हुआ है। कोचिंग संस्थानों में लुटेरे बैठे हुए हैं माफिया बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें चिह्नित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये।

सभापति महोदय, रीट भर्ती धांधली में बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा, सांसद राज्यसभा द्वारा सबूत पेश किये गये।

श्री सभापति: बिल पर बोलिये। प्लीज, बिल पर।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): उनके आंदोलन को सरकार ने दबाने का प्रयास किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर बोलिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): अगर समय रहते जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती तो निश्चित रूप से बेरोजगारों का लम्बा समय खराब नहीं होता, समय पर परीक्षा हो जाती। सभापति महोदय, इस बिल में अनेक कमियां हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में कमियां होने के कारण इस विधेयक को 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री कालूराम जी। श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में जैसा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि हमने अनुचित साधनों के उपयोग पर नियंत्रण के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 में अधिनियम किया था। उसके बाद भी यह अपराध सिर्फ बढ़ते ही नहीं गये, बल्कि अपराधों से एक संगठित गिरोह पैदा हो गया।

सभापति महोदय, जब हम इस कानून को ला रहे हैं, राजस्थान के अन्दर जब रीट की परीक्षा हो रही थी, छात्र परीक्षा देकर जा रहे थे, सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग के तबक़े के छात्रों ने तैयारी की थी, उनके चेहरे पर, मन में उदासी थी। आज व्यवस्था पर निश्चित रूप से ठप्पा लगा है, धब्बा लगा है। कोई भी परीक्षा घोषित होती है, उस सूरत में आमजन का, आम छात्र का, आम अभिभावक के मन में यह रहता है कि बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, परीक्षा कहीं लीक आउट न हो जाये, क्या होगा? पूरे राजस्थान, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अन्दर यह वातावरण बना हुआ है। हम जिस कानून को ला रहे हैं, उस कानून को सरकार बहुत सोच समझकर लायी है। 1992 में कानून लाया गया था, उसके बाद रीट की परीक्षाएं, यह तो इसमें अभी अंतिम आ रहा है, इससे पहले कई पेपर आउट हुए। चाहे भाजपा की सरकार हो, अन्य सरकार हो, किसी ने इस पर गौर नहीं किया।

वर्तमान सरकार ने अभी जो कदम उठाया है इससे जनता में कुछ विश्वास पैदा होगा। हमें भरोसा है। जो लोग इन अपराधों में लिप्त हैं, जो सरकारी मुलाज़िम होते हुए भी निजी शिक्षण संस्थान चलाते हैं। दुनिया का

(श्री गिरधारीलाल)

कोई भी कानून जब तक कठोरता से लागू नहीं होता तब तक अपराधी उस कानून से नहीं डरता है। सरकार ने भी खुद यह स्वीकार किया है। जो कानून लेकर आये हैं, उसमें सरकार यह जानते हुए भी कि ज्यादातर इन अपराधों को संगठित अपराध बनाने वाले सरकारी मुलाज़िम या निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक पर चोट करने के लिए इस अधिनियम की धारा-10 (2) में जहां सज़ा का प्रावधान किया गया है, पांच साल से दस साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, पर जो अपराधी सरकारी मुलाज़िम है, उन पर भी सरकार कठोर कार्रवाई करे। अगर नहीं करने का इरादा रखती तो बाकी अवाम पर हम इसको कैसे प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं?

मेरा सुझाव है कि एफ.आई.आर. दर्ज होते ही, अगर किसी सरकारी मुलाज़िम के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई हो तो उस मुलाज़िम को तुरन्त सस्पेंड करने का प्रावधान इस कानून में होना चाहिये। जब तक कानून की ट्रायल चलती है और अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक सस्पेंड रहना चाहिये वरना, वह अपने रसूख के जरिये इन अपराधों को आगे बढ़ाने की योजना बनाते रहेंगे। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस कानून को कठोर बनाया जाये, ताकि भविष्य में दुबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, जैसी इस वर्ष रीट में हुई है।

सभापति महोदय, सज़ा कैसी भी हो जब तक सरकार आमजन में विश्वास पैदा नहीं कर पायेगी तब तक कानून कितने ही बन जायें, कुछ नहीं होगा, इसलिये कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिये, यही हमारा कहना है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद जी पारख। श्री सुमित गोदारा। श्री अविनाश। श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। 26 सितम्बर, 2021 को रीट भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ, हज़ारों-लाखों अभ्यर्थी इसमें बैठे थे, उनके सपने धराशाही हो गये। सबकी परीक्षा, कुछ लोगों की वजह से रद्द हुई। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने बड़ा मन बनाया और इसम संशोधन करने के लिए, इसमें रोकथाम करने के लिए आज इस अधिनियम को सदन में रखा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जन

(श्री सुरेश टाक)

भावना है। इस बार रीट भर्ती परीक्षा हुई है, इसमें सरकार की भागीदारी के साथ-साथ जन भागीदारी भी थी।

(समय: 15.00 बजे)

जब यह परीक्षा रद्द हुई है तो जो अभ्यर्थी थे उनके सपने तो टूटे ही टूटे पर जनता के सपने भी टूटे हैं क्योंकि जनता ने जहां-जहां पर भी यह परीक्षा हुई है, राजस्थान में हर किसी शहर में लोगों ने उन अभ्यर्थियों का मेहमानों की तरह स्वागत किया है। चाहे उनको ठहराने की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने-पीने की व्यवस्था हो, चाहे उनको गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था हो सभी को, लेकिन एक बड़ी चिंताजनक बात है कि सरकार ने नेट बंद किया, करोड़ों का व्यापार प्रभावित हुआ, बावजूद उसके नकल नहीं रुकी, यह एक बहुत चिंता का विषय है और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पर कठोर से कठोर कानून बने। सरकार यह अधिनियम लाकर कहीं न कहीं उन सपनों को जो हमारे युवा बेरोजगार लोग हैं, उनके सपनों को जीवित करना चाहती है, लोगों को रोजगार देने का एक सार्थक प्रयास है, पर यह चिंताजनक भी है कि हर बार कोई न कोई परीक्षा होती है और कहीं न कहीं से पेपर लीक हो जाता है।

मैं भी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा रोल है इन परीक्षाओं के जो ये पेपर होते हैं, इनको आउट करवाने में। ये गारंटी के साथ इस बात का प्रचार-प्रसार करते हैं कि शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम। आपको पूरा का पूरा पेपर मतलब, यह सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं और इसी वजह से यह पेपर लीक होता है। यह बहुत बड़ा गिरोह है और इस गिरोह पर सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए।

जो यह बनाये हैं मैं उनमें थोड़ा-सा यह संशोधन चाहता हूं कि लाखों लोगों के सपने तोड़ने वाले कुछ कतिपय लोगों की वजह से अगर यह सरकार का मिशन फेल होता है, सरकार का रोजगार देने का मिशन फेल होता है और हमारे जो बच्चे पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं, उनके परिजन यह इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा आज परीक्षा देने गया है, आज वह अपना भविष्य बनाकर आयेगा और परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार होता है और उससे पहले ही यह खबर आती है कि पेपर लीक हो गया और उनके सारे सपने टूट जाते हैं। चाहे परीक्षा कोई-सी भी रही हो, पहले भी पेपर आउट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर आउट नहीं हुए, पेपर बहुत बार आउट हुए हैं लेकिन आज जो इच्छा शक्ति दिखाई गयी है, यह बहुत अच्छी बात है। बिना कानून के बने

(श्री सुरेश टाक)

कोई डर नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में कि हम किसी गलत चीज को रोक पायें, कानून बनना बहुत जरूरी है और कानून में सख्ती होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ मेरा भी एक यह, मैं दोनों पर ही बोल देता हूं, वैसे मुझे दोनों पर ही बोलना है पर मैं यह चाहूंगा सदन का समय कम से कम जाया हो और मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस पर वास्तव में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दोनों पर नहीं, आप तो जिस पर चर्चा हो रही है उसी पर बोलिये। माननीय सदस्य, जिस बिल पर चर्चा हो रही है उसी पर बोलिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, दोनों बिल एक से हैं, सर, एक संशोधन का और एक विधेयक है। चलो, संशोधन पर बाद में बोल देंगे।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): संशोधन पर बाद में बोल देंगे।

सर, मैं जन भावना की कद्र करते हुए यह चाहूंगा कि सरकार यह बिल जो लायी है, यह वास्तव में उन युवाओं के सपनों को पूरा करने का बिल है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जनमत के लिए मैंने जो प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, हम किस गली जा रहे हैं? हम किस दिशा जा रहे हैं? एक दर्द आकर ठहरे दिन रात दर्द ए जिगर में, बेताबियां हैं पल-पल में, छायी हुई है निराशा ही निराशा युवा-युवा के हृदय में, निराशा ही निराशा युवा के हृदय में।

माननीय सभापति महोदय, जब हम इस सदन में देखते हैं तो प्रदेश के मुखिया हाथ हिलाकर सबको यह कहते हैं कि मैं हूं और इस गर्व के साथ कहते हैं कि यह मेरा तीसरा कार्यकाल है, तो प्रदेश के युवा हमें यह संदेश भेजते हैं कि, विधायकजी, विधान सभा में मुख्य मंत्रीजी को यह लाइन जरूर सुनाना। पढ़े-लिखे युवा हैं, अंग्रेजी में भी भेजते हैं आजकल तो किसी युवा ने अंग्रेजी में यह पंक्ति भेजी मुख्य मंत्रीजी के लिए और यहां मंत्रिमंडल के लिए कि- How many ears must one man have before he can hear people cry and how many deaths, deaths of young's aspirations will it take, till to know. That too many people have died, their aspirations have died.

(श्री सुमित गोदारा)

माननीय सभापति महोदय, हम विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, यहां पर सरकार बात करती है पर हकीकत क्या है कि क्या हम प्रदेश में एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवा सकते तो हम किस सिस्टम की बात करते हैं? आजादी के 75 साल की ओर जा रहे हैं पर हम यह देखते हैं कि यहां पर एग्जामिनेशन का स्तर ऐसा है कि पेपर चोरी होते हैं। मैं जिस रेगिस्तानी क्षेत्र से आता हूं तो देखता हूं ढाणियों में, झोंपड़ियों में बच्चे पढ़ते हैं, इस आशा से कि हम पढ़-लिखकर आगे जायेंगे।

मेरे क्षेत्र में एक गांव है, वहां का लड़का आई.ए.एस. बना, बिलकुल छोटा-सा गांव है, साठ घरों का ही गांव है, ढाणियों में, ऐसे लड़के-लड़कियां पढ़कर आप यह सोचो कि उनके माता-पिता गरीब हैं, उनको ट्यूशन पर भेजते हैं, कोचिंग पर भेजते हैं, शहर के बच्चों के बराबर मुकाबला करने के लिए भेजते हैं, तीन-तीन, चार-चार साल परीक्षाएं लेट होती हैं, पेपर आउट होते हैं तो उनका दर्द आप समझ सकते हो, ये नहीं समझ सकते। चाहे कोई भी दोषी हो, वह युवा यह पूछता है कि कौन है जिम्मेदार? माताएं देखो कि वह अपनी बच्चियों के लिए, कई सास देखो अपनी बहुओं के लिए, हर व्यक्ति ही त्याग कर रहा है कि उनका बच्चा पढ़े, उनकी लड़की पढ़े, पुत्रवधू पढ़े, पुत्र पढ़े, इतना उनमें त्याग करते हैं पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर पेपर कंडक्ट ही नहीं करवा सकते, इससे बड़ी अफसोसजनक बात नहीं है। एक सदस्य होने के नाते मैं भी इसका दोषी मानता हूं कि हम राजस्थान में 75 साल बाद भी पेपर नहीं तैयार कर पा रहे और कितने डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं कि कितने साल-साल तक यह परीक्षाएं करते रहते हैं।

जैसे अब इस विधेयक में आपने उद्देश्य और कारण पृष्ठ 12 में जो लिखा है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा 1992 में लाये गये अधिनियम, वह भी यू.पी. में आया था, सर्वप्रथम तब तत्कालीन यू.पी. के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंहजी यह लेकर आये और उसकी नकल पूरे भारत में हुई और आज भी राजस्थान सरकार योगी सरकार के पैटर्न पर प्रयास कर रही है, पर प्रयास करे तो सरकार जिस तरह रा.सु.का. लगाये और साथ में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बुलडोजर भी तैयार रखे, राजस्थान में भी बुलडोजर दिखना चाहिए ऐसे लोगों को कि यहां राजस्थान सरकार भी कार्रवाई कर सकती है। माननीय सभापति महोदय, जब इतना बड़ा सरकारी तंत्र है, ...(व्यवधान) यह बात सही आ गयी, पहले भी लाये तो प्रदेश में युवाओं का भला हो। (व्यवधान)

(श्री सुमित गोदारा)

राजस्थान में जब हमारे पास इतनी शानदार सरकारी मशीनरी है, जब हम कोविड की सिचुएशन फेस कर सकते हैं, पूरा प्रदेश हाई लेवल कमेटियां बनाता है तो जब हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो उसमें क्यों नहीं कमेटीज बनाते और सरकार इसे युद्ध स्तर पर, क्यों नहीं इसे विशेष स्तर पर, जहां पर बड़े एग्जाम हों, उसमें सरकार, मुख्य मंत्री खुद क्यों नहीं अपने हाथ में यह लेते कि जब वे रीटोत्सव का गर्व करते हैं तो साथ में वे यह भी देखें कि इस तरह की परीक्षाओं का पेपर बाहर न हो और उन युवाओं की आशाओं पर कुठाराघात न हो।

माननीय सभापति महोदय, जब यहां पर आपने जो बिल पेश किया गया है, उसमें सेक्शन 8 में है कि सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा और न ही करवायेगा। इसमें, माननीय सभापति महोदय, देखने में यह आया है कि विभिन्न परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण ज्यादा परीक्षा केन्द्रों की आवश्यकता होती है, जिस कारण प्रशासन द्वारा केन्द्रों के निर्धारण में परीक्षा केन्द्रों के ट्रैक रिकार्ड का समुचित अध्ययन नहीं किया जाता, जिससे यह चीटिंग सेंटर बनते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहूंगा कि किसी भी तरह के प्राइवेट सेंटर्स अलाउ नहीं करें। जब हमारे पास इतने सरकारी कालेज, इतने स्कूल्स हैं सरकारी, उन सरकारी स्कूलों में ही परीक्षा आयोजित की जाये। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की जाये परीक्षा, स्कूल्स हैं हमारे पास, वहां पर आयोजित की जाये ताकि ये नकल माफिया और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे।

यह जो बिल आया है, उसमें मैं एक बात और कहूंगा कि जो परीक्षाओं का पैटर्न हमें चेंज करना पड़ेगा, जो हम आब्जेक्टिव ला रहे हैं उसकी जगह सब्जेक्टिव पैटर्न भी लेकर आयें जिससे इस तरह की नकल और इस तरह के जो युवाओं पर कुठाराघात हो रहा है, उन पर रोक लगे।

सेक्शन-15 में जो आया है, अपराधों के अन्वेषण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जांच करने का। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको हमारे बीकानेर का उदाहरण बताता हूं। अभी जो रीट में चीटिंग हुई जो पूरे प्रदेश में बीकानेर में भी चीटिंग प्रकरण में काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई और प्रकरण ऐसा है, गंगाशहर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज होती है और कार्रवाई होती है और कार्रवाई

(श्री सुमित गोदारा)

क्या होती है? गंगाशहर थाने का थानेदार उस रिश्वत प्रकरण में ए.सी.बी. के द्वारा पकड़ा, भाग जाता है वह वी.सी.आर. लेकर, रिकार्डिंग लेकर, जब पकड़ने को ए.सी.बी. आती है तो हम जांच किसकी कर रहे हैं? नकल प्रकरण की और एस.एच.ओ. किसमें पकड़ा जाता है, किसमें भागता है? वह पकड़ा जाता है रीट प्रकरणों से जो नकल वाले उन गिरोह से पैसे लेते, उसमें ए.सी.बी. उसको पकड़ती है, तो यह हम किसके भरोसे जायेंगे? क्या इनके भरोसे हम जांच कर सकते हैं, इस प्रशासन के बदौलत? जो खुद इस तरह के अधिकारी, मेरे को तो यह लगता है कि यह अधिकारी खुद नकल करके आये हुए हैं इस तरह के अधिकारी, जिनमें एक भूख रहती है कि हम कमाते रहें पैसे, वे यह सोचते हैं कि जो पैसा हम देकर आये हैं वह कमायें और उस भूख की वजह से राजस्थान आज पूरे भारत में करप्शन में नम्बर एक राज्य है, उसी भूख की वजह से।

आप विशेष एस.आई.टी. गठित कीजिए। आप ए.एस.पी., एस.पी., इनके भरोसे नहीं, राजस्थान की विशेष टीम हो जो जयपुर से कंडक्ट हो, जिसमें बड़े उच्च अधिकारी हों, ए.डी.जे. रैंक के अधिकारी हों, राजस्थान के भविष्य का सवाल है, यह साधारण बात नहीं है। मैं तो यह मांग करता हूं आज इस विधेयक पर मुख्य मंत्री को खुद होना चाहिए। जब राजस्थान के युवा चाहते हैं कि यह नकल विरोधी कानून सख्त आये तो मुख्य मंत्री को खुद होना चाहिए और युवाओं की जवाबदेही के लिए, पर जो मुख्य मंत्री युवाओं को रगड़ने पर विश्वास रखता है, उससे हम क्या आशा करेंगे कि वे खुद सदन में आयें? यह राजस्थान का हाल है। हम यह देखते हैं कि जब राजस्थान में शिक्षा की बात करते हैं तो, माननीय सभापति महोदय, हमें यह गर्व होता है कि हमारी भाजपा सरकार में 2003 में जो दसवीं की स्कूलें खुलीं, 2013-14 में जो 12वीं की स्कूलें खुलीं, उनकी बदौलत पूरे भारत में जो यू.पी.एस.सी. एग्जाम टाइम पर कंडक्ट करवाती है, उसकी वजह से पूरे भारत में आई.ए.एस. में नम्बर दो पर कोई प्रदेश आ रहा है तो वह राजस्थान आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, जिससे युवा पढ़े। हम यह चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार भी ऐसा काम करे जिससे युवाओं को यह लगे कि हमारे लिए अच्छा माहौल है। यहां युवा पढ़-लिखकर अच्छे, परीक्षा बिलकुल फेयर एण्ड पालिसी से हो, जिससे युवा नौकरी लगे और यदि सच्चे ईमानदारी से युवा नौकरी करते इस प्रदेश में लगेगा तो प्रदेश में ईमानदारी से काम करेगा, तब ही प्रदेश आगे होगा और यह जो काला धब्बा हमारे ऊपर लगा है

(श्री सुमित गोदारा)

कि यह भारत का सबसे करप्ट स्टेट वह करप्ट स्टेट इस नकल विरोधी अधिनियम में विधेयक जो लेकर सरकार आयी है, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर आज चर्चा हो रही है। इसमें सभी तरह के विषयों पर चर्चा हुई। रीट की परीक्षा का फेल्योर सबने देखा। अन्य कई परीक्षाओं में भी हमने पेपर लीक की बातें सुनीं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस बिल को देखकर यही लगता है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पता नहीं हज से वापस आकर वह बिल्ली चूहे खायेगी या नहीं खायेगी। यह इस बिल में कहीं भी प्रतीत नहीं होता।

मैं यह कहना चाहूंगा कि परीक्षा केन्द्र में प्रवेश निषेध, धारा 7 में बताया गया है कि परीक्षार्थी के परिजन, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें एक विषय जोड़ा जाये कि परीक्षा केन्द्र में अन्य का निषेध रहेगा, लेकिन कभी-कभी परीक्षा केन्द्र पर परिवीक्षक या केन्द्राधीक्षक या शिक्षक या प्रधानाचार्य, उनके परिवार के लोग ही होते हैं और वह नकल कराने में कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं तो यह भी इसमें प्रावधान किया जाये कि जिस सेन्टर पर परीक्षा हो रही है, उसके परिवार के कोई भी सदस्य की किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगे। धारा 7 में इस तरह के जोड़ा जाये, यह मेरा कहना है।

दूसरी बात, धारा 10 में 'शास्तियां' के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि धारा 2 (च)(1) में अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो तीन वर्ष का कारावास, जुर्माना एक लाख रुपये, मैं यह कहना चाहूंगा कि उसके बाद में आपने धारा 2 में भी लिखा है कि 5 करोड़ और 10 करोड़, ये दोनों अलग-अलग धाराएं क्यों जोड़ी हैं? 'शास्तियां' में एक ही उपधारा बनायी जाये और 10 करोड़ का प्रावधान एक साथ में रखा जाये जिससे सभी में यह भय व्याप्त हो। जिस प्रकार राजीव गांधी स्टडी सर्किल सेन्टर बनाया गया, इसी प्रकार भविष्य में किसी संस्था को दिया जाये तो परीक्षा की ऐसी स्थिति बनती है, तो उसकी चल और अचल सम्पत्ति सरकार जब्त करे, ऐसा भी प्रावधान बनाया जाये।

जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, अलग-अलग विषयों को लेकर, मैं भी उनका समर्थन करता हूं। मैंने जो विषय रखा है उसको

(श्री छगनसिंह)

ध्यान में रखते हुए इस बिल को छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री जोरारामजी कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 सरकार लेकर आयी है। राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। देश में बेरोजगारी के मामलों में राजस्थान अग्रणी है। जब-जब सरकार कोई नौकरियों की वेकेंसी निकालती है तो परीक्षार्थियों की लाइन लग जाती है। अभी रीट की परीक्षा में 26 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने अपना भाग्य आजमाया, लेकिन उन अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य रहा कि परीक्षा पूरी नहीं हुई। पेपर चोरी हो गये। सरकार ने राजीव गांधी स्टडी सर्किल के गैर जिम्मेदार लोगों को परीक्षा कराने व पेपर की रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी और बाड़ ही खेत को खा गयी। 26 लाख परिवारों के जो सपने थे, वह सपने अधूरे रह गये।

वर्तमान में कई परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं व मामला कोर्ट में चला जाता है। राजस्थान के युवाओं में इन प्रकरणों से निराशा है। किसान, मजदूर का बेटा सालों तक मेहनत करता है। किसान, मजदूर अपनी जमीन गिरवी रखता है, अपने गहने गिरवी रखता है और गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाता है। वह सोचता है कि पढ़-लिखकर कोई समझदार बनेगा, अफसर बनेगा या अच्छी नौकरी में जायेगा। जब परीक्षा में नकल कर या सिफारिश कर प्रभावशाली परिवारों के बच्चे पास हो जाते हैं, मंत्रियों के रिश्तेदारों को इन्टरव्यू में ज्यादा नम्बर देकर आईएएस बना दिये जाते हैं, तब राजस्थान का गरीब का बच्चा...

श्री सभापति: बिल पर आइये प्लीज। बिल पर आओ, जोरारामजी।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): बिल पर ही है। ......मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा ठगा-सा महसूस करता है। सभापति महोदय, इसे रोकने की जरूरत है। सरकार के संरक्षण के बिना नकल गिरोह नहीं पनप सकते। अभी सदन में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि नकल रोकने का कानून बनाने का मंत्रिमण्डल में निर्णय हुआ और सदन में आने से पहले ही लीक हो गया और अख़बार में आ गया। नकल रोकने का कानून राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 बना हुआ था। सरकार

(श्री जोराराम कुमावत)

को नया विधेयक लाने की जरूरत ही नहीं थी। इसी विधेयक के बने नियमों को कड़ाई से पालन कराते हुए प्रभावी, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से परीक्षाएं सरकार आयोजित करवा सकती थी। नया बिल लाने के बाद क्या गारन्टी है कि सरकार नकल को रोक पायेगी और नकल नहीं होगी? सभापति महोदय, यह नकल तभी रुकेगी जब सरकार की मंशा और नीयत साफ होगी। यदि सरकार को पुराने बिल में कोई कमियां लगती तो उसमें संशोधन ले आती। नया बिल लाना था तो विधायकों की एक कमेटी बना लेती और कमेटी से प्रावधान लेकर, राय लेकर यदि यह बिल लाती तो उसमें अच्छे संशोधन आ जाते।

मैं इस बिल का विरोध करता हूं तथा मांग करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए छह माह के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 इसलिए लाया गया है कि नकल करने वालों, पेपर आउट करने वालों, वगैरह-वगैरह पर कार्रवाई की जाये लेकिन सरकार गम्भीर हो तब है न। कार्रवाई कैसे होगी? आपको तो जानकारी है कि यह पेपर आउट हुआ। सब प्रकार के तथ्य सरकार के सामने होने के बावजूद भी सरकार में बैठे लोग यह कहते रहे कि पेपर आउट हुआ ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी विपक्ष के लोग जबरदस्ती इसको मुद्दा बना रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी सरकार इसको मानने को तैयार नहीं थी। मैं बधाई देना चाहता हूं एसओजी को कि एसओजी ने पूरी मेहनत करके कुछ लोगों को पकड़ा, कुछ पर्दाफाश किया लेकिन आगे जाकर एसओजी मजबूर हो गयी कि सरकार में बैठे हुए लोगों की जांच कैसे करे, उनको कैसे पकड़े, कैसे पूछताछ करे और उसके कारण से वह चुप्पी साध गयी। ऐसी स्थिति में इसमें प्रावधान होना चाहिए कि जब ऐसा अंदेशा हो तो इसकी सीधे सीबीआई से जांच करवाने का प्रावधान हो, जिसमें मुख्य मंत्रीजी की सहमति की जरूरत न हो। यह प्रावधान करना चाहिए था इसमें, क्योंकि जब मालिक ही इसमें शामिल हो जायेगा तो फिर होगा क्या? इसमें यह प्रावधान नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, परीक्षा का इसमें उल्लेख किया गया है। कौनसी परीक्षा? लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा? लिखित परीक्षा के बारे में तो इसमें प्रावधान है ही नहीं। इसमें कहा गया है कि पेपर आउट हो जाये तो, नकल कर ले तो, वगैरह-वगैरह, लेकिन मौखिक परीक्षा का क्या होगा? मौखिक परीक्षा में चाहे जो नम्बर देते हैं, चाहे जो प्रश्न पूछते हैं। उसका कोई उल्लेख

(श्री मदन दिलावर)

नहीं होता है, उसका भी होना चाहिए। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहां कहा है कि 40 परसेंट नम्बर लाने वालों को 80 परसेंट मौखिक में अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो लिखित में तो वह मन्द बुद्धि का होता है और जब मौखिक परीक्षा होती है तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। इसका भी तो कहीं न कहीं होना चाहिए, पकड़ना चाहिए न। अधिकांश इस प्रकार की जो बातें आती हैं, इस सरकार में बैठे हुए लोग ही इस प्रकार की गड़बड़ कराते हैं, किसी और की हिम्मत नहीं है। इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसमें इसका जरूर उल्लेख होना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, बड़े लोग पकड़े भी गये। अभियोजन स्वीकृति कौन देगा? यह सरकार तो अभियोजन स्वीकृति देगी नहीं। अगर माननीय मंत्री ही शामिल हुआ तो मुख्य मंत्रीजी कैसे देंगे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, बिल की ही बात कर रहा हूं। बिल में अभियोजन स्वीकृति का उल्लेख होना चाहिए। यदि इसमें बड़े लोग पकड़े गये तो अभियोजन स्वीकृति कौन देगा? आप तो यहां रोज विधान सभा में देखते हैं। बड़े-बड़े लोगों के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जाती, छोटे लोगों के लिए तुरन्त दे दी जाती है क्योंकि बड़े लोग बड़ी राशि पहुंचा देते हैं। इसमें यह होना चाहिए था कि अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे मुख्य मंत्री उसमें शामिल हो, चाहे मंत्री शामिल हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी शामिल हो, चाहे सेक्रेटरी शामिल हो, उसमें अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने के प्रावधान की जरूरत नहीं है, स्वत: ही अभियोजन स्वीकृति मानी जाएगी और उस पर सीधा केस चलाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गड़बड़ है, जो इन्होंने नहीं किया है। यदि किसी ने व्यवस्था के कारण से किसी पर आरोप लगा दिया और किसी को इसलिए पकड़ लिया कि नकल कर रहा था, वह कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाता है तो क्या उसको मुआवजा देंगे? वह तीन साल, चार साल जेल में रहा तो उसके बारे में इसमें कुछ उल्लेख है, नहीं है। होना चाहिए था कि ऐसे जो निर्दोष लोग हैं, और व्यवस्था से या किसी कारण से या टैक्नीकल खामी से या दुराग्रह से उसे फंसा देते हैं तो ऐसे लोगों का इलाज भी इसमें होना चाहिए था, जो इसमें नहीं किया गया है।

(श्री मदन दिलावर)

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें यहां आयीं। जैसे स्ट्रांग रूम से ही पेपर आउट हो गए। सरकारी चाबी से ही ताला खोल लिया गया और वह चाबी दो-दो के पास है।

श्री सभापति: बिल पर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, बिल पर ही। बिल में प्रावधान होना चाहिए था, बिल की ही बात कर रहा हूं मैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो क्या रहा है यह? और सरकार गम्भीर नहीं है। सरकार तो यहां तक विज्ञापन करने की अनुमति दे देती है कि हमारे यहां कोचिंग करना, हम आपको पास होने की गारण्टी देते हैं। क्या ऐसे जो लोग विज्ञापन जारी करते हैं, उनको जेल में नहीं भेजना चाहिए, वह कैसे गारण्टी दे सकते हैं? परन्तु खुली छूट दी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि उनसे कोई मोटी राशि कहीं-न-कहीं पहुंचती हो लेकिन् इसकी कोई चिन्ता करने वाला नहीं है।

यह आधा-अधूरा बिल लाकर क्या कहना चाहते हैं? केवल वाहवाही लूटना चाहते हैं कि देखो, जो पेपर आउट हो गए थे, और लाखों लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया था, आगे से हम उनका भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। बिलकुल भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के साथ यह धोखा कर रहे हैं। यह धोखाधड़ी है। इससे कोई रूकने वाला नहीं है। होना तो यह चाहिए कि जैसे ही पकड़ा जाता है तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर लो और जब वह कोर्ट से छूट जाता है तो सारी सम्पत्ति लौटा दो, परन्तु जहां तक हो सके, उसकी सारी की सारी सम्पत्ति जब्त होनी चाहिए और उसकी सम्पत्ति पर बुलडोजर चला दो और यदि कोर्ट से जीतकर भी आ जाता है तो उसको दुबारा निर्माण कर दो। यदि इतना डर बैठ जाएगा न तो कोई भी पेपर आउट करने वाला नहीं है। चाहे आप हो या मैं हूं, सबको डर बैठ जाएगा। इसकी कौन चिन्ता करने वाला है? इसकी कोई चिन्ता करने वाला नहीं है। दो साल की, पांच साल की सज़ा, दस साल की सज़ा देंगे। मैं आज 60 साल का हूं और गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे पता है कि यह बीस साल तक केस चलने वाला है, उसके बीच में तो मैं मर जाऊंगा, फिर तो मैं कुछ भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे सज़ा तो होने वाली नहीं है, क्योंकि केस फाइनल होगा उसके पहले तो मैं मर ही जाऊंगा, उसके लिए क्या सज़ा होगी? उसका एक यही इलाज है कि उसकी सारी सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाए। चाहे उसकी पुश्तैनी सम्पत्ति हो, चाहे

(श्री मदन दिलावर)

उसने कमाई हो, चाहे उसके बेटे ने कमाई हो, चाहे उसके दहेज में आयी हो, उसकी चल-अचल सारी की सारी सम्पत्ति जब्त होनी चाहिए। इसका प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस आधार पर पैसे कमाने वाले की पत्नी को भी सज़ा होनी चाहिए, उसको पता होता है कि मेरा पति कहां से पैसा लेकर आ रहा है, कहां से गड़बड़ करके आया है और वह उसमें साझेदार होती है। जो पत्नी कह देती है कि मेरा पति गलत तरीके से पैसा लेकर आया है, इसको पकड़ो, उसको छूट दी जा सकती है अदरवाइज पत्नी सहमति देती है, पैसे रखती है, इसलिए उसको भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। आप यह क्यों नहीं कर रहे? डर बिठाने का एक बहुत बड़ा तरीका है यह। चारों तरफ से ऐसी दहशत पैदा कर दो कि यह जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, त्राहिमाम करने लग जाएंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराधी कहते हैं, साहब, मुझे तो जेल में भिजवा दो, साहब, मुझे जेल से मत निकालो, नहीं तो योगी जी यह कर देंगे, ऐसा माहौल बनाओ। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ऐसा माहौल नहीं बनाओगे तो यह नकल चलती रहेगी और प्रदेश के युवाओं के साथ अनाचार, अत्याचार, धोखाधड़ी होती रहेगी। हम असत्य कानून लाकर लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, यह निरर्थक बिल है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है, राजस्थान की जनता को धोखा देने वाला है, इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आप दो-तीन मिनट में अपनी बात पूरी करिए।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक गरीब का बच्चा पढ़ता है वह गरीब का बच्चा प्राइवेट कालेज में जाता है और पढ़ाई करता है, पढ़ाई के लिए उससे पूरी फीस ली जाती है और एक बच्चा ऐसा है जो तीन-तीन साल, चार-चार साल कालेज में नहीं जाता है और उसको डिग्री दे दी जाती है, यह कौनसा न्याय है? आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, इस पर

(श्री कालूराम)

कानून बनाएंगे, इसको सज़ा देंगे। अभी आपने देखा कि बड़े लेवल पर रीट के पेपर लीक हुए। रीट के पेपर पर पूरे राजस्थान में क्या हंगामा हुआ और जो पेपर लीक होते हैं, वह एक निश्चित स्थान पर उन्हीं लोगों को पेपर मिल जाता है, यह सरकार की कैसी व्यवस्था है? जिस एरिया में पेपर लीक होते हैं, 10 सालों से पेपर लीक होते आये हैं, उस एरिये में जो पेपर आता है, सबसे पहले पेपर उन लोगों को मिल जाता है और मेरा क्षेत्र सबसे दूर का क्षेत्र है, सबसे दूरी पर जो व्यक्ति बैठा है, उसको परीक्षा देकर पास करना पड़ता है और परीक्षा में वह मेहनत करता है, तो मेहनत करा हुआ बच्चा तो पास नहीं होता है और पेपर लीक करके आदमी परीक्षा में पास हो जाता है।

आपने यह कानून बनाया, यह कानून चलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि कानून तो पहले भी बनाया था, उस कानून में भी कोई कमी नहीं थी। यह सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला कानून है, इसमें कोई विशेष कानून लेकर नहीं आये। प्राइवेट स्कूलों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपये लेकर वह नाम चलाते हैं और बच्चा सिर्फ परीक्षा देने के लिए जाता है। और तो और परीक्षा भी वही देकर डिग्रियां दे देते हैं, तो सबसे पहले तो इन पर अंकुश लगना चाहिए और गरीब का बच्चा पढ़ाई करता है और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको बैठे-बैठे डिग्रियां मिल जाती हैं और डिग्रियां मिलने के बाद वह उच्च पदों पर चले जाते हैं। अभी आपने देखा है कि बिना नम्बर वाले भी आर.ए.एस. बन गये, तो मैं चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए छह माह के लिए परिचालित किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 में आपने बोलने का मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक आशंका है, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सरकार का कि आप ऐसा बिल लेकर के आये हैं, जिससे नौजवानों में यह तो होगा कि आने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी लोग

(श्री बलवान पूनियां)

करने से डरेंगे, पर मेरी एक शंका है, ए.ईएन. भर्ती का मामला है बिजली विभाग का, उसका सेंटर बिहार में है, उसका सेंटर हरियाणा में है, उसका सेंटर मध्य प्रदेश में है और हमारे इस बिल का एरिया है, इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा, उसमें हम क्या करेंगे? दो महीने तक धरना दिया लड़कों ने कि जे.ईएन. और ए.ईएन. की भर्ती में पेपर लीक हो गया। सबूत दिये और इसका समाधान यह हो सकता है कि राजस्थान में ए.ईएन. और जे.ईएन. भर्ती होनी है, राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, वहां राजस्थान में इस परीक्षा को आयोजित करा जाए।

माननीय सभापति महोदय, बिल की मंशा शानदार है, लेकिन इस बिल में उतावलापन दिखाया गया है। इसमें यह लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर भी यह लागू होगा। माननीय सभापति महोदय, भर्ती और शैक्षणिक एग्जाम में फर्क होता है। दसवीं, बारहवीं तक के बच्चे, हम सारे विधायकों को इस विधेयक के बारे में नहीं समझा पाए। पिछले पांच विधायक साथियों को टोका है कि बिल पर आइए। यानी जो नये लोग हैं, वह बिल को नहीं समझ पाते। क्या इसका प्रचार इतना तेजी से हो जाएगा कि थोड़े दिनों में हम परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं दसवीं और बारहवीं की, यह बिल आज कानून की शक्ल ले ले तो कल उस पर लागू हो जाए, तो मैं समझता हूं कि जो दसवीं और बारहवीं की परीक्षा है, उनको इससे दूर रखा जाए और उन पर यह लागू नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रतियोगी परीक्षा केन्द्र हैं, वह सरकारी संस्थान में होने चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा केन्द्र सरकारी संस्थान ही हों। उसमें ड्यूटी देने वाला आदमी रिटायर्ड कर्मचारी या किसी निजी शिक्षण संस्थान का न हो, चाहे पेपर 3 किस्तों में करवाना पड़े।

सभापति महोदय, जो परीक्षा सत्र है वह इस हिसाब से रखा जाये कि परीक्षा के 2 सत्र हों, आब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव प्रश्न हों। प्रश्न-पत्र सब्जेक्टिव होगा तो पेपर लीक होने और धांधली की कम से कम स्थितियां होती हैं। अगर सब्जेक्टिव होगा तो मैं समझता हूं कि नकल मारने वाला आदमी, चाहे उसको 4 घण्टे नहीं, 4 दिन पहले मिल जाये, वह उसकी नकल कर ही नहीं सकता। यह हमारे सुझाव हैं, जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं।

(श्री बलवान पूनियां)

आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का परीक्षा कैलेंडर व्यवस्थित हो। थोड़े दिन पहले मांग कर रहे थे आरएएस मेन्स के अभ्यर्थी और कह रहे थे कि हमारे एग्जाम 2 महीने आगे करो। मुख्य मंत्री जी का बयान आता है कि एग्जाम हम इसलिए आगे नहीं करवा पाते क्योंकि समय पर भर्तियां नहीं होतीं। जस्ट अगले दिन हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि यह 13 प्रश्न गलत थे इसलिए हम इस रिजल्ट को ही सस्पेंड करते हैं। यह व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम से मंशा और इच्छा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है।

सभापति महोदय, सिर्फ यह कानून आ जाने से यह नहीं समझें कि भर्तियां सही हो जायेंगी। इन भर्तियों के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। रीटोत्सव का माहौल था, लेकिन सही कहा एक साथी ने कि पेपर लीक होने के बाद बच्चे ही हतोत्साहित नहीं हुए, जिन्होंने रीट के बच्चों को पेपर दिलवाने की तैयारियां की, वह भी हतोत्साहित हुए।

आज जो यह कानून आया है इससे पूरे प्रदेश में आने वाले समय में माहौल बने। राठौड़ साहब इतने पुराने लीडर हैं, 7 बार एमएलए बने हैं, इनके पास तो पता नहीं कितने फोन आते होंगे कि, राठौड़ साहब, पेपर में सैटिंग करवा दो। हम पहली बार हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं कि सैटिंग करवा दो। मेरा झगड़ा हो जाता है। मैंने कहा, सैटिंग किसकी होती है? बोले, नहीं, नहीं, सेटिंग होती है। राजस्थान में इस बिल के बाद माहौल ऐसा बने कि सैटिंग वाले शब्द ही हट जायें। सैटिंग कोई कर ही नहीं पाये।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं, मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस ले रहा हूं। जो 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है और 10 करोड़ रुपये की जो शास्ति उस पर लगाने की बात की है, एक डर लग रहा है, संयम जी की बात से मैं भी सहमत हूं, आज तो यह सारे साथी कह रहे हैं कि यह बिल नहीं आना चाहिए, विधेयक नहीं आना चाहिए, कल को मान लो इनकी सरकार आ जाये, जो यह आज खतरा बता रहे हैं, इस खतरे का दुरुपयोग होने से भी कोई नहीं रोक सकता।

सभापति महोदय, गड़बड़ी करने वाले ने फोन कर दिया तो वह 120-बी में मुलजिम बन सकता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पालना भी जरूरी है, नहीं तो यह कानून जो हम बच्चों का भविष्य संवारने के लिए लेकर आये हैं,

(श्री बलवान पूनियां)

यह हमारे गले की फांस न बन जाये। इन्हीं सुझावों के साथ मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 को आज हम लेकर आये हैं।

हमने देखा है कि किस तरह से पूरे राजस्थान में इस बिल को आज लाने की आवश्यकता पड़ी। हमने राजस्थान में जो समय देखा, हम पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ, जो हमारे प्रदेश के अनेकों कर्णधार थे, बच्चे थे, उन्होंने अपने आपको वास्तव में ठगा महसूस किया। वह जो दिन-रात मेहनत करके कैसे बाहर निकलते हैं, किस तरह से उनके मां-बाप उनको पढ़ाते हैं? उन्हें लगा कि यदि वास्तव में ऐसा होता रहा तो वह किस तरह से अपनी मेहनत में सफल हो पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आप बिल लेकर आये हो, लेकिन मेरा इसी के साथ यह भी निवेदन है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के लीक होने के उपकरणों पर रोक और परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोकथाम हेतु अपराधों पर नियंत्रण करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि बोर्ड परीक्षा में पेपर भी लीक होते रहे हैं। इसके लिए भी इस प्रकार के अधिनियम लाये गये हैं। वह भी बिलकुल सफल नहीं हुए हैं। हमने हमेशा ऐसा देखा है।

सभापति महोदय, मेरा इतना-सा निवेदन है कि लिखित रूप में अधिनियम पारित तो किया जा रहा है, पर इसकी क्रियान्विति के लिए परीक्षा संचालन, मुद्रण और परीक्षा करवाने वाले व्यक्ति ही संलग्न हो गये तो सरकार उनके लिए दण्ड के क्या प्रावधान करेगी? कभी-कभी हमें देखने में आता है कि कानून बनाने वाले चाहे राजनेता हों, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, इसमें शामिल पाये जाते हैं। सरकार द्वारा उनको राजनीति के बल पर बचा भी लिया जाता है। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसे कानूनों को लाना मुझे लगता है कि महज दिखावा है। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। सीधा-सीधा इस पर

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हमारा आशय जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, प्रश्न-पत्र मुद्रण में लगे कार्मिक, अधिकारी हैं, वही गोपनीयता को भंग करते हैं। प्रश्न-पत्रों के रक्षक ही प्रश्न-पत्रों को लीक करवाने में सहयोगी होते हैं। वह करते भी आये हैं, हम देखते आये हैं। विगत रीट परीक्षा का उदाहरण भी हमसे छिपा नहीं है। यह हम सबने देखा है। ऐसे लोगों के लिए, मैं कहूंगी कि जो भक्षक बन रहे हैं उनके लिए और कड़ा प्रावधान हो।

सभापति महोदय, साथ ही आपने जो इसमें दिया है 12(2) में, विधेयक में प्रावधान है कि यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अनुसन्धान का समय जो 60 दिन का रखा है, यह ठीक है। मेरा इसी के साथ यह सुझाव है कि यदि कोई जेल में रहते हुए भी परीक्षा देना चाहे तो यह शुरू से चला आ रहा है, उसको देने का भी हमें इसमें प्रावधान करना चाहिए। आने वाले समय में इस तरह के गिरोह जो राजस्थान की धरती पर पनप रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, जो हम लगातार देख रहे हैं। अभी मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा कि किस तरह से आत्महत्या करने पर विवश हो गये। जो व्यक्ति पूरे जीवन भर कमाकर अपने बच्चों के लिए पैसा लगाता है, उसे किस तरह के दिन देखने पड़ते हैं। ऐसी सभी बातों पर हम लोग रोक लगा सकें।

सभापति महोदय, साथ ही मैं कहूंगी कि इस विधेयक को और भी लोगों, हम जानते हैं कि हमारे अनेकों शिक्षाविद हैं, अनेकों प्रबुद्धजन हैं, उनसे भी अनुभव शेयर करें, जो कुछ भी इसमें और अलग से रख सकते हैं, ऐसे प्रावधान इसमें किये जायें। मेरा निवेदन है कि जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए इसको परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज सदन एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा है। गम्भीर विषय भी ऐसा है कि राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, लाखों परिवारों से भी जुड़ा हुआ विषय है।

सभापति महोदय, आज राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 और राजस्थान

(श्री रामलाल शर्मा)

सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक, 2022 की चर्चा कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने अपने विवेक, बुद्धि के अनुसार अपनी बातें रखने का काम इस सदन में किया है।

सभापति महोदय, सरकार की मंशा नकल करने वाले गिरोहों को कानून के दायरे के अन्दर लाने की है लेकिन सरकार क्या यह बतायेगी कि ढिंढोरा तो डेढ़ साल पहले भी इस बात का पीटा था कि हम कठोर कानून लाने का काम करेंगे, रीट परीक्षा के अन्दर धांधली करने वाले जितने भी गिरोह गिरफ्तार किये गये, आज वह सब जमानत पर बाहर आ गये। सरकार की यह मंशा कि हम कानून के दायरे में कठोर सज़ा दिलाने का काम करेंगे, तो यही फेल होती हुई नजर आ रही है।

सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने एक चिंता जाहिर की है कि जो मेहनत करने वाला है, परिश्रम करने वाला है वह अपने घर से चलकर किराये का मकान लेता है, उस किराये के मकान का भुगतान भी करता है। अपने परिवार को छोड़कर, कई किलोमीटर दूर रहकर वह परीक्षा की तैयारी करता है। वह ईमानदारी के साथ परीक्षा की तैयारी करता है कि मुझे इस परीक्षा में अपना स्थान पाना है। दूसरी तरफ पूरे राजस्थान में एक संगठित गिरोह इस प्रकार का बना हुआ है कि वह उन सबके सपनों को साकार होने से रोकने का काम करता है।

सभापति महोदय, हरियाणा के अन्दर देखें, वहां भी पहले इसी तरह के संगठित गिरोह थे। उन गिरोहों के कारण कोई भी सामान्य व्यक्ति यह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि इस परीक्षा के अन्दर ईमानदारी से मेरा भी नम्बर आ सकता है। हरियाणा में भर्ती परीक्षाओं को लेकर किन-किन को सज़ा हुई, वह किसी से छिपी हुई भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक मित्र है हरियाणा का विनोद, मैं मिला तो उसने कहा कि अबकी बार क्या होगा? इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ईमानदारी से परीक्षा कराने में यह सरकार सफल हुई है। उसने कहा कि मेरे परिवार के एक सदस्य की नौकरी लगी है, आजादी के बाद पहली बार। पहली बार सरकार के महकमे में नौकरी लगी है, इससे बड़ी खुशी हमारे परिवार के अन्दर नहीं है। हम तो इस परिवार की नौकरी लगने की वजह से ही बीजेपी को वोट देंगे। एक विश्वास जब तक इस प्रकार का पैदा नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि केवल कानून बनाने और मेज थपथपाने और अनुमोदन करने से कुछ नहीं होगा। इस

(श्री रामलाल शर्मा)

कानून की क्रियान्विति करने वाली एजेंसी कौनसी है, इस कानून की क्रियान्विति के अन्दर एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर आप वो भी तो तय करो कि अगर इस तरीके का संगठित गिरोह पकड़ा जाता है तो इतने दिन के अन्दर हम चालान पेश करेंगे, इतने दिन के अन्दर हम कठोर पैरवी करेंगे और इतने दिन के अन्दर सज़ा दिलाने का काम करेंगे। आपने अगर कानून के दायरे के अन्दर मुकदमा रजिस्टर भी कर लिया और उसका चालान समय पर पेश नहीं किया, अभियोजन स्वीकृति समय पर नहीं दी, सज़ा उनको नहीं मिली तो फिर इस कानून की उपयोगिता भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि हम इन परीक्षाओं को सफल तरीके से कैसे आयोजित करें। अगर सफल तरीके से हम आयोजित कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस कानून की आवश्यकता भी पड़ेगी।

कई भर्तियां ऐसी होती हैं कि उन भर्तियों के अन्दर लाखों विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। आप उन भर्तियों को सम्भाग स्तर पर कराने का काम करें, आप उन भर्तियों को जिला स्तर पर कराने का काम करें। आप उन भर्तियों का समय अलग-अलग निर्धारित करें, आप उन भर्तियों के पेपर अलग-अलग बनाने का काम करें। इन परीक्षाओं के अन्दर सरकारी महकमे में काम करने वाले व्यक्ति के मन में डर इस बात का रहता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ेगी और जीवन में परिश्रम करके, मेहनत करके जो इज्जत कमायी वो भी खतरे में पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, इन परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमे के कर्मचारियों को ही लगाने का काम करें, प्राइवेट व्यक्तियों को लगाने का कतई काम नहीं करें।

दूसरी बात, आपके पास इतने सेंटर हैं सरकारी महकमे के, आपके पास इस समय कालेजें भी हैं, स्कूलें भी हैं और अन्य इंस्टीट्यूट भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास संसाधनों की कोई कमी है। आप प्राइवेट सेक्टर के अन्दर स्कूलों के अन्दर या प्राइवेट कालेजों के अन्दर सेंटर बना रहे हैं, जिस दिन सेंटर का परमिशन लेटर आता है, उसी दिन से परीक्षार्थी इस व्यवस्था में लगता है कि अमुक सेंटर का मालिक कौन है, उससे सम्पर्क करता है कि कहीं मेरी मदद करे, कहीं मेरे कहने से परीक्षा लेने वाला कर्मचारी लगा दे, वह मेरी मदद कमरे में आकर करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस बिल के साथ-साथ

(श्री रामलाल शर्मा)

आवश्यकता इस बात की है कि परीक्षा के आयोजन करने के अन्दर जो खामियां हैं उनको भी सुधारने का हम काम करें, तब जाकर मुझे लगता है कि एक सफल और एक विश्वास इस बात का हम पैदा कर पायेंगे। आज हर युवा कोई-सी भी भर्ती को ले लो, उसके मन में एक अविश्वास इस बात का पैदा हो गया कि मेरी तो सेटिंग नहीं हुई, मेरी तो कोई व्यवस्था नहीं बैठी इसलिए मेरा सलेक्शन नहीं होगा, इस अविश्वास को तोड़ने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कानून की पालना करवाने वाली एजेंसियों के लिए भी और उनके अन्दर आप एक निर्धारित समय सीमा पर सज़ा का प्रावधान नहीं, सज़ा इतनी कठोर हो, ठीक है, दस साल की सज़ा का प्रावधान आपने कर दिया, दस करोड़ रुपये की शास्ति लगाने का प्रावधान भी कर दिया लेकिन उसके लिए एक निष्पक्ष एजेंसी कैसी रहेगी, कहीं इसका दुरुपयोग तो द्वेषतापूर्ण तरीके से तो नहीं होगा, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन संस्थानों के ऊपर भी आप जवाबदेही तय करें, जिन संस्थानों के अन्दर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आसपास के स्टेट के बहुत से ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की धांधली, इस प्रकार के पेपर आउट होने की समस्या आज दिन तक हुई ही नहीं। यूजीसी का पेपर हमने कभी अख़बार में नहीं पढ़ा कि उसका पेपर आउट हो गया है, तो हमारी जो संस्थाएं एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं उनके अन्दर लगे हुए चेयरमैन हैं या अन्य कोई व्यक्ति हैं, उनको उनका अध्ययन करने के लिए आप भेजें ताकि वहां वो सीख कर आयें, देखकर आयें कि किस तरीके से हम निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करवा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्तिम निवेदन यह करूंगा कि हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सज़ा मिले, यह न्याय का प्राकृतिक सिद्धान्त है, नैसर्गिक सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अन्दर हम सबको पता है कि कौन अमुक अधिकारी, कौन अमुक व्यक्ति ईमानदार है, उसकी छवि बढ़िया है, मेहनत ओर परिश्रम के साथ उसने अपनी जगह स्थापित की है, ऐसी संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करें तो ज्यादा बढ़िया है। आप अपने चहेतों को अगर इन संस्थाओं में बैठा दोगे तो आपके एजेंडों को क्रियान्विति करने का काम वो करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि न्याय हो

(श्री रामलाल शर्मा)

पायेगा। माननीय सभापति महोदय, ऐसे संस्थानों में जहां परीक्षा कंडक्ट करवायी जाती है वहां पर ऐसे व्यक्तियों को पदस्थापित करवाया जाये जिनकी छवि समाज के अन्दर पहले से ही बनी हुई है, ईमानदारी की छवि है। अगर वहां भी बेईमान को बैठा दिया तो उससे अच्छे परिणाम की कैसे आप अपेक्षा और उम्मीद कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि तमाम विषयों की गहनता से जांच करने के बाद इस कानून को पारित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसलिए 6 महीने के लिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित)। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सरकार अपने आप को दूध का धुला साबित करने का नाटक करने के लिए यह बिल लेकर आयी है, यह मेरा सीधा-सीधा आरोप है। अभी-अभी रीट की चीट की चीत्कार लोगों के हृदय से निकली और वो निश्चित रूप से निरंकुश और नाकामयाब सरकार के दिलोदिमाग पर तो चोट कर ही रही है, लेकिन असली वोट की चोट तो 20 महीने बाद करेगी और तब आप इधर एक मिनी बस जितने भी नहीं आ पाओगे, यह मैं दावे के साथ में कहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, रीट उत्सव मनाया, सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्रीजी का बयान आया कि यह उत्सव है। वह उत्सव सरकार की मिलीभगत से लोगों के भविष्य को खराब करने का उत्सव आप लोगों ने मनाया और वो चीत्कार, राजस्थान के युवाओं के हृदय से निकली हुई वो चीत्कार पूरे देश के अन्दर फैली और उसकी बद्दुआ, निश्चित रूप से उनके परिवारों की बद्दुआ आप लोगों को लगेगी, यह मैं हृदय के अंत:स्थल से आप लोगों को कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने कहा, फिर उसके बाद एक बयान आया कि नकल हुई ही नहीं, राजस्थान सरकार के मुखिया का बयान आया कि नकल हुई ही नहीं और उसके बाद में जब पूरे चिथड़े खुलने लगे तब जाकर के आपकी आंख खुली और तब आपने स्वांग करना शुरू कर दिया।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय सभापति महोदय, कानून बहुत बनते हैं लेकिन वो कानून किस तरह से लागू होने चाहिए, यह सरकार की मन:स्थिति के ऊपर और सरकार की इच्छाशक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार कानून तो बना देती है और सरकार को यह मालूम है कि इस कानून को तोड़ने वाले, अपराध करने वाले ये-ये लोग हैं, चिह्नित भी हो जाते हैं लेकिन उसके बाद में सरकार की इच्छाशक्ति तो बजाय उन षड्यंत्रकारी लोगों को सज़ा देने के, सरकार की इच्छा तो यह रहती है कि कैसे इन हमारे चहेते लोगों को बचाने का काम किया जाये और यही इस रीट की चीट के अन्दर राजस्थान की सरकार ने भी किया। बड़े-बड़े मगरमच्छ बचते चले गये, छोटे-छोटे लोगों को जो चीख-चीखकर कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूं, इसके अन्दर दोषी कोई और लोग हैं, उन लोगों को सज़ा के तौर पर उनको दिखवा करके अन्दर भेजकर उसके बाद में सरकार ने इतिश्री करने का काम कर लिया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी इस बिल के अन्दर दिया है कि एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी से नीचे कोई अधिकारी जांच नहीं करेगा। यहां पर नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एसओजी के एडिशनल डीजी सरकार के बड़े-बड़े मगरमच्छों के ऊपर हाथ डालने में नाकामयाब हैं, क्या वो एक एडिशनल एसपी स्तर का आदमी नकल करने वाले लोगों, षड्यंत्र करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होगा? माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: यही बात कहता हूं कि सरकार इच्छाशक्ति बनाये और ईमानदारी के साथ युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना बन्द करे।

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व वक्ता संयम लोढ़ाजी ने कहा, बहुत अच्छी बातें आज उन्होंने कहीं, पता नहीं कैसे कह दीं? अफसरों की नाकामयाबी पर, उन्होंने कोट किया है कि अफसरों की नाकामयाबी है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि अफसर तो खिलौने हैं, सरकार जैसा दिशा-निर्देश देती है वो बड़े-बड़े लोग, वो बड़े-बड़े मगरमच्छ उनके ऊपर हाथ डालने से रोकने का आदेश सरकार देती है, तो ऐसी स्थिति में अफसर की नाकामयाबी कहां से आयेगी? इन योग्य अफसरों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और उनको फ्री हैंड देकर जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष बार-बार कहते हैं कि मेरी एसओजी इतनी सक्षम नहीं है, इतना बड़ा अधिकार लेकर के नहीं बैठी है कि वह सरकार के बड़े-बड़े लोगों पर हाथ डालने का काम कर सके। इसलिए मैं यह कहता हूं कि

(श्री अभिनेश महर्षि)

अफसरों को दोष देना ही ठीक नहीं है, कानून के अन्दर यह संकल्प भी लो, सरकार में बैठे हुए लोग यह संकल्प लें और सदन को इस बात का भरोसा दिलायें कि हम आप लोगों के साथ में मिलकर देश के हमारे राजस्थान के युवाओं के साथ में, लाखों लोगों के साथ में, इनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कोचिंग सेंटर्स की बात आयी, निश्चित रूप से ये कोचिंग सेंटर किसके हैं? चूरू से आने वाले माननीय उप-नेता प्रतिपक्ष ने अभी-अभी आप लोगों की पोल खोली है। चूरू से जयपुर आते वक्त सीकर के वे सारे खसरे इन्होंने छान डाले। सरकार आंखें मूंदे बैठी रही और बिल लेकर आयी। सरकार को न केवल बैकफुट पर जाना पड़ा, बल्कि राजस्थान का वह दिन इस विधान सभा में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के काले अक्षरों में लिखा गया है। ये बिल लेकर आये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर बोलें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। यह चीटिंग का मामला है और सरकार यहां के निवासियों के साथ चीटिंग करने का खेल कर रही है। यह सरकार इन्वॉल्व्ड है इस चीटिंग में। जब बाड़ ही खेत को खा रही है तो कौन बचायेगा। मैं प्राइवेट स्कूल के नाम से चलने वाले संगठित गिरोह और जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उन पर किनका वरदहस्त है, यह भी जांच का विषय होना चाहिये। जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, उन्हें सज़ा का प्रावधान भी इसमें देना चाहिये।

बड़े-बड़े लोग नाम तो बेनामी रखते हैं, लेकिन सारा खेल वहीं से होता है। उन कोचिंग सेंटर्स के 80-80 लोग एक एग्जामिनेशन सेंटर पर सलेक्ट हो जाते हैं और दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर्स के पांच लोग भी सलेक्ट नहीं होते। यह क्या प्रश्न चिह्न नहीं लगाता है कि वहां पर चीटिंग हुई है, नकल हुई है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी, यह इस बिल में कहीं भी नहीं लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के मंगल सूत्र तक उतारकर एग्जामिनेशन में प्रवेश दिया गया। हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, क्या कड़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम चीटिंग को रोकने में नाकामयाब रहे, तो सरकार इस बात का विश्वास दिलाये। युवाओं का विश्वास उठ गया। आज मेरे इलाके के बहुत सारे युवाओं ने पिछले दिनों कई बार मुझे

(श्री अभिनेश महर्षि)

यह कहा कि, एमएलए साहब, हमारा सलेक्शन तो नहीं होगा। मैंने कहा, क्यों, तो कहते हैं कि हमारी कोई सेटिंग नहीं है।

सभापति महोदय, यह ईमानदारी से कह रहा हूं। जैसा कि भाई बलवान कह रहे थे कि हम लोगों से भी सम्पर्क करते हैं कि, साहब, कोई तरीका बता दीजिये। भैया हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हमने यहां तक भी कहा कि, साहब, सरकार में बैठे कुछ लोगों का नाम लेकर कहा उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि, साहब, आप पहले कांग्रेस में रहे हैं, आपकी तो उनसे जानकारी होगी, आप हमें उनके पास पहुंचा दें। मैंने कहा, यह खोटा काम हमने न तो कभी जिन्दगी में किया और न करेंगे। आज के युवाओं के मन से इस सरकार के प्रति जो विश्वास उठ गया, उस विश्वास को बनाने का काम सरकार करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बा समय नहीं लूंगा, दो मिनट में अपनी बात को विराम दे दूंगा। लास्ट में आपको तो पता है, अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने की बात तो जरूर करूंगा, क्योंकि संविधान के निर्माता हैं, फिर कानून बन रहा है, इसलिये अम्बेडकर साहब की मूर्तियां लगाएं, उनके दिये हुए सन्देश को जगाएं देश में शिक्षा की अलख जगाएं, संगठित रहें और संगठित रहकर इन युवाओं के भविष्य को बचाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में, कानून तो लाएं लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन ऐसा करें जैसा यूपी के मुख्य मंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने करके दिखा दिया। बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर बाबा के नाम से क्यों फेमस हो गये, क्योंकि उन्होंने युवाओं, महिलाओं, नौजवानों और उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध घटित करने का काम किया तो उनको नेस्तनाबूद करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उसका परिणाम क्या आया? माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी पार्टी की तरफ से गया था, वहां पर मैंने लोगों से पूछा कि क्या करेंगे, तो वे बोले, "अमन-चैन की जिन्दगी जीयेंगे और योगी जी को लायेंगे।" कोई जाति, धर्म, सम्प्रदाय नहीं, इन सबसे ऊपर उठकर यदि किसी ने काम किया तो देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और योगी जी ने किया और यही काम करने की अपेक्षा मैं इस राजस्थान की सरकार से करता हूं।

(श्री अभिनेश महर्षि)

मानीनीय सभापति महोदय, युवाओं के भविष्य को चकनाचूर करने का काम यह सरकार बन्द कर दे, यह युवाओं की चेतावनी है, जो 18-20 महीने बाद इस राजस्थान में वोट की चोट देकर...। शिक्षा मंत्री महोदय, आपके हाथ में युवाओं की जिम्मेदारी ज्यादा है, आप समझते हैं मेरी बात को, आप मेरे पुराने दोस्त भी हैं, इसलिये कहिये सरकार से, मुख्य मंत्री जी से कि यह खेल खेलना बन्द कर दें।

अन्त में इस शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, यह आज राजस्थान के युवा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो अब युवाओं के बाद वाली पीढ़ी में आने लग गया हूं-

मेरे हक में फैसला क्या होगा,

जब हाकिम ही मेरा कातिल है।

इसलिये युवाओं के भविष्य के साथ कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान की सरकार ही कातिल है। अत: इस बिल को 6 महीने के लिए परिचालित करने की अनुशंसा करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: दिव्या जी मदेरणा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: अभी बिल चल रहा है। आप प्लीज बैठिये। आपको समय मिलेगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): The Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Bill, 2022, सभापति महोदय, लाखों परीक्षार्थी इस आशा में आते हैं कि उनकी परीक्षा बिलकुल निष्पक्ष हो और हर बार पेपर लीक होकर उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है। रीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ और पूरे राजस्थान में तहलका मच गया। उससे जुड़ा हर सवाल और चिन्ता बिलकुल वाजिब है कि आखिर कैसा होगा हमारा भविष्य, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। नैतिकता है, शिक्षा की व्यवस्था है, सरकारें हैं, कौन जिम्मेदार है? पुराने समय में भी शायद नकल होती होगी, लेकिन इस तरह नहीं होती होगी, जितनी आज की स्थिति चिन्ताजनक और भयावह है, इसलिये इसे रोकने के लिए एक सख्त प्रावधान लाना चाहिये था ताकि उसका एक भय हो। वही लाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

मार्च का सीजन आता है या जब ऐसी काम्पीटिटिव परीक्षाओं का समय आता है तो अपनी-अपनी चिन्ताएं होती हैं। किसी को पता करना होता है कि पर्चा किसने बनाया है, किसी को पता करना है कि कापी कहां जाने वाली है, किसी को नकल के लिए नयी तकनीक ईजाद करनी है, कोई अपने रिश्तेदारों और नेताओं के भरोसे बैठा है और एक तबका सिलेबस खोलकर अपनी तैयारी कर रहा है।

इन परीक्षा केन्द्रों पर बड़े-बड़े इश्तहार लगे होते हैं मोटे-मोटे अक्षरों में, "परीक्षा में नकल करना पाप है, सामाजिक बुराई है।", फिर आगे क्या होता है, "रघुकुल रीत सदा चली आयी", फिर वही पेपर लीक हो जाता है। प्रदेश के युवाओं को सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी और वे चाहते थे, यह आस लगाये बैठे थे कि एक सख्त प्रावधान वाला कानून लाया जायेगा, एक सख्त व्यवस्था बनेगी और लगाम लगायी जायेगी। वही इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है।

इसे 6 भागों में बांटना चाहती हूं। पहला, अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक का प्रावधान। दूसरा, इसमें प्रश्न पत्र को लीक करने पर रोक का प्रावधान। तीसरा, परीक्षा कार्य में लगे व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र के प्रकटन की रोक का प्रावधान। चौथा, प्रश्न पत्र, आंसर शीट या ओएमआर शीट के लीक पर रोक का प्रावधान। पांचवां, परीक्षा केन्द्र पर अवैध प्रवेश पर रोक का प्रावधान। छठा, प्रबन्ध तंत्र द्वारा किये जाने वाले अपराध पर नियंत्रण का प्रावधान। मुझे नहीं लगता इस बिल के किसी आस्पेक्ट में किसी पहलू को छोड़ा गया है। हर चीज को कवर करने की कोशिश की गयी है।

यह अधिनियम पेपर लीक गिरोह के ताबूत में कील साबित होगा। इसमें जितने भी रिलेटेड क्राइम्स हैं, मैनेजमेंट द्वारा, स्वयं अभ्यर्थी द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, इस पेपर लीक के अन्दर इन सबको कवर किया गया है। हाल ही में जिस तरह, आज तीन घण्टे की मैंने डिबेट सुनी, उसमें इनके प्रावधानों और सेक्शंस की चर्चा कम, एक लाइन बोलकर और रीट के अपने राजनीतिक एजेंडा को साधने की भाजपा ने कोशिश की। कुछ सरकारी अधिकारी-कर्मचारी उसमें शामिल पाये गये और निश्चित रूप से व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लगा, लेकिन यह बिल उन प्रश्न चिह्नों पर लगाम लगाने का काम करेगा।

दूसरा भाग, पेपर लीक में मुझे लगता है, इस ताबूत के अन्दर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

अन्तिम कील ठोंकी गयी है। अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सजाओं के प्रावधान किये हैं, जैसे पहले के अन्दर बता रहे थे तीन वर्ष और ये, लेकिन ऐसे गैर सामाजिक तत्वों को कठोर से कठोर सज़ा मिले और पेपर लीक वाले संगठनों की कमर तोड़ी जा सके, उसके लिए कितने कठिन प्रावधान इसके अन्दर किये गये हैं। अब आप करवाना पेपर लीक, अब करना पेपर की फोटोकापी, अब भिजवाना व्हाट्सएप पर अभ्यर्थियों या परीक्षा करवाने वालों को, 5 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान इसके अन्दर किया है। उनकी कमर निश्चित रूप से टूटेगी। अगर इसके अन्दर परीक्षार्थियों को दोषी पाया जाता है तो हमने उसे दो साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा से रोका है। मुझे लगता है,

(समय: 16.00 बजे)

यहां पर मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम के लिए डिबार करना चाहिए।

चौथी बात, जो मुझे इस बिल में अपील करती है वह है सम्पत्ति की कुर्की करने का प्रावधान। बड़ी-बड़ी बातें हुईं लोगों ने बुलडोजर को अपनी ताकत का प्रतीक बनाया और आप क्यों नहीं जो आपका कमल का फूल है वह सिम्बल आप बदल लें क्योंकि बदलने की आपकी आदत है, बुलडोजर अपना नैक्स्ट बना लें। समझ में नहीं आ रहा कि सम्पत्ति गिराने हेतु जो बुलडोजर की जरूरत है उसे आप चुनावी रैलियों में जेसीबी की आप फोटो लगा रहे थे, खैर। हम भी गिरायेंगे ऐसे असामाजिक तत्वों की सम्पत्ति और युवाओं के फ्यूचर के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। हमारी सरकार की कर्तव्यपरायणता और संकल्पबद्धता का यह बिल प्रतीक है।

दूसरी, जो शिकायत युवाओं को रहती है, वह रहती है कि जब ऐसे मुकदमे हो जाते हैं और कठोर कानून भी आ जाते हैं तो किस तरह न्याय अदालतों में कितने-कितने साल, बीस साल, तीस साल तक ठोकर खाता है। लेकिन इस अधिनियम के अन्दर राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सेशन न्यायालय स्थापित करेगी, विशेष न्यायालय स्थापित कर इस बुराई को खतम करना चाहेगी। वह अलग बात है कि कितने कोर्ट्स खुल गये हैं और हम उसे कैसे करने का प्रावधान करें, इसकी अलग बात है।

मैं लास्ट दो पाइंट्स पर आ रही हूं। नरेन्द्र मोदी जी ने 2017 में यूपी चुनाव में परीक्षा केन्द्रों की बिक्री और नकल के व्यापार के ऊपर प्रश्नचिह्न

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

लगाया था। अभी कह रहे थे कि आपने आधा बिल तो हरियाणा का कापी किया है, यूपी का कापी किया है तो हम आपके बिल कापी करते हैं तो भी आपको तकलीफ है, नहीं करते हैं तो कल आप कह रहे थे कि कर्नाटक का बिल कापी कर लें, दोनों तरह की बात आप करते हैं। बहरहाल मैं जब इसका अध्ययन कर रही थी और मैंने देखा कि किस तरीके के स्टडी पेपर्स और रिसर्च की गयी हैं, क्या उपाय और लोगों ने पेपर लीक के लिए सुझाया है, तो नवभारत टाइम्स का एक बड़ा ही रोचक व्यंग्यात्मक ब्लाग मेरे सामने आया। वह शायद मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में ये बिल सब जगह आये, उससे पहले लिखा गया होगा। परीक्षा में नकल रोकने के धांसू उपाय। उसके कुछ, दो चीजें मैं पढ़ना चाहूंगी और ये उपाय, राठौड़ साहब, मैं विशेषकर आपके लिए अध्ययन कर लेकर आयी हूं। ये कहते हैं कि अक्सर हम चाहते हैं कि ऐसा प्रश्न पत्र बनाया जाये जिसको आम स्टूडेंट भी नहीं कर पाये और सिर्फ जो मेहनती स्टूडेंट है वही उसको सॉल्व कर पाये, लेकिन ऐसा प्रश्न पत्र कभी बना ही नहीं, अमल ही नहीं हुआ। पुलिस लगाकर हमने देख ली, आर्मी का सहारा बचा है। आर्मी आपकी फेवरेट है, आप प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हैं, हमारी भी है, हम भी सम्मान करते हैं। पूरे देश के मर्ज की रामबाण औषधि आर्मी है। युद्ध हो तो आर्मी, आतंकवादी कार्रवाई हो तो आर्मी, दंगा हो तो आर्मी, बाढ़ का प्रकोप हो तो आर्मी, भूकम्प हो तो आर्मी और एक परीक्षा में नकल रोकने का काम हो तो आर्मी बुलानी बाकी रह गयी। यह मैं नहीं कह रही हूं, मुझे कोट मत कीजिये, किसी और ने ब्लाग लिखा है। ये कहते हैं कि आर्मी न बुलानी पड़े तो हम कैसे उपाय इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वे यह कहते हैं कि एक तो जो स्टूडेंट्स चीटिंग करते हुए पकड़े जायें उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लें।

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड नाऊ।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट पाइंट है। कांग्रेस से मैं रोज एक ही आती हूं और बिल के फेवर में बोल रही हूं। तीन घण्टे से सारे बीजेपी, बीजेपी के कह रहे हैं तो पार्टी का टाइम कर लें आप।

श्री सभापति: बोलिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट पाइंट पर हूं, मैं फिनिश कर रही हूं। देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार करें तो मुझे लगा कि सिडिशन

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

तो भाजपा का फेवरेट है जो स्वप्नकाल के अन्दर राठौड़ साहब हमेशा सत्ता में एक प्रभावी, इफेक्टिव मंत्री तो थे, इसमें कोई संकोच नहीं, बने रहते हैं, सिडिशन का मिस-यूज कर लेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि डेंस हो जाते हैं इतने ज्यादा तो ये सेंटर्स तो घोड़े की आंख की जैसे आप लगाते हो उस तरीके से करें। मुझे लगता है कि यह आपको पसन्द आयेगा। परीक्षाकाल के दौरान संसद और विधान सभा आदि के सत्र आयोजित किये जाएं, प्रभावशाली राजनीतिक नेता अगर इसमें व्यस्त रहेंगे तो परीक्षा के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका नहीं होगी। आपका क्या विचार है? लेकिन जो विशेष रूप से, राठौड़ साहब, मैं लेकर आयी, क्योंकि हर सदन में मैंने सुना कि आप पशु प्रेमी हैं और मुझे लगा कि इस सदन में आपसे ज्यादा पशु प्रेमी कोई नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने जब लिखा तो इसने सोचा कि यह पूरी व्यवस्थाओं से हार गया और इसने सोचा कि चाहे हम कुछ भी कर लें, हिन्दुस्तान के अन्दर यह पेपर लीक रुक नहीं सकता, तो उसने यह व्यंग्यात्मक बात लिखी। गौर से सुनियेगा, राठौड़ साहब, परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में बाहर के शरारती तत्व न आ पायें, इसके लिए उन्हें डराने के लिए वहां काले नाग छोड़े जायें। कुशल सपेरों की मदद से यह काम किया जाये और अन्य पशुओं को इसमें जोड़ा जाये जैसे शेर-भालू की मदद, जो सर्कस में आजकल काम न पाने के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। फिर आगे से परिसर का दरवाजा बन्द कर दिया जाये, लेकिन आशा है कि एनिमल राइट्स वालों को कोई आपत्ति नहीं हो। तो मैंने कहा कि धन्य है, इसमें वैशाखनन्दन, गधे का नाम नहीं लिखा क्योंकि एनिमल राइट्स को तो आपत्ति हो या न हो, राठौड़ साहब को जरूर आपत्ति हो जाती इसके अन्दर। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि अगली बार जब आप गधे की इतनी चिन्ता व्यक्त करें तो उसकी शान में गुस्ताखी न करें, उसका नाम बड़े अदब से लें वैशाखनन्दन, शंखकर्ण, शीतलावाहन, चक्रीवान, तो उस गधे को भी लगेगा कि सदन में हमारी पैरवी बहुत अदब से की जा रही है।

लास्ट में चार पंक्तियों के साथ मैं इस बिल के लिए बोलना चाहती हूं। उन संगठन और गिरोह के लिए कहना चाहती हूं- 'पेपर लीक करने वालो, तुम युवा सपनों के हत्यारे हो।' (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये प्लीज। बोलिये आप।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): आपके भगवाकरण के शर्ट के एजेंडे

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

को हम नहीं आने देंगे, चिन्ता मत करें आप। कितने टर्म बाद आये हैं आप? बीच में कहां गायब हो गये थे?

श्री सभापति: बोलिये आप।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

"पेपर लीक करने वालो, तुम युवा सपनों के हत्यारे हो।

पीढ़ियां बर्बाद करके तुम नकलचियों के दुलारे हो।

कानून तो हम बना देंगे, लंका भी तुम्हारी जला देंगे,

थोड़ी शर्म करो बुलडोजर हम भी चला देंगे।"

आप पर।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 लाया गया, इसमें जो भी दोषी पाया जाये, उसके लिए दस साल की सज़ा और दस करोड़ तक की कुर्की का है, इसका मैं समर्थन करता हूं। सभी सरकारों की बहुत ही मेहरबानी हुई कि31 साल बाद सरकार को याद आया, कितनी सरकारें देखीं, कितनी बदलीं राजस्थान की जनता ने और उनको अब याद आया कि लोगों का भविष्य उजड़ जाता है, लोगों के सपने टूट जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं और कितने पेपर आउट हुए तब जाकर हम सबकी इस विधान सभा में नींद खुली कि इनके लिए ऐसा कुछ सज़ा का प्रावधान करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सुबह से हिला हुआ हूं मेरे घर पर कुछ स्टूडेंट आये और उन्होंने कहा कि 2018 में, यह रामकृपाल मीणा पकड़ा गया था, यह कह रहा था और सलेक्शन कराने के बड़े भाई से 8 लाख रुपये मांग रहा था, पर हमने रीट के लिए दिये नहीं। यही बत्तीलाल मीणा अब एग्जाम हुआ तो पैसे मांगता रहा। सभापति महोदय, हद तो हो गयी कि उन स्टूडेंट ने यह कहा कि जब इस बत्तीलाल मीणा को पकड़ लिया था तब भी रामकृपाल मीणा कह रहा था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बहुत पहुंच है। उसने यह कहा कि....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर बोलें खाली।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): बिल पर ही बोल रहा हूं, सभापति महोदय, बिल पर ही बोल रहा हूं।

(श्री बलजीत यादव)

उसने यह कहा कि ओएमआर शीट है वह भी नयी आ जायेगी। एग्जाम दे चुके बच्चे को कहा कि दस लाख रुपये दीजिये, मैं शीट भी बदल दूंगा, इतनी मेरी सैटिंग है। यह उसने स्टूडेंट से कहा। यह तक बताया कि एक आईपीएस आफिसर, जो जयपुर कमिश्नरेट में था, बच्चे उसका नाम नहीं जानते, उन्होंने कहा कि फोटो बताना, हम शक्ल से बता देंगे, वह भी उसके पास आफिस में बैठा रहता था। यानी आईपीएस भी वहां बैठता था, इतने उसके हौसले बुलन्द थे। मैंने इस विधान सभा में सुना, यह जवाब दिया गया कि उसको किसने लगाया। जो आईटीआई का एसएस कालेज चलाता है, आरएएस से लेकर, एलडीसी, रीट, सारे एग्जाम के सेंटर इस रामकृपाल मीणा की कालेज में होते हैं। उसके लिए कहा गया कि उसको कोई लेना-देना नहीं था जो प्राइवेट कालेज का मालिक है, सेंटर चल रहा है पर उसकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम में किसने लगायी, तो जयपुर कलेक्टर ने लगा दी तो, सर, उस कलेक्टर को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसे गिरफ्तार करना चाहिए था जिसने उसकी ड्यूटी लगायी और किस कारण से उसने उसकी ड्यूटी लगायी? इसलिए उसको पकड़ना चाहिए था।

सर, हद तो कल यह हो गयी जब राठौड़ साहब ने बताया और कल कहा गया कि कुलपति और चार लोगों की जो टीम थी, उसने बिना कमरों के 67 कमरों का बताकर यूनिवर्सिटी का बिल लाकर रख दिया, सरकार ने बिल वापस ले लिया। सर, मैंने सोचा कि बाहर जाऊंगा तो टी.वी. पर चलता हुआ देखूंगा कि उन सारे चारों लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने ऐसी फर्जी रिपोर्ट बनाकर यहां पर दे दी। यह कानून बनाने से होगा क्या? अगर ऐसे ही करते रहेंगे, इतनी शिथिलता रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जिसके ऊपर बीत रही है उस स्टूडेंट को पता है। दुबारा कोचिंग की फीस देनी पड़ रही है। पहले कर्जा लेकर आया था, जमीन बिक गयी, गहने बिक गये और उसके बाद में बिल पर चर्चा होती रहती है पर होना जाना कुछ नहीं। 31 साल में जाकर अपनी खाना-पूर्ति करके बन्द कर देंगे। इसके विरोध में कल मैं काले कपड़े पहनकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त सेंट्रल पार्क बिना रुके, बिना थके नॉन स्टाप दौड़ इसके विरोध में लगाऊंगा। पूरे दिन इसका मैं विरोध करूंगा कि सरकार उस कलेक्टर को गिरफ्तार करे और वह कुलपति और चार सदस्यों की टीम थी उनको गिरफ्तार करे। जो-जो भी बड़े लोग दोषी हैं उन सबके ऊपर सरकार प्रभावी कार्रवाई करे, यह मैं

(श्री बलजीत यादव)

सरकार से मांग करता हूं। ऐसे नहीं चलेगा कि बिल ला दिया, वह ला दिये, यह ला दिये, काम चल गया। ऐसे बिलकुल नहीं चलेगा और न ऐसा बिलकुल बर्दाश्त करेंगे और राजस्थान के कोने-कोने के युवाओं से हस्ताक्षर कराकर लाकर इस चीज के लिए मैं मुख्य मंत्री जी को दूंगा चाहे एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराकर लाकर देने पड़ें। मैं स्वयं मुख्य मंत्री जी को दूंगा कि यह जनता की मांग है बलजीत यादव की मांग नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद, सभापति महोदय, आपको।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, कानून अपराधी को दण्ड दे सकता है, अपराध नहीं रोक सकता है। यह केवल और केवल हमारा वर्षों का अनुभव है। कानून अपराधी को दण्ड दे सकता है, अपराध नहीं रोक सकता है। अगर ये कानून ही रोक देते तो अब तक 302 का मर्डर नहीं होता। इसलिए, इसकी गहराई तक जाने का प्रयत्न करें।

कानून बनाने की नौबत क्यों आती है? यह इसलिए आती है, मैं बहुत कड़वे शब्दों में कह रहा हूं, आपसे माफी चाहता हूं, अगर इन 16 लाख बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होता और उनके घर के 5-5 लोग इससे जुड़े हुए नहीं होते तो इस सरकार की नींद नहीं उड़ती। इससे एक करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।

उन बच्चों की पीड़ा और उनके परिवार वालों की पीड़ा, उस पर छींटे लगाने के लिए, आप कानून लाकर अपने आपको बरी करना चाह रहे हो, कानून तो पहले ही था। यह आप नया कानून लेकर आये। उसके पहले आपने यह कानून नवम्बर, 1992 में बना दिया। मंत्री जी, जब जवाब दें तो यह बताना 1992 के कानून के तहत अब तक राजस्थान में कितने लोगों को सज़ा हुई हैं? उनका नाम बता देना। कागजों में पड़े रखने के लिए खाली पुलिन्दा बना देने का शौक पड़ गया है। कानून बहुत हैं, फांसी लगा देंगे, ये लगा देंगे, क्या इससे अपराध रुकता है? अपराध जिस व्यवस्था से रुकता है, हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जैसे-जैसे हमने प्रतियोगी परीक्षाएं कराना शुरू किया, तैसे-तैसे यह गैंग तैयार होना शुरू हो गयीं। उससे पहले ये गैंग्स नहीं थीं, लेकिन अब हर चीज में परीक्षा, हर चीज में परीक्षा। उस परीक्षा में उत्तीर्ण करवाकर बच्चे को नौकरी तक पहुंचाने के लिए कुछ लोग इस व्यवसाय के अन्दर जुड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गये हैं, जिसमें सरकारी मशीनरी भी है, जिसमें वह स्वयं भी है और अगर दुर्भाग्य से कहूं कि कुछ राजनेताओं का भी गठजोड़ होने के कारण से इस स्थिति तक आकर हम पहुंच गये हैं।

अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह कानून तो पहले से ही बना हुआ था। 1992 के कानून में धारा 3 थी, अनुचित साधनों का उपयोग, परीक्षार्थी के द्वारा किसी भी तरह से नकल। कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा अथवा जुर्माना जो दो हजार हो सकेगा, यह तो पहले ही था। अब तक कभी सज़ा हुई और अब तक नहीं हुई तो अब आप इसको 10 वर्ष कर दें, भले ही 10 करोड़ कर दें, यह होगी, इसकी गारंटी इसके साथ है क्या?

पहले वाला कानून पढ़ रहा हूं। धारा 4, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र का अनधिकृत कब्जा एवं प्रकटन। धारा 5, परीक्षा में कार्यरत व्यक्ति द्वारा आवंटन, कारावास, जो 5 वर्ष से कम नहीं हो सकता तथा 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एवं जुर्माना, जो 10 हजार रुपये तक का था, क्या हुआ इसका? यह तो 1992 में है। 1992 में यह कानून बनाया। 1992 से लेकर आज अपन 2022 में आ गये हैं, 30 वर्ष हुए, 30 वर्ष में इस कानून का उपयोग कहीं हुआ है क्या?

मैं आज भी आपको बहुत कड़वे शब्दों में कह रहा हूं केवल और केवल अपनी झेंप मिटाने के लिए इस कानून को लाकर उस बच्चे के उस दर्द को मिटाने के लिए ठण्डे छीटें डालने का प्रयास किया, जिससे शायद हम इसमें सफल हो जायेंगे। हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, यह तो ईश्वर जानेगा। मतलब, मैं सोचता हूं कि हमने कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ायी हैं, कानून कभी रुकता नहीं है। पहले 1992 में यह धारा 6 थी उसमें कारावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं हो सकेगा, सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना, जो 15,000 रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन एक लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। अगर यहीं रोक देते तो अब तक अपन बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाते।

आपने कानून बनाया, आपने सज़ा सख्त की, उसके लिए धन्यवाद। कानून से मेरा विरोध नहीं है, पर मेरा विरोध इस बात से है कि केवल कानून बना देने मात्र से इन समस्याओं का निदान नहीं होगा। यह 1992 की धारा-7 थी, उसमें कारावास तीन वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना पांच हजार, इसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सब कानून है। उन्हीं कानूनों को बदलकर आपने थोड़ा और सख्त करने का प्रयास किया।

सभापति महोदय, मैं अभी तक यह विषय नहीं समझ पा रहा हूं। एक कानून आपका 1992 में था, नया कानून 2022 में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? या तो इस कानून को रद्दी की टोकरी में डालते, फिर इस नये कानून को लाते। मैं इतना विद्वान नहीं हूं, मैंने कोई बहुत ज्यादा वकील की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैं सामान्य बुद्धि से समझता हूं कि क्या ये दोनों कानून पैरेलल चलेंगे? अगर पैरेलल चलेंगे तो कौन से कानून के तहत आप मुकदमा दर्ज करोगे, किसके तहत दर्ज नहीं करोगे? इसका मतलब केवल और केवल लोगों को दिखाने का एक तरीका है। सज़ा कम है, 10 करोड़ कर दो, 25 करोड़ कर दो, उसके कारण से समस्या का हल होता हो, ऐसा मुझे तो कम से कम इसमें दिखायी नहीं देता। कानून हमारे पास पहले से ही था और अभी इस कानून में कुछ सजाओं का अन्तर हो सकता है, कुछ काम का समय कम-ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा तो इसमें कोई अन्तर नहीं है।

अब मैं दोनों ही कानूनों की तुलना करता हूं। अभी हमने 2022 में, जो नया कानून बनाया, पहले वाला मैंने आपको पढ़कर सुनाया, जिसमें तीन साल की सज़ा थी और दो हजार और अभी वाले में आपने कारावास तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना एक लाख रुपये से कम नहीं होगा। जुर्माना न भरने की स्थिति में कारावास की अवधि 9 मास तक और हो सकेगी, पहले यह था, अब यह हो गया।

अब इसके कारण से नकल रुक जायेगी, अपराधी घर चला जायेगा? अब तो कुछ होना ही नहीं है। धारा 4 में, जो पहले था और अब नया क्या किया आपने? प्रश्न पत्र पर कब्जा और प्रकटीकरण। धारा 5, परीक्षा कार्य में न्यस्त व्यक्ति द्वारा प्रकटन, धारा 6 प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक, इसमें धारा 7, धारा 8, धारा 9, उसमें जो आपकी शास्ति है, आपकी वह शास्ति यह है कि कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु दस वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो 10 करोड़ तक हो जायेगा। अब यह 10 करोड़ का चश्मा दिखा देने से अपराधी को डर लग जायेगा, जुर्माना न भरने के कारण से दो साल की सज़ा और बढ़ जायेगी।

मैं सोचता हूं ये सारे प्रोविजन करने मात्र से, इस बारे में आप थोड़ा सोचो और कानून लाने के लिए आपने जो तर्क दिया, वह तर्क दिया है कि,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बजट प्रस्ताव के साथ संलग्न उद्देश्य और कारणों में कथन किया कि उक्त अधिनियम 1992 तीन दशक से भी अधिक पुराना है तो पुराना बेकार है। हम जैसे पुराने हो गये तो फेंकने लायक हो गये न। मतलब, जो कानून आपके पास है, उसी कानून में और कुछ सख्ती करनी थी, कुछ धाराएं उसमें जोड़नी थीं, कुछ बढ़ाना था, कुछ घटाना था, उसी को कर लिया जाता, उसमें क्या अन्तर पड़ जाता?

आपने इसमें यह कहकर कि इस दौरान इस मुद्दे ने संगठित अपराध के आयाम का रूप ले लिया है, यह संगठित अपराध क्यों हुआ? इस संगठित अपराध को यदि ठीक करना है न तो जितनी कोचिंग संस्थाएं, जो चल रही हैं न, इनका पिछले आठ साल का रिकार्ड निकलवाओ अगर कुछ करने की मंशा हो तो, नहीं हो तो कुएं में डालो, कोई चिन्ता की बात नहीं है, प्रदेश को डूबना है तो डूबेगा।

मतलब, दस वर्ष में चाहे मेरी सरकार रही हो, चाहे आपकी रही हो। मैं स्वयं शिक्षा मंत्री रहा हूं, अपराधी होऊंगा, कोई चिन्ता की बात नहीं है, लेकिन कम से कम 10 सालों से जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं, इनकी जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगाकर इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको यह समझ में आ जायेगा कि यह बीमारी कहां से चली। यह बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है।

मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा, पांच लाख दे दूंगा, आठ लाख दे दूंगा, मैं दो करोड़, पांच करोड़, आठ करोड़ दे सकता हूं क्या? ये सारे के सारे, जो पैसे देने वाले बड़े-बड़े दिग्गज लोग हैं, कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है। फिर, अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है, उसके बाद बड़े-बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100 परसेंट सलेक्शन, यह है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहां करो, तब तो जाकर के इसको रोक सकोगे, बाकी इससे केवल मन संतुष्ट करने का काम करो तो यह राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा।

जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े मां-बाप को भूखा मारकर पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है और रोते हुए लौटता है, क्या हमें दु:ख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को बेच दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं आज़ जो पिछले आठ साल में नौकरी में लगे हैं न उन सबका भी पोस्टमार्टम करवाओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात-दिन पढ़ता है, भूखा-प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है लेकिन जब उसका सलेक्शन नहीं होता है तो जहर खाकर मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को लाकर के दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून बना दिया। इस कानून से कुछ भी नहीं होगा, मैं आज आपको कह रहा हूं। यह जो आपने नये प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि क्या होगा, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पानी पिला दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने उस दिन भी पूछा था। मैंने कहा कि ये शिक्षा संकुल पर है, जिन लोगों को ड्यूटी पर लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है, जिसके कारण से पेपर काट करके निकाल लिया? यह तो ठीक है भाग्य हमारा अच्छा था कि सवाईमाधोपुर की घटना खुल गयी और एसओजी के हाथ में कुछ केस लग गया। अगर वह केस नहीं लगता तो आज आपकी सारी नौकरियों पर इन सब बड़े-बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपने घर लौट कर जाता। क्या दुर्भाग्य है और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सख्त बना दिया, इसलिए अपराध रुक जाएगा, नहीं, सिस्टम को बदलना होगा। यह परीक्षा का सिस्टम चैंज करना होगा। मैं सोचता हूं कि क्या हम इतने अक्लमंद बैठे हैं, क्या इस व्यवस्था को चैंज नहीं कर सकते, क्या एक ही पेपर सारे राजस्थान में बीस लाख बच्चों को दिया जाये, क्या इसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता? इसका अल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परीक्षा को टुकड़े-टुकडों में कैसे कर सकते हैं। जिले के अनुसार हम एक नहीं पच्चीस पेपर बना सकते हैं। कौन से सेन्टर पर कौन-सा पेपर जायेगा, कोई तय नहीं करेगा कि कौन-सा जायेगा और हम जो इच्छा होगी उस सेन्टर पर पेपर भेजेंगे और यह जितने भी प्राइवेट कालेजों में आपने सेन्टर बना रखे हैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इनको बंद करो। इनको तुरन्त बंद करिये एक आर्डर से। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं और सरकारी नौकर ही एग्जामिनर बनेगा और एग्जामिनेशन करायेगा, तब तो आप इसको बचा पाओगे। बाकी आप और मैं कितने भी कानून में बदलाव कर दें, आपका वह जांच करेगा, आपका वह अधिकारी आयेगा। आपने कहा कि सेशन जज के नीचे नियुक्ति नहीं होगी, इसका अलग से कोर्ट होगा, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन जो आपने डाले हैं, वे स्वागत योग्य हैं, स्वागत करता हूं मैं, पर इन प्रोविजन्स को लागू तो आप और मैं ही करेंगे, कौन करेगा, जब हम ही ठीक नहीं हैं तो प्रोविजन्स क्या रोयेंगे अन्दर बैठे-बैठे? जब तक हमारा दिल और दिमाग ठीक नहीं होगा न तब तक इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमने शिक्षा के मन्दिर को भ्रष्टाचार की भट्टी में जला कर खाक कर दिया, दुर्भाग्य है हमारा। जहां से कोई आशा की किरण दिखती थी उस गरीब को कि चलो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब वह निराशा में आ गया। उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है।

इस कारण से मैं सोचता हूं कि आप जिस भावना से लाये हो, मैं आपकी भावना की इज्जत करता हूं, लेकिन केवल आपकी भावना ही इन बेईमानों को नहीं रोक सकेगी, इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरन्त उस पर ध्यान करना चाहिये। कानून 302 का बना हुआ है, क्या मर्डर रुक गये? आप भी जानते हो रोज पोक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास हो रहा है, क्या व्यभिचार रुक गया है? अपराधी को दण्ड मिल सकता है, अपराध बन्द नहीं हो सकता है। अपराध बन्द करने के लिए जो सिस्टम होता है उस सिस्टम पर चलो। इस देश में भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था, केवल और केवल एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाकर देश के प्रधान मंत्री ने सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला, बेईमानों को चोट लगेगी ही लगेगी। उस तरफ अपना दिमाग लगाओ कि इस बीमारी का इलाज कहां है और कैसे हो, इस बारे में चिन्ता करने की कोशिश करो।

मैं कई बार सीकर और इधर गया तो मैं सोचता हूं कि कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग देखें न तो टोपी गिर जाये नीचे से। क्या चीज है, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसायी है और जो बाकी संस्थाएं हैं, उसका कारण यह है कि हमने अपनी दुकान को इतनी कमजोर कर दी है कि जहां बच्चे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के, हम जैसे गरीब पढ़ करके यहां आ गये, अब वे रास्ते गये और इस कारण से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है इस बीमारी का इलाज चाहिए बच्चे को, कानून से नहीं होगा, कानून के अलावा होगा और वह आप करो। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पर पक्ष और विपक्ष ने अपने विचार रखे और लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि सख्त कानून बने। भावुक होकर नेता, प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे और मैं उनकी बात से सहमत भी हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो हम सदन में बैठे हैं अगर हम यह ठान लें कि ये परीक्षाएं हम शत-प्रतिशत ईमानदारी से करायेंगे तो निश्चित तौर पर परीक्षाएं होंगी। हममें से ही किसी का कांस्टिट्यूएंसी का, किसी के आस-पास का, किसी का रिश्तेदार जब होता तो हम भी इधर-उधर हाथ-पैर मारते।

सबसे पहले तो कानून बनाने की बात पर मैं कहता हूं कि कानून सख्त से सख्त बनाने का प्रयास किया है, जिसकी जरूरत महसूस हुई। इस प्रकरण का जिस दिन, पहले दिन एसओजी को पता लगा तो मैं मुख्य मंत्री निवास पर किसी काम से गया हुआ था और मुख्यमंत्री जी के साथ मैं बीस साल से काम कर रहा हूं, जब एसओजी से ऐसी खबर आयी कि कोई सवाई माधोपुर और इधर से कुछ इस तरीके का है, तो उनके चेहरे पर इतना गुस्सा था और सख्ती से उन्होंने कहा कि इसकी गहराई से जांच करो और जो भी मुलजिम हैं इसके अन्दर उनको कटघरे में लाओ। जब से यह सदन चला है, रीट की लगातार जो बात आ रही है, मैं इन सब में देख रहा था कि जो कानून है तीन साल वाला, जो मुलजिम अरेस्ट हुए उनको जमानत मिल गयी। सदन में धारीवाल जी ने कहा कि इसके लिए अच्छा कानून लायेंगे, आप सबने मेजें थपथपाई, सख्त कानून लायेंगे।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो बिल पेश किया इसमें विस्तार से परीक्षार्थियों के द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर तीन साल तक का कारावास तथा 2 हजार रुपये तक का जुर्माना, यह 1992 वाले में था, जो साहब ने पढ़ दिया। मेरे ख्याल में अब जो इससे आगे का है, 2022 वाला, मैं बोल देता हूं। महोदय, प्रस्तुत विधेयक में दण्डात्मक

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

प्रावधान मुख्य रूप से इस प्रकार हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के लिए दण्डात्मक प्रावधान के अन्तर्गत तीन साल तक का कारावास, न्यूनतम एक लाख रुपये का अर्थ दण्ड एवं सार्वजनिक परीक्षा से दो वर्ष के लिए वंचित किया जाना सम्मिलित है। परीक्षा एजेंसी के साथ मिलीभगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी सहित कोई भी व्यक्ति को पांच से दस वर्ष तक का कारावास एवं दस लाख से दस करोड़ रुपये तक का अर्थ दण्ड दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अपराध के आगमन से प्राप्त सम्पत्ति की जब्ती, कुर्की व राजसात करने के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं। इसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से चल या अचल सम्पत्ति को जब्त किया जा सकेगा। मैनेजमेंट या संस्था द्वारा अपराध करने, उस संस्था को सदैव के लिए बैन व दोषी पाये जाने पर परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई हेतु संस्था प्रबन्धन की सम्पत्ति की नीलामी की जायेगी। इस प्रकार के अपराध संज्ञेय और जमानती एवं नोन कम्पाउंडेबल होंगे। अपराधों के ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट का प्रावधान किया गया है तथा अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

विपक्ष के साथियों ने बहुत आरोप लगाये, बहुत सी बातें कीं। 2013 से 2018 में 12 परीक्षाओं में से 5 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आरएएस परीक्षा 2013, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018, पेपर लीक की वजह से परीक्षा निरस्त की गई। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा, 2013 जो 02.08.2015 को हुई, 03.06.2016 को परीक्षा निरस्त हुई।

(समय: 16.30 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

क्लर्क ग्रेड द्वितीय का पेपर लीक हुआ, 11.01.2014 को परीक्षा हुई, दिसम्बर, 2015 को यह परीक्षा निरस्त की गई। जेल प्रहरी परीक्षा 2016, 24.01.2016 को परीक्षा निरस्त की गई। कुल 12 परीक्षाएं आपके टाइम में हुईं, जिसमें 5 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। 2019 से 2022 तक लगभग 80 परीक्षाएं हुईं हैं, जिसमें 2 में पेपर लीक हुए, एक में कोई धोखाधड़ी का था, इस तरह तीन परीक्षाएं निरस्त हुईं हैं। (व्यवधान) राठौड़ साहब, थोड़ी सहनशक्ति बढ़ाओ।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

इसी तरह पूरे देश में अलग-अलग जगह पेपर लीक हुए। केन्द्र सरकार की यूजीसी नेट, 2021 की परीक्षा, केन्द्र सरकार की एसएससी सीजीएस, 2017, केन्द्र सरकार की अखिल भारतीय स्तर थल सेना के लिए सामान्य ड्यूटी सैनिक भर्ती 2021, उत्तर प्रदेश, वगैरह, वगैरह। पूरे देश में परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। यह आरोप लगाना कि जो कुछ पेपर लीक हुआ या कुछ हुआ यह हमारे तीन साल के कार्यकाल में ही हुआ, हमें इन आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठना होगा, क्योंकि यह समाज के लिए एक कलंक है।

जो कटारिया साहब की पीड़ा है, पिछली बार हम विपक्ष में बैठे थे तब यह पेपर लीक हुए, आपने तो जांच एसओजी को भी नहीं दी, उसमें लोकल पुलिस से जांच हुई है। इसके ऊपर हमें और आपको, आने वाली पीढ़ी के लिए मिलकर, सोचकर जो यह कानून बनाया है, इसके सिवाय हमें अपनी मोरल ड्यूटी भी आत्मा से बनानी पड़ेगी। इस कानून को लागू करके, जैसे तीन साल की थी, तुरंत जमानत हो गई, कुछ सख्ती इससे जरूर आयेगी। ऐसा नहीं है कि यह कोई आखिरी कानून हो गया। अगर इसमें समय के साथ और कोई उपाय आयेंगे, कोई चीजें आयेंगी, तो इसमें और धाराएं जुड़ जायेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विपक्ष से भी कहूंगा कि आपने बहुत सी चीजों में अलग-अलग सुझाव दिये। राजेन्द्र राठौड़ जी ने कहा कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी, यह आलरेडी हमने 2022 की धारा 9 में निर्धारित की है। संयम लोढ़ा जी ने कहा, उसके लिए धारा 10 (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि उस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति संस्था में प्रबंध तंत्र में दोषी होगा। ये सारी चीजें हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें संवेदनशील हैं। हम एजुकेशन के लिए अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी ला रहे हैं, जिसमें ये सारी चीजें होंगी। आपने कोचिंग के लिए कहा, सेंटर के लिए कहा, प्राइवेट कालेज, यूनिवर्सिटी का कहा, उसको एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर, मैं कहना चाहूंगा कि अब आईटी का जमाना है, उससे जोड़कर इसको हम बहुत आगे ले जाकर शिक्षा के स्तर को भी सुधारेंगे और परीक्षाओं में हम और ज्यादा सख्ती के साथ काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 20, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 20 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 20 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज जी।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत

(श्री पुखराज)

महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में जो अभी रीट की परीक्षा हुई और रीट में चीट की पुकार पूरे राजस्थान में हुई। इसमें जो गठजोड़ सामने आया है, जो नेटवर्क सामने आया है, उसमें प्रदेश के अधिकारी, प्राइवेट कालेज के संचालक, कोचिंग सेंटर के संचालक और इन सभी लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क राजस्थान में बन गया, जो हर परीक्षा का पेपर आउट कर रहा है, परीक्षा का पेपर लीक करके नकल करवाने का काम कर रहा है। अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इसके बारे में चिंता जाहिर की। मैं भी यह कहना चाहूंगा कि इतने बड़े नेटवर्क को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून लाना चाहिये और उस पर प्रभावी मॉनिटरिंग होनी चाहिये, बिना मॉनिटरिंग के, बिना इच्छाशक्ति के लाया हुआ कानून कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसे लागू कराने के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता है और मॉनिटरिंग भी जरूरी है। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो कानून आ रहा है, इस कानून में अगर सरकार चाहे तो इन प्राइवेट संस्थाओं को भी कंट्रोल करने के लिए, आंध्र प्रदेश ने 1997 में ही कानून बना दिया था। 1997 में उन्होंने इस कानून में प्रोविजन डाला, हम आज फेस कर रहे हैं, उन्होंने सेक्शन 7 में डाला है, Prevention of inducement for admission - No person connected with an educational institution or tutorial institution shall offer or promise any guarantee of performance or success at a public examination in advance as an inducement and admission into such educational institution or tutorial institution. मतलब उन्होंने यह कहा कि इस प्रकार से जो यह देते हैं कि हम आपको 100 परसेंट करायेंगे, इस प्रकार का देते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिये। इसमें 7(ए) में लिखा है Prevention of publication of false for misleading information. कई बार बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर कि हमारे बच्चे फर्स्ट रैंक पर आये, सैकण्ड रैंक पर आये, इस प्रकार के बोर्ड लगाकर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो इस प्रकार की फर्जी संस्थाएं हैं, उनको भी अगर इस कानून के तहत, जो कि आपने इसमें नहीं डाला, आपने बाकी सब सजाएं बढ़ायी हैं, सख्त करने का प्रयास किया, अगर इन दो को और डाल दें तो मैं सोचता हूं कि जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस प्रकार का लालच और लोभ देकर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर रहे हैं, जो इन धन्धे में इन्वाल्व हो रहे हैं, इसको चैक करने की आपकी मंशा हो तो सरकारी संशोधन लाकर भी आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री राजेन्द्र यादव।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जनमत जानने के लिए जो सदस्य पहले वाले विधेयक पर नहीं बोले हैं, उन्हें प्राथमिकता दें तो ठीक रहेगा।

श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 की चर्चा पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धारा 8 में संशोधन प्रस्तावित है। इस संशोधन के बाद राज्य सरकार राज-पत्र की अधिसूचना के द्वारा किसी भी अन्य सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में शामिल कर सकेगी, जिसके सम्बन्ध में वह इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करना आवश्यक समझे।

श्री अध्यक्ष: जिनको बात करनी है, वे लॉबी में जाएं।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सरकार जिस ढंग से विधेयक और संशोधन ला रही है, मैं सोचता हूं कि सरकार की भावना अच्छी हो सकती है। पिछले दो दिन में जो सारे विधेयक आये हैं, मैं उन सब विधेयक की प्रशंसा करता हूं पर आखिर वह लागू करने वाली एजेंसी कौन है? यानी रीट के जो पेपर लीक हुए या जिसने भी किया, मैं तो सोचता हूं कि न तो किसी कांग्रेस वाले ने किया, न भाजपा वाले ने किया, ये जो दलाल हैं, उन्होंने किया। दलाली पर रोक कैसे लगेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिर्जा गालिब का शेर है-

"उम्र भर हम यही गलती करते रहे,
धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे।"

(समय: 16.43 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, रीट की परीक्षा हुई। पेपर घोटाले में जिस प्रकार से लोगों को पकड़ा। मैं पुन: निवेदन करता हूं कि सरकार की मंशा अच्छी है। कल जो विधेयक आये, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। सरकार की मंशा अच्छी है, परन्तु एजेंसी कौन है? लागू करने वाली एजेंसी या तंत्र आपका सरकारी तंत्र है, जब तक वह तंत्र दुरुस्त नहीं होगा। आप सवेरे समाचार-पत्र पढ़ते हैं, हम सब समाचार-पत्रों से जुड़े हुए हैं। समाचार-पत्र जैसे खोलते हैं उसमें बड़े-बड़े विज्ञापन एक-एक, दो-दो पेज के विज्ञापन देखते हैं। आखिर विज्ञापन कैसे छपते हैं, यह हम सबको पता है कि परीक्षा में पास होने की गारन्टी। पास होने की गारन्टी कौन दे सकता है? माननीय सभापति महोदय, ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगानी चाहिये।

इस संशोधन में जुर्माना और सज़ा बढ़ाने का प्रावधान है। मेरी राय में यह समाधान नहीं है क्योंकि चोर चोरी कर लेगा और चोरी करने के बाद उसको पता है कि जुर्माना होगा। एक पिक्चर में मैंने एक सीन देखा है। उस पिक्चर के सीन में यह था कि रेलवे की जंजीर खींचते हैं तो ढाई सौ रुपये का जुर्माना होता है। उसकी सवारी बैठ गयी। पुलिस आयी, जंजीर किसने खींची? मैंने खींची, ढाई सौ रुपये देकर रवाना हो गया। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक यह तंत्र ठीक नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव करने वाली जो एजेंसी है उस एजेंसी को जब तक सज़ा का प्रावधान, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं। मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

चुनाव में एक पार्टी ने घोषणा की कि जो पिछली सरकार के परीक्षा के नियम लागू हो रखे हैं, हम उसको बदल देंगे। यानी कि परीक्षा में जो सख्ती की है, उसको बदल देंगे। एक पार्टी ने घोषणा की थी। मैं सोचता हूं कि आप कितने ही कानून बना लो, संशोधन कर लो लेकिन जब पहरेदार ही चोर हो जाये, आप जिनके जिम्मे व्यवस्था कर रहे हो, वह व्यवस्था वाले ठीक से न करें, जैसे यों कहें कि सूरज ही अंधेरे से दोस्ती कर रहा हो तो क्या करेंगे? उसका अंजाम क्या होगा? आप किसी स्टडी सर्किल और कोचिंग सेन्टरों के दायरे से बाहर नहीं आयेंगे तब तक कितने ही प्रावधान कर लो। बिल्लियों को दूध की रखवाली के लिए भेजेंगे तो यही स्थिति बनेगी।

मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं। मैं तीसरी बार निवेदन कर रहा हूं सदन में जो लोग बैठे हैं, उनका कहीं दोष नहीं है परन्तु जो एजेंसी है, उस पर जब तक सख्ती नहीं करेंगे। कानून पहला बना है, 1992 का है, क्या पहले बने हुए कानूनों में सज़ा के प्रावधान नहीं थे? अगर थे तो प्रभावी ढंग से लागू कितनी बार हुए? मैंने देखा कि 2012 में मेडिकल की परीक्षा हुई, 27 लड़के ऐसे थे उनकी जगह दूसरे लड़कों ने परीक्षा दे दी। मैं सोचता हूं कि जो दो-चार पकड़ में आये हैं, वे डाक्टर नहीं बने, बाकी सारे डाक्टर बन गये हैं। सारे के सारे डाक्टर बन गये हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जो लागू करने वाला तंत्र है उस पर आप सख्ती नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस विधेयक को रोककर सख्ती करें। लोग कानून और सख्ती से डरते हैं। कानून का जब डंडा चलता है, वह बिना निर्भीक भाव से चलता है। निर्भीक भाव से चलेगा तो निश्चित रूप से लोगों में भय व्याप्त होगा और बच्चों का करियर खराब नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस विधेयक को विदड्रा करे और इसे स्थगित किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)। श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। विधि शास्त्र की यह मान्यता है कि विधियां सरल, स्पष्ट

(श्रीमती संतोष)
एवं सीमित मात्रा में होनी चाहिये, तभी समाज एवं विधियों अपेक्षित प्रभाव रहेगा।

वर्ष 1992 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए विधेयक पारित किया गया था। सरकार इस विधेयक में संशोधन इस आधार पर प्रस्तावित कर रही है कि विधेयक की धारा 8 में सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूची में किसी सार्वजनिक परीक्षा को सम्मिलित तो कर सकती है, किन्तु अनुसूची से वह परीक्षा व किसी भी परीक्षा को बाहर नहीं निकाल सकती, किन्तु यह मान्यता ही गलत धारणाओं पर आधारित है। विधि शास्त्र में स्पष्ट रूप से माना जाता है कि सम्मिलित करने के अधिकार में निकालने का अधिकार भी शामिल है। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में इस सिद्धान्त को मान्यता दी गयी है।

सभापति महोदय, राजकीय नियुक्तियों की भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग के रोकथाम के लिए सरकार अलग से कानून बना रही है। क्या 1992 के कानून में संशोधन करके इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता था? 1992 में सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं के लिए एक अलग से अध्याय जोड़कर भी इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती थी। अधिनियमों की बहुलता अपने आप में एक गलत परम्परा है। मेरे विचार में 1992 के अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभावी कानूनी हो, उसकी प्रभावी मानिटरिंग जरूरी है, तभी कानून बनाने का कोई औचित्य होगा। इस बिल के बाद क्या गारन्टी है कि नकल गिरोह को रोका जा सकता है?

अभी जो पेपर लीक का मामला हुआ था, राजस्थान के जो बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ था, यह सब अपने सामने है। हमारे नेता, प्रतिपक्ष जी ने जो पीड़ा व्यक्त की है, वह वाजिब है। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो बच्चा तैयारी करता है, जो मेहनत करता है, अपना सब कुछ लगाकर गरीब परिवार उस बच्चे को पढ़ाता है, वह इस आशा में कि इस बार मेरा बच्चा लगेगा और मेरे परिवार की समस्याएं खतम हो जायेंगी। जब यह पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा स्थगित कर दी गयी तो उस परिवार पर क्या बीतती है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बेरोजगार

(श्रीमती संतोष)

युवा हैं, उनकी पीड़ा को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस प्रकार से बिल लाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं इस पीड़ा को अच्छी तरह समझती हूं क्योंकि मैंने स्वयं ने 5-6 साल तैयारी की है। मैं जानती हूं कि जब हम तैयारी करते हैं तो किस प्रकार की स्थिति हमारी होती है? किस प्रकार से हम जाग-जाग कर मेहनत करते हैं और मेहनत करने वाला जब पीछे रह जाता है तो उसके साथ क्या बीतती है? यही आज राजस्थान के युवाओं के साथ हुआ है। इस प्रकार से खाली बिल लाने से कुछ भी नहीं होगा। इस बिल को सख्ती से लागू करें। इसमें दंडात्मक तरीके से, सही तरीके से कानून को लागू करके जो गिरोह है, उस तक पहुंचा जाये और उनको सज़ा हो, तभी इस बिल को लाने का औचित्य होगा। इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल जी, झाडोल।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय जी, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022, आज काफी वक्ताओं ने इस विधेयक के पक्ष में और विधेयक के विरोध में अपनी बात कही। मुझे बहुत कुछ ज्यादा कहना नहीं है। हमारे आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष ने एक भावना व्यक्त की, बिलकुल सत्य है। मैं उस गरीब परिवार से आता हूं, उस जनजाति क्षेत्र से आता हूं। असली पीड़ा तो गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है कि पीड़ा क्या होती है?

सभापति महोदय जी, गांव का गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है और उनकी अपेक्षा रहती है कि मेरा बच्चा पढ़-लिख जायेगा तो कहीं सरकारी नौकरी में लगेगा और कम से कम परिवार को ऊपर उठायेगा। स्थिति यह होती है कि वह अपनी जमीन गिरवी रखता है और जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन बेचता भी है। इस प्रकार का माहौल होता है। स्वाभाविक है प्रतिपक्ष के नेता का भावुक होना, क्योंकि उन बच्चों की आंखों में आंसू होता है। इतनी मेहनत करने के बाद में अंतिम किनारे पर जाकर, पूरी तैयारी करता है, पूरी मेहनत करके अपना पैसा, धन-दौलत लगाकर कोचिंग करता है और कोचिंग करने के बाद में अंत में परिणाम आता है कि परीक्षा निरस्त हुई और किस कारण से निरस्त हुई, पेपर आउट हुआ। सभापति महोदय जी, जब पेपर आउट हुआ और इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं, जब पेपर आउट हुए अभी

(श्री बाबुलाल)

तो जितने लोग पकड़े गये, तो क्या सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने उन लोगों से पूछताछ नहीं की क्या? अगर पूछताछ की तो अंतिम व्यक्ति कौन है? इसके सरगना की जानकारी एस.ओ.जी. को नहीं है क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर बोलिए। सैकण्ड बिल है, इस पर बोलिए। इसको टेकअप कर रखा है, इस पर बोलिये।

श्री बाबुलाल (झाडोल): सभापति महोदय, मैं बिल पर ही बोलूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है लेकिन मेरी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि इस प्रकार का जो होता है, वह ठीक नहीं है। आपने, जो संशोधन लाया है कि अधिनियम संख्या 27 की धारा 8 में एक ही संशोधन है मात्र और आप क्या-क्या करेंगे, वह तो सारे पूर्व वक्ताओं ने बता ही दिया।

श्री सभापति: उसी पर बोलना है आज।

श्री बाबुलाल (झाडोल): मैं इसलिये मेरी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि इसको रोकने के लिए केवल और केवल सज़ा देकर या सज़ा का प्रावधान करके हम इतिश्री कर लेंगे, वह ठीक नहीं है। इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं? वह हमें करना चाहिये। इसलिये इस बिल के सम्बन्ध में मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, 6 महीने के लिए उस प्रस्ताव को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अमृतलाल मीणा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाकर 5.30 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 5.30 बजे तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022, पूर्व वक्ताओं ने बहुत पीड़ा, दर्द की बात की। किस प्रकार से बालक पढ़ता है? कितनी तैयारी करता है? कितने बजे उठता है? इसके बाद अगर पेपर लीक हो जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जब तक सरकार या इस आला कानून को लागू करने वाले अपने मन में नहीं ठान लेंगे तब तक ये विधेयक में संशोधन होना भी बेकार है।

मेरा यही कहना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वह परिवार जो बच्चा-बच्ची को पढ़ाता है, बच्चे से ज्यादा माता-पिता मेहनत करते हैं। अपनी जिन्दगी की सारी कमाई को उस बच्चे की पढ़ाई में लगा देते हैं और उसके बाद इस प्रकार पेपर आउट हो जाना। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था अभी, हमने अभी तक तीन सालों में 80 से ज्यादा परीक्षा करवा ली लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इन बालकों का हुआ है। 26 लाख बालक परीक्षा में बैठना, उनसे जुड़े हुए एक करोड़ से ज्यादा परिवार, सभापति महोदय, आपके जमाने में आपने और हमने जो परीक्षा दी है, नकल करना, इस प्रकार के काम कराना पाप समझते थे। वह समय भी था, वह जमाना भी था और आज स्टडी सर्किल का जो नाम विषय आया है..

श्री सभापति: बिल पर बोलिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सारे प्राइवेट आदमी थे। उसमें कोई सरकार का जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी नहीं था। हमारी व्यवस्था है पुलिस चौकियों में, पुलिस थानों में पेपर रखने की, जिम्मेदार संस्थान में रखने की। लेकिन जो हुआ है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे नेता, प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों ने जो राय दी है, सजेशन दिया है, सरकार सख्ती से लगाये। दस साल की सज़ा भी कहा है आपने, दस करोड़ का जुर्माना भी कहा है। मैं इसे जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए परिचालित करने के लिए कहता हूं। जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022

(श्री संदीप शर्मा)

को लेकर आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। जिस तरीके से माननीय प्रतिपक्ष के नेता आज सदन में साल भर से हो रही परीक्षाओं की अनियमितताओं, रीट मामले की नकल को लेकर जो व्यथित और पीड़ित रूप से उनका हृदय क्रंदन कर रहा था, वे रो रहे थे, मेरा कहना है, माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता का क्रंदन नहीं था, यह पूरे राजस्थान की आवाज थी, ये नौजवानों की रुलाई थी जो आज उनके द्वारा फूटी है।

आज हम परीक्षाओं में व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे, युवाओं के हितों पर हम कुठाराघात कर रहे हैं। सरकार एक नया संशोधित बिल लायी है, जैसा हमारे प्रतिपक्ष के नेता बता रहे थे कि राजस्थान अधिनियम, 1992 पूर्व से ही प्रभावी था परंतु वर्तमान में आप लोग इसकी उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर पाये। ये ही बिल चलता रहता और इसमें ऐसा कोई सख्त प्रावधान लेकर आते, परंतु अब नया बिल आया है। नये बिल में भी, मैं सिर्फ बिल पर ही बात करूंगा, इस नये बिल में भी हमने कई सारी त्रुटियां और खामियां छोड़ी हैं। 16(1) अवसर की समानता के अंतर्गत पदों के चयन की निष्पक्षता व उचित प्रक्रिया का संवैधानिक उपबंध करता है और इसी प्रकार अनुच्छेद 14 भी इस निष्पक्ष प्रक्रिया पर बल देता है। 1992 का अधिनियम परीक्षाओं में नकल रोकने में प्रभावी नहीं हुआ। यह हम सब जानते हैं और आपने भी इस चीज को देखा और आपको आवश्यकता पड़ी कि आप इस नये बिल को लायें। लेकिन हम जो नया बिल लाये है, इसमें वर्णित उपबंधों के अनुसार इस बिल को

(समय: 17.00 बजे)

लाने का उद्देश्य कड़ाई के साथ नकल के अपराधियों को रोकने का प्रयास है। मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे नकल माफियाओं से निपटने के लिए जो कानून बनाया, उस अधिनियम के प्रभावशाली उपबंधों का समावेश अगर हम इस विधेयक में करते तो निश्चित रूप से हमारा विधेयक और अधिक मजबूत बनता। इस विधेयक में अपराधियों की कुर्की के उपबंध भी किये हैं। साथ ही इसमें परीक्षा प्राधिकारी की विधेयक की अनुसूची 1 में तथा सार्वजनिक परीक्षाओं की अनुसूची 2 में विनियमित किया गया है। विधेयक की अनुसूची 2 में और विस्तार की आवश्यकता है, ऐसा मानना है।

उक्त विधेयक की धारा 10 में शास्तियां अर्थात् दण्ड का प्रावधान किया है। इस प्रकार धारा 10-2 में धारा 2 (च) (ii) में परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाये जाने पर दण्ड का प्रावधान भी किया गया है। सभापति महोदय, धारा 2 (च) (ii) में परिभाषित अपराध बहुत ही गम्भीर प्रकृति का

(श्री संदीप शर्मा)

अपराध है। उक्त अपराध से पूरी परीक्षा प्रभावित हो रही है। इसमें लाखों युवाओं का भविष्य खराब होता है। अत: मेरा सुझाव है कि धारा 2 (च) (ii) में वर्णित अपराध में जो शास्ति की अधिकतम राशि को और बढ़ाया जाये ताकि जो अपराधी लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें कठोर संदेश देने में कामयाब हो सकें। धारा 2 में न्यायालय द्वारा विशेष कारणों के लिए पांच वर्ष से कम सज़ा का विशेषाधिकार वाला उपबंध इसमें लगाया है, उसको भी हटाकर सज़ा को बढ़ाने का काम इस विधेयक में करना चाहिये था।

महोदय, इस विधेयक की धारा 3 से लेकर 9 तक में भी विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले अपराधों को इसमें परिभाषित किया है, परन्तु विधेयक में कहीं भी धारा 3 से 9 तक में परिभाषित अपराधों के लिए कोई स्पेसिफिक दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको सुनिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में, परिभाषित अपराध यदि किया जाता है तो उसका दण्ड क्या होगा। न ही यह उल्लेखित है कि दण्ड की दृष्टि से उपरोक्त धाराएं, 3 से 9 तक धारा 2 (च) (i) में कवर होगी या धारा 2 (च) (ii) में कवर होगी, यह बिलकुल अस्पष्ट है, इसलिये इस तथ्य को विधेयक में स्पष्ट रूप से उपबंधित किये जाने की आवश्यकता थी, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

महोदय, विधेयक की धारा 11 भी व्यावहारिक नहीं है। उसकी वर्णित, परीक्षार्थियों को दोषी सिद्ध होने पर सार्वजनिक परीक्षा देने से दो वर्ष के लिए प्रतिबन्धित किया जायेगा। मेरा निवेदन था कि परीक्षार्थी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके विचार और निर्णय आने में जो समय लगता है, जो समय व्यतीत होता है उससे परीक्षार्थी का सार्वजनिक परीक्षा से वंचित किये जाने का, उसको निर्णय आने तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे इंतजार से इस कानून का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अत: मेरा सुझाव है कि धारा 11 में संशोधन किया जाना चाहिये था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सॉरी टू डिस्टर्ब।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बिल पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: आप इस पर बोल रहे हो। इस पर बोलिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक-दो धाराएं और हैं।

श्री सभापति: पहले वाला बिल तो पारित हो चुका। माननीय सदस्य, पहले मुझे सुनिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जी।

श्री सभापति: पहले वाला बिल तो पारित हो चुका। सदन ने पारित कर दिया।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यही मैं बता रहा हूं कि किया जाना चाहिये था। सभापति महोदय, जो गलत हुआ है, वह चीज तो हम कह सकते हैं।

श्री सभापति: आप इस बिल पर बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह तो हो गया।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): लेकिन गलत हुआ न, भाई साहब।

श्री सभापति: चलो, आप कंक्लूड कीजिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जो भी हुआ, अगर इनमें यह चीजें, धाराएं लगा दी जातीं तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस बिल से मिलता।

श्री सभापति: थैंक यू वैरी मच।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इसमें माफिया संगठित रूप से, हमारे राजस्थान की बदनामी पूरे देश में कर रहा है, उससे हमारी बचत होती। मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल जी शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, विषय यह है कि संशोधन की अभी आवश्यकता क्यों हुई? अभी हाल ही रीट परीक्षा में जो घोटाला व घालमेल हुआ है, उससे प्रदेश की जनता, खासकर बेरोजगार युवा वर्ग में सरकारी प्रशासन तंत्र के प्रति विश्वास डगमगाया है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। राज्य में आम जनता व खासकर युवा वर्ग में सरकार व प्रशासन तंत्र के प्रति पनपा अविश्वास भविष्य में खतरे का संकेत है। सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिये।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, केवल संशोधन करने से, चिन्ता व्यक्त करने से, कानून बनाने से स्थिति नहीं बदलेगी। कानून लागू करने वाले प्रशासनिक अमले पर अगर सरकार की पकड़ न हो, कितने ही कानून बना लो और संशोधन कर लो, उसका क्रियान्वयन ठीक नहीं होगा, तब तक यह विधेयक व संशोधन जिल्द करवाकर, अलमारी में रखे जाएंगे, सजाए जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी बार-बार गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। देश में प्रतिष्ठित राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट की परीक्षा आयोजित करे और बोर्ड अध्यक्ष तक की भूमिका संदेह में आ जाये, इससे ज्यादा शर्म का विषय राजस्थान के लिए क्या हो सकता है।

राज्य में शासक दल के एक वरिष्ठ नेता को सार्वजनिक बयान देना पड़े। इस रीट परीक्षा में मेरा कोई रिश्तेदार पास नहीं हुआ, आखिर यह वक्तव्य क्यों देना पड़ा? यह स्थिति क्यों बनी? यह भी विचारणीय है। बेरोजगारों की आशाओं पर रीट परीक्षा में कुठाराघात हुआ है। रीट परीक्षा निरस्त हो गयी है। कुछ कतिपय लोग सोशल मीडिया पर मुख्य मंत्री जी को रीट परीक्षा निरस्त करने पर बधाई दे रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज। मैं निवेदन कर रहा हूं कि पहले वाला विधेयक संख्या 6 था, वह इस सदन ने पारित कर दिया है। अब यह दूसरा विधेयक है 2022 का, विधेयक संख्या 9, आपको इस पर बोलना है, आप पहले वाले पर बोल रहे हो।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): जी। मेरा निवेदन है, सरकार कानून में और कोई संशोधन करने से पहले कानून के मौजूदा प्रावधानों व रीट परीक्षा घोटाले में लिप्त लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित कर बेरोज़गारों में विश्वास हासिल करे। जनता सब जान चुकी है। समय रहते सरकार को चेत जाना चहिये।

मैं गांव से बिलोंग करता हूं। ग्रामीण का बच्चा कैसे पढ़ाई करता है कैसे गांव में शिक्षा प्राप्त करता है, बीएड और एसटीसी कैसे पढ़ता है? उसको जमीन बेचनी पड़ती है या उसको गिरवी रखनी पड़ती है या किसी से उधार लेकर वह पढ़ता है। उसके बाद जो परीक्षा होती है, उसके लिए वह कोचिंग करता है। शहर में 6-6 महीने तक जाकर कोचिंग करता है। उसके बाद उसको क्या मिलता है? निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि कानून बनाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह कानून तो पहले 1992 में भी था। अगर यह कानून नया काम करता तो पुराने कानून का क्या औचित्य है? यह कानून बहुत ज्यादा बनते रहते हैं परन्तु प्रशासन का अमला व संवेदनशील सरकार उसमें कोई कार्रवाई अगर मन से करेगी तो ही आने वाले समय में उसमें अंकुश लगेगा। बाकी तो कोई लगने वाला नहीं। अपन यहां बातें करते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। जो युवा वर्ग गांव में रहता है, उनकी जो स्थिति है, आने वाले समय में वह अपने साथ क्या करेगा, यह सोचने का विषय है।

मैं आप लोगों से एक बार पुन: निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसके लिए यह सरकार अपनी आंखें खोले। आंखें खोलकर उसके ऊपर सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से पूरा बन्दोबस्त किया जाये, उसके बाद ही परीक्षा कराये। बाकी परीक्षा कराने में और जनता का पैसा बरबाद करने में क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब शासन पूरा कंट्रोल में होगा। अपन इस सदन में बैठे हैं, उन पर पूरी ताकत से दबाव रखेंगे, अगर अपन यहां बैठने वाले भी उसमें लचीलापन रखेंगे, अपना फायदा देखेंगे, तब तो परीक्षा करवाने में कोई सार नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, आगे जो भी परीक्षाएं होनी हैं, जून-जुलाई में जो परीक्षाएं होनी हैं, उसके बारे में आप सोचकर ही परीक्षा कराएं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): पूरे क्षेत्र की जनता, राजस्थान के युवा फिर निराश होंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। यह संशोधन विधेयक लाये हैं, आपने चर्चा में पास तो करा ही दिया, अब 6 महीने के जनमत की क्या बात है, परन्तु आइंदा से जो भी परीक्षाएं हों, उसमें हम सब को मिलकर ध्यान देना है।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): राजस्थान के युवा, छात्रों के भविष्य पर पूरा ध्यान देना है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री सुरेश टाक।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, यह गलती हमारी नहीं है, यह दोनों बिल साथ आये हैं इसलिए कंफ्यूज हो गये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसा है कि जो नहीं बोले प्राथमिकता में पहले उनको बुलवा दिया, जो पिछले उस पर नहीं बोले थे। उसके बाद कुछ लोगों ने और बोलने की इच्छा व्यक्त की थी, जिनको इस पर ले लिया गया है। चार-पांच लोग और हैं, पांच-सात लोग और हैं लेकिन उनसे मेरा यह आग्रह है, सुनिये, माननीय सदस्य, सुनिये, जो रिपीट कर रहे हैं, पहले पर भी बोले और इस पर भी बोले, समय का थोड़ा-सा अभाव देखते हुए दो मिनट में, तीन मिनट में आप अपना समाप्त कर दें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा सदन का।

श्री सभापति: यह सभी लोगों के लिए है, खाली आपके लिए नहीं है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं समझ गया। ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं एक ही बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। सरकार यह संशोधन विधेयक लायी है, यह बहुत अच्छी बात है पर इसमें आप लोगों ने एक चीज तो जोड़ ली है कि सरकार ने परीक्षा में नकल में लिप्त होने के अपराध की श्रेणी में व्यक्ति, प्रबन्धन, संस्था सभी को न्यायालय द्वारा अगर दोष सिद्ध हो गया तो उनसे वसूली की जायेगी, पर उस छात्र का, उस युवा का क्या होगा जिसने यह परीक्षा दी, सरकार की सारी गाइडलाइन की पालना भी करी और उसके बाद पर्चा आउट हो गया और सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी? तो मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें उनके लिए भी यह प्रावधान रखा जाये कि उनको जो उनकी मेहनत है, एक साल, दो साल जो उस परीक्षा को पास करने के लिए जो मेहनत की है, जो पैसा खर्च किया है, कोचिंग सेंटर को फीस दी है, कैसे गहना बेचा है, घर बेचा

(श्री सुरेश टाक)

है या कुछ मजदूरी की है, उनका भी इसमें कोई न कोई प्रावधान रखा जाना चाहिए ताकि हमारे युवाओं को यह पता लगे कि हमारी सरकार वास्तव में चिंतित है और वास्तव में यह सही बात है कि यह संशोधन आया भी इसीलिए है, यह विधेयक आया भी इसीलिए है कि यह सरकार बिलकुल चिंतनशील है इस बात के लिए कि हम रोजगार दे लोगों को, हमारे युवाओं को और वे जो परीक्षा दे रहे हैं, उनमें अगर सफल होते हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिले। हम रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं, उनका भविष्य भी सुनिश्चित हो, यही बात कहकर मैं अपने जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री सभापति: थैंक यू। सुश्री दिव्याजी मदेरणा। सुश्री दिव्या मदेरणा, आपको नहीं बोलना?

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): जी, मैं नहीं बोल रही हूं।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 है, उसमें मूल रूप से सरकार यह संशोधन क्यों लेकर आयी है, यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है प्रथम पृष्ठ पर, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 में सरकार जो धारा 8 में यह संशोधन लेकर आयी है, उसमें विद्‌यमान अभिव्यक्ति 'आवश्यक समझे और' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति 'राज पत्र में प्रकाशित' से पूर्व, अभिव्यक्ति, 'किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची से अपवर्जित कर सकेगी और' अंत:स्थापित की जायेगी। यानी, मूल रूप से यह जो संशोधन सरकार लेकर आयी है 1992 की धारा 8 में उसके पीछे हेतु यह है कि जो एक शिड्यूल 2 है इसके अन्दर, सैक्शन 2 के अन्दर जो शिड्यूल दिये गये हैं, उनमें से किसी भी परीक्षा को इसमें से एक्सक्लूड कर सकती है, यह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं -

"1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education for Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, 1957

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2. Any examination conducted by any University established by law in India.
3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commission or Union Public Service Commission.
4. Any examination conducted by any Autonomous College in the State.
5. Any Examination conducted by Railway Recruitment Board, Ajmer.
6. Any examination conducted by the Rajasthan High Court.
7. Any examination conducted by the Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board.
8. Any examination of All India Trade Test (AITT) conducted by the Directorate General of Training (DGT), New Delhi."

माननीय सभापति महोदय, जहां तक मैं यह समझ पाया हूं अब राजस्थान के अन्दर दो कानून लेकर, दो कानून बचे हैं। एक कानून है जो भर्ती होगी सरकारी नौकरी में, उसके लिए यह नया कानून जो अभी-अभी हमने यह पारित किया है और एक कानून 1992 का कानून, राजस्थान के अन्दर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये प्लीज, सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राजस्थान के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान में बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन है, इसके अन्दर जो पुराना 1992 का एक्ट है, जिसको जितना मैं समझ पाया हूं, जिसके अन्दर तीन साल तक की सज़ा का प्रावधान है। यानी, राजस्थान के अन्दर यह बहुत गहरी बात है, मैं यह चाहूंगा मंत्रीजी, I may be wrong and I want to be wrong, आप आफिसर गैलरी से यह पता कर लें कि यह सेक्शन 8 के अन्दर जो आपके इस 1992 के एक्ट के अन्दर जो शिड्यूल दिया गया है, सेक्शन 2 में जो शिड्यूल है, इसके पीछे इस संशोधन के बाद आप चूंकि, आपने जो मेन एग्जामिनेशन है, उसके अन्दर, बाकी इन सारे एग्जामिनेशन का जिक्र कर दिया है, इसमें देखने पर मुझे कहीं यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन और बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के एग्जामिनेशन दिखे नहीं। यानी, आप एक खुली छूट दे रहे हैं, विश्वविद्यालय में पेपर लीक करे तो चिंता नहीं, तीन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साल की सज़ा होगी, ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट है, जमानत हो जायेगी, जिस तरह अभी आज उन 14, 11 आदमियों की जो जमानत हुई है।

अब विश्वविद्यालय और बोर्ड की परीक्षा के अन्दर अनुचित साधन का प्रयोग करो, कोई चिंता नहीं, कोई सम्पत्ति जब्त नहीं होगी। मैं यह समझता हूं कि यह दोहरे मापदंड क्यों और किसलिए लेकर आ रहे हैं, यह सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का नहीं और अभी, माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि आज इस सदन के अन्दर जब यह संशोधन आ रहा था तो मैंने दो लोगों के अन्दर की आत्माओं को आगे आते देखा। एक, नेता, प्रतिपक्ष एक नेता के रूप में नहीं, एक अन्दर के अध्यापक ने उस दर्द को प्रकट किया, माननीय सभापति महोदय, यह बिरला समय आता है आदमी जब आत्मा से बोलता है, दिल से बोलता है तो दर्द के साथ बोलते हैं और दूसरा, विद्यार्थियों के नेता रहे बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य का मैं चेहरा देख रहा था। आप अन्दाजा लगायें कि काला कपड़ा पहनकर कल यह नौजवान उस सेंट्रल पार्क का लगातार चक्कर लगायेगा, हम बड़ी महिमा मंडन होंगे? इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि कम से कम यह जो आप जिसमें संशोधन लेकर आये हैं, इस संशोधन का स्पष्ट करें कि इस सेक्शन 8 के अन्दर संशोधन के माध्यम से हेतु आपका क्या है? आपने रिपील क्यों नहीं किया? आप नया कानून ले रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे यह कहना नहीं चाहिए। आपके सहयोग के लिए जो लोग आपके आस-पास बैठे हैं, जुडिशियल सर्विस में उनका अपना एक रिकार्ड रहा है, आज इस प्रकार का कानून? यह पहली बार होगा राजस्थान के अन्दर दो-दो कानून जिंदा रहेंगे। एक नखहीन, दंतहीन कानून और दूसरा कानून जिसमें शक्ति से यह प्रावधान किया गया है। यह कानून का मजाक, यह हमारे इस सदन का मजाक, यह उन सब लोगों का मजाक होगा जो थोड़े-बहुत कानून को समझते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे लम्बी बात नहीं करनी पर मैं एक बात जरूर कहूंगा जिसका मेरे को दर्द भी है। अभी प्रभारी मंत्रीजी ने यह जवाब दिया, आपने हमारे समय के लिए कहा कि आपके समय में भी 12 परीक्षाएं रद्द हुईं जिसके अन्दर तीन-चार परीक्षाओं के पेपर लीक हो गये, निश्चित तौर पर हुए होंगे। आपको किसने मना किया था? आप यहां विराजते थे, आप मामला उठाते। हम सत्ता में थे, हमारा ध्यान आकर्षित करते, पर आप में उस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समय वह दम नहीं था और हमारे समय में कोई बात गलत हुई तो आपको यह लाइसेंस मिल गया, यह नयी परिपाटी चालू कर दे अपन? हमारे समय में गलतियां हुईं और गलतियां होकर किसी ने किया होगा पर आप भी गलती करोगे, उसी रास्ते पर चलोगे? कम से कम आपको इस बात को सोचना चाहिए जवाब देने से पहले।

दूसरा, मंत्री महोदय, आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, आपने बिहार की बात कही। यह आपका कसूर नहीं। आप यह कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी बड़े चिंतित थे जब उनको यह पता लगा कि इस रीट में एक चीटर पकड़ा गया सवाईमाधोपुर में। आप वहीं पास में खड़े थे, टी.वी. के अन्दर मैं यह देख रहा था। मुख्य मंत्रीजी यह कह रहे थे कि जो अभी रीट के अन्दर मैं परीक्षा रद्द करना नहीं चाहता पर यह प्रतिपक्ष के नालायक लोग, 'नालायक' शब्द इस्तेमाल किया, जिस तरह का वातावरण पैदा किया है, यह परीक्षा रद्द करना मुझे पड़ रहा है और उन्होंने क्या कहा मुख्य मंत्रीजी ने? मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि हर राज्य में नकल के गैंग हैं, यू.पी. में हैं, बिहार में हैं, मध्यप्रदेश में हैं, यह गैंग और कारण से नहीं हैं, यह मेरे शब्द नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है। यह गैंग बेरोजगारी के कारण है, नौकरियों का अभाव है, नकल माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, नकल को रोका नहीं जा सकता। मतलब, राज्य का मुखिया अगर यह कहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य यानी, किसके हौसले बढ़ा रहे हो? इसलिए मैं यह समझता हूं कि माननीय सभापति महोदय, मैंने जो बुनियादी सवाल खड़ा किया, मेरा पहला सवाल यह है कि इस अमेंडमेंट के बाद, 1992 के अमेंडमेंट के बाद क्या यह सत्य है कि राजस्थान के अन्दर दो कानून जिंदा रहेंगे? राजस्थान में विश्वविद्यालय और बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन और उन परीक्षाओं के लिए अलग और सरकारी नौकरियों के अलग या इसमें यह होगा कि अगर इस कानून के अन्दर जो आपने शिड्यूल दे रखा है, शिड्यूल 2 जिसको मैंने पढ़कर सुनाया, जिसमें यह 8 अलग-अलग एग्जामिनेशन का जिक्र किया है, यह आप एक्सक्लूड कर लोगे क्योंकि यह तो सारा प्रस्ताव तो आपका अपवर्जन करने का है। एक्सक्लूड कर दोगे तो यह प्राणहीन, फिर यह प्राणहीन कानून सरकार के अन्दर किसी न किसी फाइल की गर्त में चला जायेगा। पहले ही यह पुलिन्दा बना पड़ा है। आपका मकसद पूरा हुआ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, किसी ने कुछ लिया होगा। मुझे गर्व है, मेरे ऐसे नेता हैं जो मन, आत्मा और दर्द से बोलते हैं। मुझे गर्व है कि यह बहरोड से आने वाला नौजवान बैठा है, जिसके मन में नौजवानों का दर्द है। इस दर्द को आप भी अपना दर्द समझें और इस कानून को किंवदन्ती नहीं बनायें। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाओ, हमें बुलाओ। हम भी आपके सहयोगी हैं। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर जो एक गैंग बनी है, सही कहा नेता, प्रतिपक्ष ने, मैं रोज निकलता हूं सीकर की उस रोड से जहां ऊपर देखो तो वह बड़े-बड़े लोग खड़े हैं, मेरी मांग है कि इन कोचिंग सेन्टर्स के अगर 10 साल के अकाउंट्स की आप ऑडिट करायें, इनकी जांच करायें, ईडी से जांच करायें तो पता लग जायेगा कि यह धन कहां से आया। यह गारन्टी के साथ अपना बैच प्रारम्भ करते हैं। गारन्टेड बैच का नाम दे रखा है। मैं मन से कह रहा हूं, सभापति महोदय, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि गारन्टेड बैच और उसमें भर्ती करते हैं, दो लाख, चार लाख, पांच लाख की फीस पर, पटवारी की परीक्षा, एसआई की परीक्षा और कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा में। इस तरह का गोरखधंधा चला रखा है इसलिए आप जनमत जानने से पहले हमसे विचार-विमर्श कर लो। मंत्रीजी, आत्मा से कह रहा हूं, आप बड़े अच्छे आदमी हो, हम आपको अच्छी-अच्छी राय देंगे सब जने मिलकर।

आरोप-प्रत्यारोप नहीं, यह नौजवानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है। हमारे समय में हुआ है तो निश्चित तौर पर हम गौरवान्वित नहीं हैं। मैं आपकी बात काटना भी नहीं चाहता, उस समय नहीं हुआ था, उस समय यह बात हुई थी तो हमने पुलिस से ही जांच करवायी थी पर आप क्या कर रहे हो? हिन्दुस्तान में रीटोत्सव। क्या-क्या बात नहीं हुई, किस प्रकार का उत्सव हुआ। यह सरकार के लिए शर्मनाक धब्बा है, सभापति महोदय, सरकार को समय पर चेत जाना चाहिए। नौजवान की चीत्कार, नौजवान की हाय इस सरकार को ले डूबेगी। मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करो।

श्री सभापति: माननीय श्री कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह दो कानून हैं। एक अभी जिसमें अपन संशोधन कर रहे हैं, वह राजस्थान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022, 1992 का जो एक्ट बना हुआ था उसकी धारा 8 में अपन एक संशोधन ला रहे हैं। अभी अपन ने जो पास किया है वह है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, इसके आगे अपन ने जोड़ा भर्ती में, उसमें केवल अनुचित साधनों का, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के पक्ष में यह लाये थे। धारा 8 में जो आप परिवर्तन कर रहे हैं, जो पुरानी धारा है वह अनुसूची को संशोधित करने की, यह अनुसूची पीछे लगी हुई है। इस अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी किसी भी अन्य सार्वजनिक परीक्षा का अनुसूची में सम्मिलत कर सकेगी। पहले था, इसको सम्मिलित करने में राज्य सरकार अगर और किसी को जोड़ना चाहे तो जोड़ सकेगी। यह था धारा 8, जिसके सम्बन्ध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझे और राज-पत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गयी समझी जायेगी। मतलब यह जो सूची आपकी लगी हुई, इसमें अगर और कुछ जोड़ना चाहें तो पहले इस धारा 8 में जोड़ सकते थे। अब इसमें एक और चीज जोड़ना चाह रहे हैं ये। उसके आगे लिख रहे हैं कि आवश्यक समझें कि किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची से अपवर्जित कर सकेगी, अर्थात् हटा सकेगी। इनमें से किसी भी परीक्षा को अगर आप हटाना चाहें, यह जो सूची आपने दी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, स्वायत्तशासी कालेज, रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर, राज्य उच्च न्यायालय, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड, आल इण्डिया ट्रेड ट्रस्ट, एआईटीटी, भारत सरकार, ये जो आपकी एक सूची है, पहले केवल इसमें जोड़ने का ही काम कर सकते थे आप अपने राज-पत्र में प्रकाशित करके, अब आप अधिकार ले रहे हो, इसमें से किसी को हटाना भी चाहें तो हटा सकते हैं।

मैं सोचता हूं कि यह पहली बार मैंने देखा है कि यह 1992 के एक्ट में ही हम संशोधन करके इनको बढ़ा सकते थे। हमको दो कानून के, लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा करने का काम किया। हर आदमी नहीं समझेगा कि यह भर्ती के लिए है और यह परीक्षा के लिए है। मैं सोचता हूं कि दोनों का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कौनसा किस पर एक्शन करेगा, इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। अभी आपने जो कुछ भी कार्रवाई की, वह इसके तहत की थी क्योंकि उसमें सज़ा तीन साल ही थी। जिन लोगों को आपने पकड़ा था, उनको इस बात का मिल गया कि कम से कम पांच साल से कम सज़ा होती है, उसको लम्बे समय तक आप गिरफ्तारी में नहीं रख सकते हो, उनको JC में नहीं रख सकते हो। उस आड़ में सब लोग छूट कर चले गये। मैं सोचता हूं कि दो कानून सामान्य जनता की समझ के बाहर रहेगा। इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको कुछ करना था तो एक में ही समाहित कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, आज इस बिल के सम्बन्ध में हमारे विपक्ष के साथी अभी कह रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि जब आप सत्ता में थे, बहुत विरोध किया था मगर आपको जनता के लिए सोचने का टाइम जब विपक्ष में होते हो तभी मिलता है, इधर रहते हो तब आपको याद नहीं रहता। मैं तो यह उम्मीद करता हूं कि हमेशा उधर ही रहो ताकि राजस्थान की जनता की सेवा हो सकेगी।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

आप चूरू से आते होंगे, सीकर से निकलते होंगे, ये बिल्डिंग हमारे ही राज में दिखी हैं आपको, बिल्डिंग तो पहले ही बन गयी थीं और अकाउन्ट ऑडिट की बात कर रहे हो तो ईडी भी आपके पास है, किसने मना किया, आप ईडी को भेजो। आप तो वहां भेजते हो, जहां सरकार की कुछ और जरूरतें होती हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं एवं कोचिंग केन्द्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उनकी समस्याओं का समुचित समाधान करने की दृष्टि से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन एण्ड फैसिलिटेशन बोर्ड का गठन प्रस्तावित किया है। सभापति महोदय, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया गया। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 1992 में बनाया गया था, तब इसके केन्द्र में प्रमुख विश्वविद्यालय, शैक्षणिक परीक्षाएं थीं। तदनन्तर अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं को इसमें जोड़ा गया। चूंकि 1992 के अधिनियम में भर्ती परीक्षाओं को जोड़ा हुआ है, जिन्हें नये विधेयक, 2022 के विधेयक में सम्मिलित कर लिए जाने के कारण 1992 के अधिनियम से भर्ती परीक्षाओं से संबंधित प्रावधानों से हटाया जा सकेगा। गत दशक में पूरे देश में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है और अनुचित साधनों के प्रयोग के तरीके भी बदले हैं। इसके अलावा सूचना और तकनीकी भर्ती के लिए की जाने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में दुरुपयोग भी किया जाने लगा है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2022 के मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.31 बजे शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2022 के 15.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

लाडनूं में मुआवजे से वंचित किसान

432. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा फसल खराबे के मुआवजे के लिए क्या मापदंड तय किये गये हैं? उक्त मापदंडों के तहत वर्ष 2020-21 व 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में कितने किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मिला तथा कितने किसान उक्त से वंचित रहे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के फसल खराबे के मुआवजे से वंचित रहे किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स अनुसार 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे पर कृषि आदान-अनुदान दिया जाता है। राज्य आपदा मोचन निधि नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में फसल खराबा नहीं होने के कारण कृषि आदान-अनुदान देय नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में फसल खराबा नहीं होने के कारण कृषि आदान-अनुदान देय नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लाडपुरा में पुलिस थानों में महिला उत्पीड़न के दर्ज प्रकरण

448. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महिला सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के समस्त पुलिस थानों में विगत दो वर्ष में महिला उत्पीड़न के कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा उक्त के निस्तारण के संबंध में क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के समस्त पुलिस थानों में विगत 02 वर्षों में महिला उत्पीड़न के संबंध में 434 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें से 272 प्रकरणों में चार्जशीट पेश की गई व 148 प्रकरणों में एफआर (नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन) प्रस्तुत की गई व 14 प्रकरणों में अनुसंधान जारी हैं। इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु भरसक प्रयास किये जा रहे हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

थानागाजी में नवीन पुलिस चौकियां

449. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्तमान में कुल कितने पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकियां खोलना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्तमान में कुल 03 थाने (थाना

(गृह मंत्री)

थानागाजी, थाना नारायणपुर, थाना प्रतापगढ़) एवं 02 पुलिस चौकी अजबगढ़ (अन्तर्गत थाना प्रतापगढ़) व पुलिस चौकी गोला का बास (अन्तर्गत थाना टहला) संचालित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

पुलिस भर्ती 2018 की वरीयता सूची

450. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस भर्ती 2018 में लगभग 1,600 पद रिक्त रह गये थे? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वरीयता सूची जारी कर उक्त रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 द्वारा जिला पुलिस/यूनिट स्तर पर विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस जिले/यूनिट में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण 1,600 से अधिक पद रिक्त रहे, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रहे पदों को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की रिक्तियों में शामिल कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रिक्त पद

451. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री फूल सिंह मीणा)

(1) जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उदयपुर में अधिकारी व कर्मचारियों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उदयपुर में अधिकारी/कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदनाम	रिक्त पद
1	अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक	01
2	जिला विशेष शाखा पुलिस निरीक्षक	01
3	निजी सहायक	01
4	सहायक लेखाधिकारी	01
5	कनिष्ठ लेखाकार	01

(2) राज्य स्तर पर पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई की जा रही है। पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के बाद उपलब्ध कार्मिकों में से समानुपातिक आधार पर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा सकेगी।

सिंगल पेमेंट कोषालय

452. **श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार की वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रदेश के समस्त उप कोषालयों एवं उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से कोषालयों को भी बंद करके ई-कोषालय की तर्ज पर सिंगल पेमेंट कोषालय प्रारम्भ करने की योजना है? यदि हां, तो उक्त का लेखा संवर्ग एवं अधीनस्थ लेखा संवर्ग पर पड़ने वाले प्रभावों के विवरण को सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। IFMS 3.0 के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से पहले उप कोषालयों को एवं तत्पश्चात् कोषालयों के स्थान पर विभागों का सशक्तीकरण करते हुए प्रत्येक विभाग में पे एण्ड एकाउन्ट्स आफिस खोले जाएंगे। इस प्रकार परिवर्तन होने पर संबंधित कोष कार्यालय को बंद अथवा अन्य कार्य लेने हेतु विचार गुणावगुण पर किया जायेगा। इससे लेखा एवं अधीनस्थ लेखा संवर्ग पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

शिक्षाकर्मियों व पैरा टीचर्स का नियमितीकरण

453. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार शिक्षाकर्मियों, पैरा टीचरों को नियमित करने और उनका मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

शिक्षाकर्मी, पैराटीचरों की समस्याओं का निराकरण के संबंध में मंत्रीमण्डलीय उप समिति का गठन किया हुआ है। प्रकरण समिति के समक्ष विचाराधीन है। साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के क्रम में नियमों को एडॉप्ट किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2022 को निर्देश जारी किये गये हैं। इनके मानदेय में 01 अप्रैल, 2022 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

बस्सी के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण

454. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में किस-किस सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों के कक्षा-कक्ष जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? इनकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? विद्यालयवार कक्षों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, रोजवाड़ी की मौका रिपोर्ट में छह कक्षा-कक्ष जीर्ण-शीर्ण एवं तीन कक्षा-कक्षों का अभाव बताया गया है? यदि हां, तो उक्त कक्षों के कब तक निर्माण करवा दिये जायेंगे?

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालय के दोनों तरफ स्थित बरसाती नालों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यू-डाइस 2020-21 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्वयं के भवन वाले विद्यालयों में से वृहद् मरम्मत की आवश्यकता वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में मरम्मत कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रावधान हैं। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष विद्यालयों में मरम्मत कार्य की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

(2) प्रशासन गांवों के संग अभियान में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, रोजवाड़ी में कक्षा 1-5 तक कुल 05 कक्षों के जीर्ण-शीर्ण होने एवं 03 कक्षा-कक्षों के अभाव का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इन जीर्ण-शीर्ण 05 कक्षों को भूमिदोज किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष विद्यालयों में जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

(3) शिक्षा विभाग अन्तर्गत बरसाती नालों का निर्माण कराने हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर में हरमाड़ा से सीतापुरा तक मेट्रो रेल परियोजना

455. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा जयपुर शहर मे यात्री भार के लिए मेट्रो रेल परियोजना हेतु सबसे उपयुक्त मार्ग-सीकर रोड स्थित हरमाड़ा, रोड नं. 14 से सीतापुरा मेट्रो रेल परियोजना को प्रारम्भ करने की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा नगर परिषद् को बकाया का भुगतान

456. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में नगर परिषद् भीलवाड़ा की विभिन्न मदों में राशि की वैधानिक देनदारी बकाया है? यदि हां, तो यूआईटी, भीलवाड़ा उक्त राशि कब तक नगर परिषद् भीलवाड़ा को जमा करवा देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में नगर परिषद् भीलवाड़ा को भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा राशि की देयता बकाया है। न्यास द्वारा विभिन्न वार्डों में पार्षदों की मांग अनुसार परिषद् क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य करवाये जाते हैं तथा न्यास की मूल्यवान भूमि पर विकास कार्य हेतु नगर परिषद् को एनओसी जारी की जाती है, जिनका समायोजन पश्चात् वर्तमान में 291.74 लाख की देयता बकाया है, जो न्यास द्वारा शीघ्र ही परिषद् को हस्तान्तरित कर दी जाएगी।

पिलानी में सीवरेज कार्य

457. श्री जे. पी. चन्देलिया (पिलानी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी में सीवरेज का

(श्री जे. पी. चन्देलिया)

कार्य किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य कितना प्रतिशत पूर्ण हुआ है तथा बकाया कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सीवरेज कार्य को पूर्ण करने की अवधि कितनी निर्धारित थी व अवधि पार होने पर सीवरेज निर्माण कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? उक्त सीवरेज कार्य में विलम्ब व कार्य में अनियमितता की कितनी जांचें की गईं? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिड़ावा शहर में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत सीवरेज परियोजना स्वीकृत हुई है। योजना के अन्तर्गत चिड़ावा शहर में सीवरेज के प्रथम फेज का 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य दिनांक 30.04.2022 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

मुख्य मंत्री बजट घोषणा (206) वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत पिलानी में लगभग राशि रुपये 3.12 करोड़ की लागत से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (क्षमता 14 केएलडी) का निर्माण किया जाना है, जिसकी निविदाएं सक्षम स्तर से अंतिम स्वीकृति प्रक्रिया में है।

(2) उक्त सीवरेज कार्य को पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष छह माह थी, जिसे दिनांक 20.09.2017 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2021 किया गया, परन्तु कार्य पूर्ण नहीं होने पर पुन: बढ़ाया जाकर दिनांक 30.04.2022 किया गया। परियोजना में देरी के कारण दोनों प्रस्तावित एसटीपी की पूर्व में चिन्हित भूमि (सेहीवाला जोहड़, खेल मैदान) की जगह जोहड़ भूमि होने के कारण एवं स्थानीय लोगों के विरोध के कारण एसटीपी का स्थान परिवर्तन करना पड़ा। स्थान परिवर्तन करने के कारण डिजाइन भी पुन: तैयार की गई। कार्य देरी से करने पर राशि रुपये 120 लाख एवं सड़क मरम्मत कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण राशि रूपये 41 लाख संवेदक के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की गई। कार्य में अनियमितता की कोई जांच नहीं की गई, परन्तु कार्य में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए पी.डी.एम.सी. नियुक्त थी एवं समय-समय पर इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा जांच की गई है। वर्तमान में सीवरेज कार्य सुचारु रूप से चालू है।

जोजरी नदी को प्रदूषण से बचाने की कार्ययोजना

458. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जोधपुर के कल-कारखानों व टेक्सटाइलों से निकलने वाले गन्दे पानी से जोजरी नदी प्रदूषित हो रही है? यदि हां, तो गन्दे पानी से प्रदूषित होने वाले उक्त क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या सरकार कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल से प्राप्त सूचना अनुसार

- सभी जल प्रदूषणकारी उद्योगों से जनित उच्छिष्ठ के उपचार हेतु संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है, जिसकी क्षमता 20 एमएलडी है।
- संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की सभी सदस्य इकाइयों के स्तर पर औद्योगिक उच्छिष्ठ को संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र के इनलेट मानकों तक उपचारित करने हेतु प्राथमिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है।
- वर्तमान में संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र से उपचारित उच्छिष्ठ का अंतिम निस्राव रीको के नाले के माध्यम से जोजरी नदी में किया जाता है।
- Common Effluent Treatment Plant (संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र) के क्षमता विस्तार एवं उन्नयन का कार्य समय-समय पर करवाया जाता रहा है।
- सी.ई.टी.पी. से उपचारित उच्छिष्ठ की गुणवत्ता पर निगरानी करने हेतु संयंत्र के अंतिम निस्राव बिंदु पर Continuous Effluent Quality Monitoring System की स्थापना की गयी है, जिसके द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाता है।
- सदस्य इकाइयों से निकलने वाले उच्छिष्ठ की मात्रा पर निगरानी हेतु स्काडा (SCADA) सिस्टम की स्थापना भी करवाई गयी है। उक्त

(पर्यावरण मंत्री)

स्काडा सिस्टम से सदस्य इकाइयों द्वारा प्रवाहित उच्छिष्ठ की मात्रा पर सी.ई.टी.पी. पर स्थापित सर्वर के माध्यम से निगरानी की जाती है।

- टेक्सटाइल लाइन को Z.L.D. System तक उन्नयन करने हेतु भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
- संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की सीमित क्षमता के कारण औद्योगिक उच्छिष्ठ के उपचार हेतु एक नये संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए रीको द्वारा सालावास में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। नये संयंत्र की स्थापना के लिए एक एस.पी.वी., मैसर्स मारवाड़ पोलुशन कण्ट्रोल एंड रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया है।
- जोधपुर स्थित अन्य उद्योगों जिनके द्वारा स्वयं का उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र स्थापित किया गया हो, को, शून्य निस्राव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् सम्मति जारी की जाती है।

उदयोग विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जोधपुर में सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत सी.ई.टी.पी. के upgradation (RO plant) हेतु 50 करोड़ के कोरपस फण्ड एवं सालावास में नये सी.ई.टी.पी. की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये के कोरपस फण्ड का प्रावधान किया गया है।

बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व का समुचित विकास

459. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व के संवर्धन एवं समुचित विकास हेतु शीघ्र बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व के संवर्धन एवं समुचित विकास हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत आबंटित बजट एवं व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ वन अभयारण्य (बारां) में अफ्रीकी चीतों के विस्थापन की योजना

460. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बारां का शेरगढ़ वन अभयारण्य क्षेत्र कितने हैक्टेयर में फैला हुआ है? इसकी सीमाएं कौन-कौनसे गांवों व नदी-नालों से लगती है? गणना के अनुसार उक्त अभयारण्य में कौन-कौन से जानवर कितनी-कितनी संख्या में हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभयारण्य में अफ्रीका से चीता लाकर छोड़ने की योजना है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बारां का शेरगढ़ वन अभयारण्य 9880.60 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके उत्तर में ग्राम बडौरा व रघुनाथपुरा, पूर्व में अमलावदा, कल्याणपुरा व मोखमपुरा, पश्चिम में भरतपुर, खेडीबोंसर व किशनपुरा, दक्षिण में अकावद खुर्द, अकावदा कलां ग्रामों की सीमाएं लगती है। शेरगढ़ अभयारण्य के नोटिफिकेशन की प्रति परिशिष्ट-ए एवं वर्ष 2020 की वन्यजीवों की गणना रिपोर्ट परिशिष्ट-बी के अनुसार है।

(2) जी नहीं।

(प्रति व रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गयी।)

धौलपुर जिले में चम्बल लिफ्ट परियोजना

461. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला धौलपुर के पार्वती बांध, रामसागर बांध, उर्मिला सागर बांध एवं तलाबशाही से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी एवं बसेड़ी के कृषकों को सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति की जाती है? क्या यह भी सही है कि उक्त बांधों के भराव हेतु सरकार द्वारा चम्बल लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो सरकार उक्त परियोजना को कब तक प्रारम्भ एवं पूर्ण कराये जाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जिला धौलपुर के पार्वती, रामसागर, उर्मिला सागर,

(जल संसाधन मंत्री)

तालाबशाही बांध से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी एवं बसेड़ी में सिंचाई एवं पार्वती बांध से पेयजल आपूर्ति की जाती है। प्रस्तावित कालीतीर लिफ्ट परियोजना से पार्बती एवं रामसागर बांध में चंबल नदी का पानी लिफ्ट द्वारा अपवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत राशि रुपये 800.04 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है। आवश्यक स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धता पर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

सोमनदी कट (आसपुर) में एनीकट का निर्माण

462. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र आसपुर में देव सोमनाथ मन्दिर के आसपास सोमनदी कट पर एनीकट निर्माण करने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसपुर में देव सोमनाथ मंदिर के पास सोमनदी पर एनीकट का निर्माण तकनीकी रूप से उपादेय नहीं होने से बनाया जाना विचाराधीन नहीं है।

आगजनी की घटनाओं में देय मुआवजों में वृद्धि करने की योजना

463. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आगजनी की घटनाओं में देय मुआवजा राशि काफी कम है तथा मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुआवजा राशि बढ़ाने एवं प्रक्रिया सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नोखा सहित बीकानेर जिले में विगत दो वर्ष में आगजनी की कितनी घटनाएं घटित हुई व उनमें क्या-क्या मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आगजनी की घटनाओं में जान माल के नुकसान होने पर पीड़ित

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

परिवार को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता राशि दी जाती है। राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने हेतु पीड़ित/प्रार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

(2) नोखा सहित बीकानेर जिले में विगत पांच सालों में आगजनी की कुल घटनाओं, स्वीकृत प्रकरणों एवं स्वीकृत प्रकरणों में पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	आगजनी की कुल घटनाओं की संख्या	आगजनी के स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	आगजनी के स्वीकृत प्रकरणों में दी गई सहायता राशि
1.	2017	132	98	2840300
2.	2018	111	78	3646300
3.	2019	104	65	943600
4.	2020	85	67	1331600
5.	2021	93	75	4333700
योग:-		**525**	**383**	**13095500**

किशनगढ़ में ओलावृष्टि से नष्ट फसल का मुआवजा

464. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्ष 2021-22 में मावठ, बारिश व ओलावृष्टि आदि कारणों से रबी की फसल खराब हो गई है? क्या सरकार द्वारा नष्ट फसल का सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो कब-कब? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 2021-22 में उक्त कारणों से नष्ट फसल का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में फसल खराबे के लिए कराये गये सर्वे का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(2) रबी फसल वर्ष 2021-22 में फसल खराबा नहीं हुआ है।

राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार फसल खराबा होने पर ही किसानों को कृषि आदान-अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सारोला कलां व बकानी में बसों का संचालन

465. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में किस-किस मार्ग पर कौन-कौनसी बस कहां से संचालित की जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सारोला कलां व बकानी में बस संचालित करने व पूर्व में संचालित बसें पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बसों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र खानपुर में संचालित निजी बसों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) निगम के सीमित संसाधनों के कारण सारोला कलां व बकानी में वर्तमान में संचालित निगम बसों के अतिरिक्त अन्य बसों का संचालन करने का फिलहाल विचार नहीं है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

निजी बसों के लिए नवीन मार्ग

466. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में निजी बसों के वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 में कितने नये मार्ग खोले गये हैं?

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितने स्थायी परमिट रोडवेज को एवं कितने प्राइवेट सेक्टर को दिये गये?

(3) विगत दो वर्षों में पब्लिक सेक्टर के कितने स्टेट कैरिज परमिट

(श्री संयम लोढ़ा)

घट गए तथा निजी बसों के कितने परमिट हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्रामीण परिवहन सेवा नये सिरे से कब व कहां-कहां प्रारम्भ की जाएगी?

उत्तर

(1) निजी बसों के वर्ष 2020-21 में कुल 05 एवं 2021-22 में कुल 09 नये मार्ग खोले गये हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में विभिन्न मार्गों पर स्थायी परमिट निम्नानुसार दिये गये:-

रोडवेज को दिये गये परमिटों की संख्या		**प्राइवेट सेक्टर को दिये गये परमिटों की संख्या**	
2020-21	2	2020-21	2526
2021-22	7	2021-22	2783

(3) विगत दो वर्षों में पब्लिक सेक्टर (RSRTC) के 6 मार्गों पर कुल आठ (8) स्टेज कैरिज परमिट घट गये। परिशिष्ट-1 संलग्न है।

पब्लिक सेक्टर तथा निजी बसों के विभिन्न मार्गों पर माह दिसम्बर 2021 तक जारी कुल प्रभावी परमिटों की संख्या क्रमश: 6,822 तथा 24,930 है।

(4) राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन हेतु घोषणा की गई है।

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं इस बाबत विशेषज्ञ सलाहकार की नियुक्ति के लिए सहमति प्रदान की गयी है, जिस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पिण्डवाड़ा में खेल पवेलियन खोलने की योजना

467. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बजट घोषणा अनुसार हर तहसील स्तर पर खेल पवेलियन खोले जाने थे? क्या सरकार पिंडवाड़ा में खेल पवेलियन खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हर तहसील स्तर पर खेल पवेलियन खोलने से संबंधित कोई बजट घोषणा नहीं हैं।

वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल पवेलियन खोलने का विचार किया जाता है।

बीकानेर के महाराजा करणीसिंह स्टेडियम में मल्टीपरपज इन्डोर स्टेडियम बनाने की योजना

468. सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि महाराजा करणीसिंह स्टेडियम, बीकानेर में मल्टीपरपज इन्डोर स्टेडियम बनाया जाना है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए उक्त स्टेडियम में विगत तीन वर्षों में क्या-क्या विकास कार्य करवाये गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व खेलों को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन खेलों में क्या-क्या कार्य किये जाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 (III) के क्रियान्वयन हेतु बीकानेर में मल्टीपरपज इन्डोर हाल के निर्माण कार्य हेतु इस विभाग की स्वीकृति क्रमांक 21/2021-22 दिनांक 11.11.2021 के द्वारा राशि 750.00 लाख प्रशासनिक एवं राशि रुपये 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. के पक्ष में जारी की गई है।

वर्तमान में कार्यकारी एजेन्सी द्वारा दिनांक 18.02.2022 को निविदा जारी की गई है जिसमें कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह नियत है।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा गत तीन वर्षों (2018-19 एवं 2019-20 एवं 2020-21) करणीसिंह स्टेडियम हेतु कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

परन्तु वर्ष 2016-17 में करणीसिंह स्टेडियम बीकानेर में राशि रु. 183.00 लाख की स्वीकृति बैडमिन्टन, टेबल टेनिस इण्डोर हाल निर्माण की स्वीकृति कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. के पक्ष में जारी की गई थी, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर, 2019 में पूर्ण हुआ है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं, जो परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

नसीराबाद में लम्बित कृषि कनेक्शन

469. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में बूंद-बूंद सिंचाई योजना, सामान्य श्रेणी एवं एससी श्रेणी के कृषि कनेक्शन के कितने-कितने आवेदन, कब-कब से, कौन-कौनसे विद्युत उपखण्ड कार्यालय पर लम्बित चल रहे हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत डिमाण्ड नोट की राशि जमा कराने के एक वर्ष पश्चात् भी आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार शेष रहे आवेदकों को कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में बूंद-बूंद सिंचाई योजना, सामान्य श्रेणी एवं एससी श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के प्राप्त आवेदन, जारी मांग पत्र, जमा मांग पत्र, जारी कनेक्शन एवं लम्बित आवेदनों का उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। यद्यपि उक्त विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के उपखण्ड नसीराबाद में कुल 06 कृषि आवेदक ऐसे हैं, जिन्हें मांगपत्र की राशि जमा कराये एक वर्ष से अधिक हो चुका है किन्तु विवाद की वजह से कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके हैं। ऐसे आवेदकों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

शेष मांग पत्र जमा आवेदकों को सतत प्रक्रिया के तहत कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

470. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय से विगत पांच वर्षों में कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग के कार्यालयों में किस-किस के आदेश से कहां-कहां पर, कब से, कब तक लगा रखे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्तियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विगत 5 वर्षों में सहायक अभियंता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, बिलाड़ा का एक कर्मचारी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हरजीराम पद वाणिज्यिक सहायक-प्रथम, तहसीलदार, बिलाड़ा के आदेश संख्या 1500-1514 दिनांक 13.06.2016 तथा पुन: तहसीलदार (निर्वाचन) बिलाड़ा, जिला जोधपुर के आदेश क्रमांक/चुनाव/2019/3-9 दिनांक 28.02.2019 द्वारा तहसील कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था, जिसे दिनांक 22.03.2022 को तहसील कार्यालय द्वारा पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है।

सम्बन्धित पत्रों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मण्डावर के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण

471. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र महवा में राजकीय महाविद्यालय,

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

मण्डावर का नामकरण श्री टीकाराम पालीवाल के नाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र महवा के नवीन राजकीय महाविद्यालय मण्डावर के लिए भूमि व भवन निर्माण हेतु बजट राशि आबंटित हो चुकी है। भवन निर्माण होने के बाद महाविद्यालय का नाम श्री टीकाराम पालीवाल के नाम पर किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

आहोर में राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण

472. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र आहोर में राजकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण कब तक हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आहोर में राजकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूचनानुसार निर्माण कार्य 30 जून, 2022 तक पूर्ण होना संभावित है।

परिशिष्ट

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2022 के उत्तर में बोलने से रही घोषणाओं का विवरण

17. सिकन्दरा (सिकराय), बांदीकुई-दौसा, पीपलू (निवाई)-टोंक एवं मलारना डूंगर-सवाई माधोपुर में देवनारायण बालिका छात्रावास, फलौदी-जोधपुर में अल्पसंख्यक छात्रावास, दौसा व नगर-भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, लोहावट-जोधपुर, सरमथुरा-धौलपुर में अनुसूचित जाति छात्रावास तथा छबड़ा-बारां, दरियाटी (चौरासी)-डूंगरपुर में जनजाति बालक छात्रावास खोले जायेंगे। साथ ही, करेड़ा (माण्डल)-भीलवाड़ा, छबड़ा-बारां, गुढ़ा पोंख (उदयपुरवाटी)-झुंझनूं, नोहर-हनुमानगढ़ में सावित्री बाई फूले छात्रावास प्रारम्भ किये जायेंगे।

18. हिण्डोली-बूंदी, हमीरगढ़-भीलवाड़ा, सावा-चित्तौड़गढ़, टोडाभीम-करौली, निवाई-टोंक व सराड़ा (सलूम्बर)-उदयपुर में आईटीआई केन्द्र खोले जायेंगे।

19. गांधीनगर एवं सांगानेर-जयपुर स्थित महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में आगामी वर्ष से Non-Engineering स्नातक पाठ्यक्रम यथा Fine Arts, Visuals Arts, Textile Designing एवं Fashion Designing प्रारम्भ किये जायेंगे।